पंचम माला, खंड 56, अंक 17, शुक्रवार, 30 जनवरी, 1976/10 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVI, No. 17, Friday, January 30, 1976/Magha 10, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 56 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

अंक 17, शुक्रवार, 30 जनवरी, 1976/10 माघ, 1897 (शक)

लोक सभा

वाद विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

का

शुद्धि पत्र

पृष्ठ 90, पंक्ति 8 'आरिश्रमिक' के स्थान पर 'पारिश्रमिक' पढ़िये ।

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2635 LS—1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, शुक्रवार, 30 जनवरी, 1976/10 माघ, 1897 (शक)

No. 17, Friday, Jananry 30, 1976/Magha 10, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 327, 329 और 331 से 339	*Starred Question Nos. 327, 329 and 331 to 339	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions :	
तारांकित प्रश्न संख्या 328, 330 और 340 से 346	Starred Question Nos. 328, 330 and 340 to 346	18—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 1500 से 1597	Unstarred Question Nos. 1500 to 1597 .	22—78
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	78—80
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—कार्यवाही सारांश	Committee on Private Members' Bills and Resolution—Minutes	80
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	80-81
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Payment of Bonus (Amendment) Bill—As passed by Rajya Sabha	81
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक—राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	Regional Rural Banks Bill—As amended by Rajya Sabha .	81
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . .	81
लोक लेखा समिति—196वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee—Hundred and ninety-sixth Report .	82
सभा का कार्य	Business of the House . .	82

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक हैं कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक— पुरःस्थापित	Warehousing Corporations (Amendment) Bill—*Introduced*	82
मोटर यान संशोधन विधेयक—	Motor Vehicles (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	83
श्री एन० के० सांघी	Shri N. K. Sanghi	83—85
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	85
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	86
डा० जी० एस० ढिल्लों	Dr. G. S. Dhillon	86—87
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended—	
डा० जी० एस० ढिल्लों	Dr. G. S. Dhillon	88, 90
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	88
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo De Sequeira	89
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	89
श्रीमती रोजा देशपाण्डे	Shrimati Roza Deshpande	89
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	89
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	89
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	89
समान पारिश्रमिक विधेयक—	Equal Remuneration Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddy	90—91,96
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	91—92
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	92
श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	93
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	93—94
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	94
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi	94
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	94—95
श्री रामसिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	95
श्रीमती भर्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan	95
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga.	95

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
खण्ड 2 से 18 और 1	Clauses 2 to 18 and 1	96—100
पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	100, 101
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammed Ismail	101
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kader	101
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	101
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	101
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
59 वां प्रतिवेदन	Fifty-ninth Report	101
20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया—	Resolution Re. Implementation of the 20-Point Programme—*Withdrawn*—	
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey . .	102
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	103
श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari . .	103—04
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	104
श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi . . .	104
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar . . .	105
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	105—06
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana . . .	106
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmed Aga . . .	106—07
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	107—08
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav	108
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri P. M. Mehta	108—09
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	109
श्री मोहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman . . .	109
श्री तुलसीराम दशरथ कांबले	Shri T. D. Kamble . . .	110
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	110—113
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra . . .	113
संविधान में परिवर्तन करने के बारे में संकल्प—	Resolution re. Changes in the Constitution—	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan . . .	114

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 30 जनवरी, 1976/10 माघ, 1897 (शक)

Friday, January 30, 1976/Magha 10, 1897 (Saka)

लोक सभा 10 बज कर 59 मिनट म० पू० पर समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Fiftynine minutes past ten of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

(भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष के लिये अपना जीवन बलिदान करने वालों की स्मृति में सदस्यगण दो मिनट तक मौन खड़े रहे)

(The Members stood in silence for two minutes in memory of those who gave their lives in the struggle for India's freedom)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ में होटल एवं काटेज कम्पलैक्स

+
*327. श्री के० एम० मधुकर :
श्री एम० कतामुतु :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में भारत पर्यटन विकास निगम के 2 करोड़ रुपये की लागत के होटल एवं काटेज कम्पलैक्स बनने में विलम्ब हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम ने गोवा में एक होटल-व-कुटीर कम्पलैक्स का निर्माण करने के लिए नवम्बर, 1975 में एक स्कीम बनाई है । स्कीम सरकार के विचारधीन है ।

Shri K. M. Madhukar : It is a matter of regret that India's share in the total revenue earned from tourism in the world is only 0.13 per cent. India is very rich in cultural heritage, natural beauty etc. which can help in the development of tourism all over the country. In this context, Goa, can turn into a very big tourist Centre, if it's beaches are developed. May I know the reasons for delay in the implementation of the scheme to construct a hotel-*cum*-Cottage complex in Goa and whether there is any other proposal under Government's consideration to replace this scheme ?

Shri Surendra Pal Singh : There is no delay as such. The scheme was formulated in 1975 by the I.T.D.C.. Now it is being examined and I am sure we will be able to implement it very soon. I agree there is a need to go in for this and honest efforts are being made in this direction so that largest number of tourist could visit this country.

Shri K. M Madhukar : I want to know whether any time limit has been fixed for the construction of this project ?

Shri Surender Pal Singh : There is no time limit for it, but it will be taken up as soon as possible.

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को पता है कि गोवा में टाटा ने पहले ही उस जगह पर एक शानदार होटल एवं काटेज कम्पलैक्स खोल चुके हैं जो सबसे बढ़िया बतायी जाती है और जो सरकार ने छोड़ दिया और प्रतिस्पर्धा में सरकार टाटा से पूरी तरह से पिछड़ा गई है। हमारा सरकारी क्षेत्र ऐसी बातों, में इतनी अदक्षता व बेसमझी का काम क्यों करता है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि टाटा बन्धुओं ने गोवा में एक होटल कम्पलैक्स खड़ा किया है लेकिन ऐसा कहना है कि दौड़ में हम हार गये है, सच नहीं है। गोवा में समुद्र तट का विकास करना ज री है। भारत पर्यटक विकास निगम शीघ्र ही वहां एक होटल एवं काटेज कम्पलैक्स खोलने वाला है।

श्री एम० कतामुत्तु : क्या इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है और क्या गोवा की सरकार भूमि अर्जित नहीं कर सकी है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत पर्यटक विकास निगम ने इसके लिए स्थान चुन लिया है और गोवा सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस भूमि को यथाशक्य शीघ्र अर्जित करे, यह सच है कि गोवा सरकार के सामने कतिपय कठिनाइयां हैं। हमें आश्वासन दिया गया है कि वह (गोआ सरकार) कार्यवाही कर रही है और भूमि जल्दी ही अर्जित की जाएगी।

उत्पादन शुल्क के ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

*329. **डा० रानेन सेन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने उत्पादन शुल्क ढ़ांचे को युक्तिसंगत बनाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बंगाल वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने वित्त मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें उत्पादन शुल्क के संबंध में कुछ सुझाव दिये गये हैं।

(ख) माननीय सदस्य निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि कराधान संबंधी मामलों में उक्त मंडल द्वारा दिए गये सुझावों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया को इस अवस्था में प्रकट नहीं किया जा सकता। जहां तक कार्यविधि संबंधी मामलों का प्रश्न है, स्थिति इस प्रकार है :

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 56 क के उपबन्धों की प्रभाव-सीमा का विस्तारण——केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 56 क के उपबधों को चयन्तात्मक तरीके से प्रयुक्त किया जाता है और उन्हें इतना विस्तरित नहीं किया जा सकता कि उनके अन्तर्गत औद्योगिक खपत की सभी मदें आ जायें।

माल गोदाम में रखने की व्यवस्था—सम्प्रति जो वस्तुएं इस सुविधा की पात्र हैं उनके बारे में कुछ विशेष धारणा है। वर्तमान में इस सुविधा को अन्य वस्तुओं के संबंध में लागू करना संभव नहीं है।

मूल्याँकन :——मूल्यांकन संबंधी नियमों में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं और स्थिति की समीक्षा की जाती है।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री जी ने यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया है कि लोक हित अथवा किसी अन्य हित को ध्यान में रखकर उन सुझावों को नहीं बताया जा सकता जो बंगाल वाणिज्य मंडल ने दिए है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है जबकि समाचार पत्रों में वह पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। क्या यह सच है कि बंगाल वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष श्री भूटालिया ने वित्त मंत्रालय को एक सुझाव दिया है कि थोक मूल्यों पर केन्द्रीय उत्पादन कर लगाने की जो वर्तमान प्रणाली है उसके बदले पहले वस्तुओं पर कर लगाया जाये और बाद में मूल्य पर उत्पादन कर लगाया जाए। क्या सरकार को इस बात का पता है और यदि पता है तो उसकी इस सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : बजट पूर्व सत्र में जैसा कि यह सत्र है मैं सरकार की प्रतिक्रिया नहीं बता सकता इसलिए मैं ने माननीय सदस्यों एवं सदन को बताया था कि करारोपण के बारे में प्रस्तावों पर सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसे मैं नहीं बता सकता। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु आप हमें उन प्रस्तावों को बता सकते हैं। डा० रानेन सेन यह जानना चाहते थे कि क्या वाणिज्य मंडल से कोई प्रस्ताव आया है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : बंगाल वाणिज्य मण्डल ने जो अभ्यावेदन दिए हैं माननीय सदस्य को उनका पता है वह समाचार पत्रों में आ चुका है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई मोटे तौर पर ब्यौरा दे सकते है ?

डा० रानेन सेन : यह सुझाव पहुत पहले दिया गया था । अब थोड़े दिनों के बाद बजट पेश हो जायेगा। किन्तु यह सुझाव तो कई महीने पहले दिया गया था। इसलिए बजट का इससे कोई संबंध नहीं है ।

तथापि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि उन्होंने कहा है कि यदि कर बाद में लगाया जाये तो प्रत्येक एकक में उत्पादन अधिक होगा क्योंकि इस समय वर्तमान प्रणाली के कारण ऊंचे मूल्यों की वजह से उपभोक्ता प्रतिरोध कर रहा है जब कि फिर मूल्य कम हो जायेंगे और जनता अपनी पसन्द के अनुसार माल खरीद सकेगी ।

दूसरी बात यह कि क्या उन्होने कर प्रशासन की कोई सरलीकृत प्रक्रिया सुझाई है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है मैं अपनी प्रतिक्रिया बता सकता हूं किन्तु जहां तक अलग अलग वस्तुओं पर कर व समुची कराधान नीति का सम्बन्ध है मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं बता सकता ।

जहां तक प्रक्रिया का सवाल है हमारा सतत प्रयत्न रहा है और हम कतिपय उपाय भी कर चुके हैं। मूल्याकन के बारे में 50 (क) लागू करने के सम्बन्ध में हमने सरकार की प्रतिक्रिया बता दी है और भाण्डागारों की सुविधाओं के बारे में मैंने सरकार की प्रतिक्रिया बता दी है कि ये सुझाव हमें मान्य नहीं हैं।

भारत में स्वयंसेवी संगठनों को विदेशों से प्राप्त धनराशियाँ

+

***331. श्री देवेन्द्र सत्पथी :**
श्री अनादिचरण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ स्वयं सेवी संगठनों को विदेशों से संगठन के नाम अथवा व्यक्तिगत पदाधिकरियों के नाम धनराशियां प्राप्त हो रही है ;

(ख) यदि हां तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं तथा उन्हें वर्ष 1975-76 में कितनी धनराशि की सहायता प्राप्त हुई ; और

(ग) यह सहायता किन देशों से प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारत के कई संगठनों को विदेशों से धन प्राप्त होता है ।

(ख) और (ग) "स्वैच्छिक संगठन" शब्द बड़ा व्यापक है और इसके अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, छोटे बड़े दोनों प्रकार के अनेक संगठन आ सकते हैं, और इसलिए ऐसे सभी संगठनों की सूची तैयार करना बहुत कठिन है । दूसरे रिजर्व बैंक केवल दस दस हजार रुपयों से अधिक राशि की प्रेषणाओ के बा में सूचना संकलित कर सकता है क्यों कि वर्तमान कार्य प्रणाली के अन्तर्यत विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों को केवल उन प्रेषणाओं

के प्रयोजन का विस्तृत ब्यौरा देना पड़ता है जो इस राशि (10,000 रुपये) से अधिक की हो। तीसरे, यदि रिर्जव बैंक को "स्वैच्छिक संगठनों" की सूची दे भी दी जाय तो अधिकृत डीलरां से जिनकी संख्या बहुत अधिक है, आधारभूत सूचना एकत्रित करने में और आवश्यक सूचना संकलित करने में काफी समय लगेगा और काफी प्रयन्न करना पड़ेगा और यह मेहनत उसस निकलने वाले परिणाम की तुलना में बहुत अधिक होगी। अन्तिम बात यह है कि 1975–76 के बारे में इस समय सूचना इकटठी करनी सम्भव नहीं है क्यों कि वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री देवेन्द्र सत्पथी : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया अर्थात् उन्होंने उन देशों के नाम नहीं बताये जिनसे सहायता मिली।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : विदेशी सामचार पत्रों में सी० आई० ए० की गतिविधियों का उल्लेख हो चुका है। वहीं जानकारी हमारे पास है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उन देशों के नाम पूछे हैं जिनसे सहायता मिली।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ऐसे देशों के नाम बताना अच्छा नहीं होगा ....(**अन्तर्बाधा**)

श्री बसन्त साठे : यह बात समझ में नहीं आती कि हमें सी० आई० ए० से जानकारी मिलती है परन्तु रिजर्व बैंक जानकारी नहीं दे सकता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सच यह है कि हमें अपनी आन्तरिक गुप्त सूचना सेवा से और विभिन्न विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह ज्ञात हुआ है कि सी० आई० ए० की गतिविधियां विभिन्न देशों में चल रहीं हैं ..(**अन्तर्बाधा**)।

Shri Anadi Charan Das : The hon. Minister is evading reply to our Question. He had ample time to collect the relevant data. I want to know the activities of the varicus organizations such as Gandhi Peace Foundation. How much money they have been receiving and from where ? How are they spending that money ? Was that money spent on J. P. movement ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं भी इसे पूरी तरह अनुभव करती हूं। मैं रिकार्ड में यह बात लाना चाहूंगी कि सरकार को इन सबकी जानकारी है। वास्तव मे यह प्रश्न पहले भी कई बार इस सभा में उठाया गया था और इस पर चर्चा हो चुकी है। इसी को लेकर विदेशी सहायता विधेयक लाने का निर्णय लिया गया था। इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट राज्य सभा के विचाराधीन है। यह रिपोर्ट इस सभा में आने पर इन सभी मामलों पर चर्चा की जायेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : यद्यपि सरकार से तो नहीं परन्तु विभिन्न समाचारपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि इस देश में अनेक संगठनों को विदेशों से वित्तीय सहायता मिल रही है। मैं मंत्री महोदय से कम से कम यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य की जानकारी उनके मंत्रालय को है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस नाम का एक संगठन, जो भारत में विद्यार्थियों के बीच उग्र राष्ट्रवादी तथा भाषायी आन्दोलन पिछले पांच वर्षों से आयोजित कर रहा है, कुछ देशों से सीधे वित्तीय सहायता पा रहा है और दूसरे इण्डियन असेम्बली आफ़ यूथ नामक संगठन जो परिवार नियोजन

कार्यक्रमों के नाम से अपनी गतिविधियां सक्रिय रूप से चला रहा है, विदेशों से कई लाख डालर की वित्तीय सहायता प्रति वर्ष ले रहा है। क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है और यदि नहीं तो क्या वह इसकी जांच करने को तत्पर है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हम इस विशिष्ट जानकारी के लिए आभारी हैं। शायद गृह मंत्रालय के पास इन सभी संगठनों की जानकारी न हो परन्तु सदस्य महोदय ने चूंकि इन दो स्वैच्छिक संगठनों के नाम बताये हैं, इसलिए इसकी जांच की जायेगी। हमें मालूम है कि अनेक ऐसे स्वैच्छिक संगठन ऐसी गतिविधियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं जोकि हमारे देश के हित में नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशों से आने वाली सभी धनराशियां रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राप्त होती हैं और यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक को यह पता नहीं है कि किन-किन संगठनों को विदेशी सहायता मिली विशेषकर बड़ी-बड़ी रकमो के बारे में जोकि विदेशी सहायता के रूप में किन लोगों को मिलीं? यह जानकारी न देने के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह निश्चित रूप से प्रश्न से सम्बन्धित है। रिजर्व बैंक ऐसी जानकारी एक सीमा से अधिक रकम के बारे में ही विशिष्ट प्रयोजन के लिए एकत्रित करता है। इसलिए इस बारे में विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। सैकड़ों एजेन्सियों को इस दिशा में प्राधिकृत किया गया है और उनकी जानकारी इकट्ठा करना ऐसी जानकारी से मिलने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह जानकारी पूरी तरह इकटठी नहीं कर सकते, तो कम से कम 10,000 डालर से अधिक की रकमों के बारे में जानकारी इकटठी की जाये। मेरे विचार से यह सुझाव युक्तिसंगत है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं भी यह अनुभव करती हूं. . . (**अन्तर्बाधा**)।

श्री त्रिदिव चौधरी : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस जानकारी से जो लाभ मिलेगा वह इस जानकारी को इकटठा करने में होने वाली कठिनाई और व्यय के अनरूप नहीं होगा। जानते हुए या अनजाने में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि गृह मंत्रालय तक के पास यह जानकारी नहीं है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि प्रधान मंत्री देश में हरेक ऐसी विदेशी जासुसी एजेन्सियों की गतिविधियों से चिन्तित हैं जोकि स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपना कार्य कर रही हैं। मैं किसी विशेष मंत्रालय से नहीं अपितु सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समस्या के प्रति उनका ध्यान गया है और क्या इस सभा और देश को यह आश्वासन दिया जायेगा कि इस प्रकार की विदेशी सहायता की छानबीन के लिए और उसे रोकने के लिए कौनसे आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार का ध्यान इस स्थिति की गम्भीरता की ओर गया है। विधेयक में तीन प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था है अर्थात क्या इसका पूर्णत: निषेध किया जाये, या इस पर पूर्व नियंत्रण हो या इसकी सूचना विभिन्न शिक्षा संस्थाओं आदि द्वारा दी जानी चाहिए। आशा है कि यह विधेयक इस सभा के अगले सत्र में रखा जायेगा। उस समय इन सभी पहलुओं पर चर्चा की जायेगी।

श्री न्द्रजीत गुप्त : मुझे विश्वास है कि हमारी तरह आपका ध्यान भी इस ओर गया होगा कि आज जो भी उत्तर दिये गये हैं उनसे सरकार द्वारा पूरी तरह सतर्कता न बरते जाने का पता लगता है, जबकि आपातकाल की घोषणा विदेशी हस्तक्षेप तथा तोड़-फ़ोड़ को रोकने के लिए की गई थी।

उन्होंने थोड़ी देर पहले प्राधिकृत एजेन्सियों का उल्लेख किया था। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जिसके अन्तर्गत इस देश में कतिपय संगठनों को नियमित रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। यदि हां, तो क्या वह ऐसी एजेन्सियों के नामों की सूची और उन देशों के नामों की सूची जिनसे वे सहायता प्राप्त करती हैं सभा-पटल पर रखेंगी ?

एक माननीय सदस्य : और वे प्रयोजन भी जिनके लिए वे सहायता प्राप्त करती हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं यथासम्भव प्रयत्न करूंगी।

श्री न्द्रजीत गुप्त : आप इस देश को विदेशी तोड़-फ़ोड़ की कार्यवाहियों से क्यों नहीं बचाते ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह भी सच है कि गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री के अधीन अनुसंधान तथा विश्लेषण विंग को इसकी पूरी जानकारी है कि कुछ व्यक्ति नियमित रूप से दिल्ली स्थित दूतावासों में जाते हैं और धन प्राप्त करते हैं और क्या आपने उन पर कोई रोक लगाई है और क्या सरकार ने इस पर कोई निगरानी रखी है ? प्रश्न दस हजार या बीस हजार या लाख रुपयों का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आप गृह मंत्री से पूछें। अब अगला प्रश्न होगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अतिरिक्त रोजगार योजना और लघु उद्योग योजना हेतु ऋण

*332. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1974–75 में और 31 दिसम्बर, 1975 तक अतिरिक्त रोजगार योजनाओं और लघु उद्योग योजना हेतु कुल कितना ऋण दिया; और

(ख) उसी अवधि में बड़े उद्योगों और विशेषकर एकाधिकार गृहों को, जो एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत आते हैं कुल कितना ऋण दिया गया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रमों (पांच लाख रोजगार कार्यक्रम और अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रम सहित) के अंग के रूप में चलाई गई योजनाओं और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए बैंकों द्वारा

दिये गये अग्रिमों के उपलब्ध आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं :—

विशेष नियोजन कार्यक्रम के अंग के रूप में चलाई गई योजनाओं के लिये और छोटे पैमाने के उद्योग के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि

	बकाया अग्रिम (करोड़ रुपयों में)	
	जून, 1974 के अन्त तक	जून, 1975 के अन्त तक
रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम . . .	11.7	34.1
छोटे पैमाने के उद्योग .	868.3	942.7

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े और मध्यम उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि का संबंध है, यह राशि दिसम्बर, 1974 के अंत में 3614 करोड़ थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये गये आंकड़ों से पता चलता है कि दिसम्बर, 1974 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों को दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि 805.7 करोड़ रुपये थी।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जो विवरण दिया गया है वह तो सही है परन्तु मेरे प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार में मंत्रालय 31 दिसम्बर, 1975 तक के आंकड़े एकत्र नहीं कर सका है। तथापि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो निर्धन और पददलित लोगों की तथा बेरोज़गार युवकों की भी सहायता करना था न कि बड़े-बड़े एकाधिकारी गृहों और औद्योगिक गृहों की। इसी भावना के आधार पर, लोगों में बड़ा उत्साह था जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब उत्तर में यह बताया गया है कि रोज़गार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन जून, 1974 तक 11.7 करोड़ रुपये और जून, 1975 तक 34.1 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योगों को 3,617 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अतिरिक्त रोज़गार योजना के अधीन आवेदन-पत्रों के द्वारा देश के युवकों ने तथा छोटे पैमाने के उद्योगों ने वास्तव में कितनी अग्रिम राशि की मांग की थी और इस मांग को जून, 1974 तक और जून, 1975 तक कहां तक पूरा किया गया और कितनी प्रतिशत अग्रिम राशि दी गई?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, दिसम्बर 1975 तक के आंकड़े एकत्र नहीं किये जा सके हैं। इसलिये मैंने दिसम्बर, 1974 तक के आंकड़े दिये हैं।

मांग के बारे में यह बताना तो कठिन है कि इस की मात्रा कितनी थी, हां मैं बैंकों में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या और हम उनकी मांग को किस हद तक पूरा कर सकें हैं, यह सब मैं बता सकता हूं । इस योजना के अधीन जून, 1975 तक 67,761 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। मंजूर किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या 31907 थी। 25,000 आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए थे। 10822 आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन थे। इनमें 34 करोड़ या 3417.47 लाख रुपए अंतर्ग्रस्त थी ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या 1976 में अतिरिक्त रोजगार योजना के लिए ऋण देने पर नए प्रतिबंध लगाये गए हैं और क्या एकाधिकारी गृहों और बड़े-बड़े औद्योगिक एककों को ऋण देने और उनको वित्तीय सहायता देने के लिए नई छूट दी गई है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। शायद, यह कहना गलत होगा कि हम एकाधिकारी गृहों को सहायता दे रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास और देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी चाहिए उस के लिए वाणिज्यिक बैंक सहायता दे रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : राज्यों में बैंकों को प्राप्त हुए निक्षेपों की कितने प्रतिशत रकम विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्यों में छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को ऋण के रूप में दी गई ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : किसी पिछड़े हुए क्षेत्र विशेष से कितनी राशि जमा की गई और उसकी कितने प्रतिशत राशि रोजगार योजना के लिये दी गई, यह तो एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है जिसका उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बड़े-बड़े गृहों या औद्योगिक क्षेत्रों को दिये गये प्रोत्साहन के कारण आज उन्नत प्रदेशों की तुलना में पिछड़े हुए प्रदेशों में जमा की गई और अग्रिम के रूप में दी गई राशि का जो अनुपात है वह अनुकूल है और यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और जमा राशि के अनुपात में कुछ असंतुलन है और ऋण देते समय इस बात पर अधिकाधिक बल दिया जाता है कि अपेक्षित क्षेत्र को सहायता मिले। यदि माननीय सदस्य आंकड़े जानना चाहते हों, तो मैं दे सकता हूं। इस मामले में हुई प्रगति के साथ-साथ मैंने पहले ही कुछ आंकड़े दे दिये हैं। तथापि पिछड़े हुए प्रदेशों में ऋण–जमा अनुपात सम्बन्धी आंकड़े मेरे पास अभी तैयार नहीं हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री ने बताया है कि लगभग 25,000 आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये हैं और कुछ मंजूर किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें अस्वीकार करने तथा मंजूर करने का आधार क्या है ? क्या उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई राजनीतिक मापदंड है ? मैं जानना चाहता हूं कि बेरोजगार युवकों के कितने प्रतिशत आवेदन-पत्र अस्वीकार किये गये हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस के लिये कोई राजनीतिक मापदंड नहीं है। इसके लिये एक ही कसौटी है और वह आर्थिक कसौटी है। अस्वीकार किये गये आवेदन-पत्रों के बारे में यह स्पष्ट कर दिया जाये कि ये योजनायें राज्य प्रशासनों द्वारा प्रायोजित की जाती हैं। मैं राज्यों के नाम नहीं देना चाहता हूं। हम ने पाया है कि कुछ राज्यों में, जहां राज्य प्रशासन ने पहल की है और उन्होंने उद्यमियों के आवेदन-पत्रों की छानबीन की है, वहां अस्वीकार किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या बहुत ही कम है और जहां राज्य सरकारों ने बैंकों को आवेदन-पत्र भेजने का केवल डाकघर का काम किया है, वहां विस्तृत छानबीन करने के पश्चात् यह पाया गया कि अस्वीकार किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक है। अतः यह एक ऐसा मामला है जिसकी ओर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं और यह सुनिश्चित करने तथा ऐसी प्रक्रिया का विकास करने के लिये, जिससे अस्वीकार किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या कम हो जाये, हम राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को इतना बता सकता हूं कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। 100 आवेदन-पत्रों में से 41 मंजूर किये गये, 21 अस्वीकार किये गये तथा 38 विचाराधीन थे। अब 1975 में प्रत्येक 100 आवेदन-पत्रों में से मन्जूर किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या 41 से बढ़ कर 47 और विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या 38 से कम हो कर 16 हो गई है। राज्य प्रशासनों की सहायता और उनके सहयोग से हम इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से सुधार सकेंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह तो एक सन्तोषप्रद बात है कि बैंककारी संस्थाओं ने 44 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी। मेरी प्रार्थना यह है कि ये संस्थायें भी ठीक तरह कार्य करें। इन संस्थाओं ने बड़े-बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देनी बन्द कर दी है और यदि आगे भी यही हाल रहा तो, मुझे डर है, वे अपने कारखाने बन्द कर देंगे और उत्पादन घट जायेगा। क्या मंत्री महोदय इनको पर्याप्त निधियां उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार करेंगे जिससे बड़े-बड़े उद्योग चलते रहें और उत्पादन में वृद्धि हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न छोटे उद्योगों के बारे में है ना कि बड़े उद्योगों के बारे में। अगला प्रश्न।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं इस प्रश्न के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हमने यह प्रश्न सरकार से कुछ विशिष्ट जानकारी लेने के लिये भेजा था। परन्तु इस प्रश्न को इतना बदल दिया गया है कि यह वह प्रश्न लगता ही नहीं है जो हम ने उत्तर के लिये भेजा था। मुझे आशा है कि इसमें यह फेर बदल आप की अनुमति से ही किया गया होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिये। मैं अभी इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। कृपया इसे बाद में मेरे पास लाइयेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं आप का ध्यान इसलिये दिला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस मामले पर विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची तो 5 दिन पूर्व छप गई थी। आपने मुझे पहले लिखा होता। मैं अभी इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह तो एक बहुत ही पारिभाषिक उत्तर है। मैं बाद में आप के पास आऊंगा। मैं अपना प्रश्न पूछूंगा।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

+
*333. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :
डा० सरदीश राय :

क्या वित्त मंत्री कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के बारे में 2 मई, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8425 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे खेद है कि उन्हें यह उत्तर देना पड़ा है और इसलिए यह प्रश्न इस तरह विकृत किया गया है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पिछले दो अवसरों पर, जिनका उल्लेख प्रश्न में किया गया है, सदन में मंत्री जी ने यही उत्तर दिया था और यदि इस कम्पनी के बारे में 1974 से अब तक जांच ही चल रही है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हिन्दुस्तान सेनिटरी वेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज, बहादुरगढ़ के बारे में इस कम्पनी का कोई अधिकारी अथवा कोई निदेशक विदेशी मुद्रा विनियमन और सीमा शुल्क अधिनियम के उल्लंघन के बारे में इस जांच के सिलसिले में हरियाणा में गिरफ्तार किया गया है । यदि हां, तो मैं उनके नाम जानना चाहूंगा । इसके अलावा मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें रिहा कर दिया गया है और यदि हां, तो किस शर्त पर । उन पर क्या आरोप लगाये गये हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह कबूल करूंगी कि इस जांच में कुछ अधिक समय लग गया है और ये प्रश्न पहले भी रखे जा चुके हैं लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं , एक का अधिक सम्बन्ध आयकर विभाग से है और दूसरे का विदेशी मुद्रा से सम्बन्ध है अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन से ।

अब जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघन का प्रश्न है, यह मामला तब उठा जब उस व्यक्ति ने यह जानकारी दी, लेकिन , तब उस आदमी का पता नहीं लगा है । उस व्यक्ति के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त किए बिना मामले की आगे जांच पड़ताल करना मुश्किल था । इस बीच कुछ और जानकारी मिली है और मैं समझती हूं अब हम इस मामले में और आगे कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदया द्वारा इस प्रकार का उत्तर दिए जाने से मुझे फिर बहुत निराशा हुई है । वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने कुछ समय पहले कहा था कि सी०बी०आई० इस मामले की जांच करेगी । क्या सी०बी०आई० केवल इतना ही मालूम कर सकी कि मुखबिर भाग गया है । मेरा यह पक्का विश्वास है कि वे और अधिक जानकारी दे सकते थे, यदि हां, तो वे तथ्य क्या हैं और क्या सरकार ने रेवेन्यू इन्टेलीजेंस तथा अन्य जांच एजेंसियों से इस मामले की जांच करने को कहा है और तीसरी बात यह कि क्या इस कम्पनी का अध्यक्ष श्री एस०एल० सोमानी वह व्यक्ति है जिसने पिछले चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था और

तथाकथित "पूर्ण क्रान्ति" के भारी वित्तपोषकों में से एक था। मैं इन बातों के बारे में जानकारी चाहूंगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: प्रश्न के पहले भाग का जहां तक सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, आयकर के बारे में जांच-पड़ताल अब भी चल रही है। जहां तक किसी दल का आदमी होने का सम्बन्ध है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है।

डा० सरदीश राय: इस प्रश्न का सम्बन्ध वर्ष 1974 से है। यह प्रश्न सर्व प्रथम मई में और फिर मई, 1975 में रखा गया था। किन्तु अब तक इस श्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सोमानी ब्रदर्स जो मुख्यतः कलकत्ता में कार्य-संचालन कर रहे थे, हरियाणा, राजस्थान और बम्बई में भी कार्य संचालन कर रहे थे और क्या उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा और सीमा शुल्क विनियमों के उल्लंघन के आरोप हैं और क्या इस कम्पनी के कुछ कर्मचारी विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के सिलसिले में कुछ दिन पूर्व हरियाणा में गिरफ्तार किये गये हैं और यदि हां, तो क्या इन अपराधों के बारे में सी०बी०आई० के माध्यम से उचित जांच करवाई जायेगी अथवा नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: इस सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों का सम्बन्ध है मैंने शुरू में ही कहा था कि इसमें कुछ अधिक समय लग गया है। हम जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रिय ंजन दास मुन्शी: आपात स्थिति के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लघंन के लिए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और इन छापों तथा गिरफ्तारियों के दौरान भारत स्ि त बहुराष्ट्रीय निगम एकक के प्रबन्धकों के कोई कर्मचारी भी गिरफ्तार में आये थे?

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मैं इस बारे में जवाब नहीं दे सकूंगी क्योंकि प्रश्न किसी विशेष मामले से सम्बन्धित है।

सेवा मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को जीवन बीमा निगम द्वारा वरिष्ठता प्रदान किया जाना

*334. **श्री बसन्त साठे**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबकि बहुत से सरकारी उपक्रमों ने अपने यहां रोजगार पर लगे सेवामुक्त आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वरिष्ठता प्रदान कर दी है मगर जीवन बीमा निगम ने ऐसा नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार को इन अधिकारियों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क), (ख) और (ग). कतिपय सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से, जिन्हें अब जीवन बीमा निगम में नियुक्त किया गया है, उनके द्वारा सेना में की गई सेवा के आधार पर वरिष्ठता प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। परन्तु अभी तक भारत के जीवन बीमा निगम ने सेवामुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया है।

श्री वसन्त साठे : श्रीमन्, 1962 के चीन आक्रमण के समय राष्ट्रीय आह्वान के अनुसरण में इन नौजवानों ने सेना में आपात कमीशन लिया और राष्ट्र के हित में अपने जीवन का पांच-छह वर्ष का मूल्यवान समय दिया। इसके पश्चात् जब सरकार ने यह देखा कि आपात स्थिति समाप्त हो चुकी है और उसे इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं रही है तो उसने इन आफिसरों को सेवा-मुक्त करने का निश्चय किया और सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था की। केन्द्रीय सरकार के अधीन सीधी भर्ती के मामले में अर्थात् सैनिक कमीशन आफिसर के रिक्त आरक्षण नियम, 1971 के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रखी जाती है अर्थात् उन्होंने जितने समय तक सेना में सेवा की हो वह काल भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह अधिसूचना अन्य सरकारी उपक्रमों को भी भेजी गई। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों के बारे में क्या कसौटी रखी गई है ? क्या वे इन नियमों के विपरीत भूतपूर्व सेवा का लाभ न देने का निर्णय ले सकते हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आधारभूत प्रश्न यह था कि इन आफिसरों का पुनर्वास किया जाये और उन्हें नौकरियों में लगाया जाये और इस प्रयोजन से राष्ट्रपति ने 1971 में ये नियम बनाये। जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है, उन्हें कोई निदेश जारी नहीं किये गये हैं। जहां तक स्वायत्तशासी निकायों का सम्बन्ध है उनसे यथा सम्भव इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है परन्तु यह उनके लिए अनिवार्य नहीं है।

श्री वसन्त साठे : आपने सरकारी उपक्रमों को निदेश दिये हैं, परन्तु क्या अब आपका यह कहना है कि सरकारी उपक्रम इस तकनीकी आधार पर कि ये निदेश आबद्धकारी और अनिवार्य नहीं हैं, इन सरकारी निदेशों को मान्यता नहीं देते ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरा यह कहना नहीं है। जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए नौकरियों में आरक्षित स्थानों का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में जो निदेश जारी किये गये हैं, उनका पालन होना अनिवार्य है, परन्तु जहां तक कमीशन प्राप्त आफिसरों का प्रश्न है, उनके लिए आरक्षण सरकारी उपक्रमों पर छोड़ा गया है।

श्री वसन्त साठे : मैं केवल इन निदेशों के पालन की अनिवार्यता का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ये निदेश नहीं हैं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मंत्री ने कहा है कि ये निदेश नहीं थे परन्तु इनका यथा-सम्भव पालन करने के लिए कहा गया था। अतः प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकारी उपक्रम उसके अनुरोध में जो भावना निहित है उसे क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं निदेश और भावना में अन्तर निकालने की कोशिश में नहीं हूं वरन् तथ्य यह है कि ये सुझाव हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए परन्तु हम उन्हें निदेश के रूप में पालन करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। निदेश तो सरकारी नीति के लिए जारी किये जाते हैं परन्तु इस मामले को सरकार पर छोड़ा गया है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इस बात से सन्तुष्ट हैं कि सरकारी उपक्रम इनका उसी भावना के साथ पालन कर रहे हैं जो उन्हें बतायी गयी थी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या सरकार को मालूम है कि लगभग 200 ऐसे आपात कमीशन प्राप्त आफिसर, जो अब स्टेट बैंक तथा जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी उपक्रमों में नौकरी में लगा लिये गये हैं, इसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ? विशेषकर क्या यह सच नहीं है कि जीवन बीमा निगम तथा इसी तरह की अन्य संस्थाएं यद्यपि इन कमीशन प्राप्त आफिसरों को कतिपय प्रसुविधाएं तो दे रहे हैं, परन्तु भूतपूर्व सेवा की वरिष्ठता के मूलभूत लाभ से उन्हें वंचित कर रहे हैं और इस प्रकार दी गई अन्य दो प्रसुविधाएं अर्थहीन हो गई हैं ? क्या कारण है कि सरकार को इन संस्थाओं पर अपना अनुकरण करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए क्योंकि इन प्रतिभाशाली नौजवानों ने सरकार की अपील को मानकर सेना में प्रवेश किया और वहां योग्यतापूर्ण सेवा की ? यदि उन्होंने सेना में सेवा स्वीकार न की होती, तो उन्हें अपनी वरिष्ठता मिल गई होती ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वरिष्ठता का लाभ किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा नहीं दिया गया है । एक सरकारी उपक्रम ने वेतन का लाभ तो दिया है परन्तु वरिष्ठता का लाभ किसी भी सरकारी उपक्रम ने नहीं दिया है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का वेतन ढांचा

*335. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति बनाई गई थी ;

(ख) क्या उक्त समिति ने वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें कब क्रियान्वित की जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क), (ख) और (ग). यदि इसका संदर्भ केन्द्रीय सरकार के विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने से है तो तीसरा वेतन आयोग इस पर पहले ही विचार कर चुका है । परन्तु यदि इसका संदर्भ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने से है तो उत्तर नकारात्मक है और इसके अनुसार भाग (ख) और (ग) के सवाल पैदा नहीं होते ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that the pay scales recommended by the Third Pay Commission had certain anomalies and is it also a fact that the attention of Government was drawn to these anomalies by the trade unions of the employees of the Central Government and public sector undertakings? If so, what is the reaction of the Government thereto and what decision has been taken ?

Shrimati Sushila Rohatgi : It has always been our endeavour to remove such anomalies and distortions as soon as possible.

Shri Ramavtar Shastri : Has any step been taken to remove them ?

Mr. Speaker : Efforts are being made.

Shri Ramavtar Shastri : Is it a fact that there is a great disparity between the pay scales of Central Government employees and those of the public undertaking employees? If so, what action is being taken or is proposed to be taken by the Government to remove that disparity?

Shrimati Sushila Rohatgi : It has already been admitted that there are such disparities and as such it has been decided to ask the public undertakings to seek prior approval or concurrence for future proposals for any further pay revisions.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा उठायी गई आवश्यकता पर आधारित मजदूरी की मांग की ओर गया है ? सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा जब यह मांग उठायी गई थी, तब सरकार ने कहा था कि वह यह मजदूरी इस समय देने की स्थिति में नहीं है और स्थिति सुधरने पर इस दिशा में विचार किया जायेगा। अब सरकार की स्थिति 1500 करोड़ रुपये का काला धन मिल जाने पर सुधर गई है। क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की दीर्घ काल से चली आ रही इस मांग पर, जिसके लिए उन्होंने हड़ताल की, परेशानियां उठायीं और जेल गये, पुनः विचार किया जायेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक युक्तिसंगत और एकीकृत मजदूरी आय सम्बन्धी नीति का प्रश्न है उसकी आवश्कता को महसूस किया गया है ...... । सरकारी राजस्व में 1500 करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है उस पर बजट के समय विचार किया जायेगा।

Shri Lalji Bhai : As the hon. Minister has said that Government are considering that question, I want to know the time by which it would be finally decided ?

Mr. Speaker It is difficult to indicate the time.

चम्बल क्षेत्र के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण

*336. **श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ चम्बल क्षेत्र के विकास के लिए ऋण देने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : जी, हां। विश्व बैंक ने 19 जून, 1974 को राजस्थान की चम्बल सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 5.2 करोड़ डालर का एक ऋण दिया है इस ऋण के ब्याज की दर $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत है और यह 25 वर्षों में चुकाया जाना है जिसमें 7 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है । इस ऋण के मूलधन की न ली गई रकम पर एक प्रतिशत के $\frac{3}{4}$ की वार्षिक दर से वचनबद्धता प्रभार भी दिया जाना होता है। 20 जून, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है और आसान शर्तों पर ऋण देता है, मध्य प्रदेश की चम्बल सिंचाई क्षेत्र परियोजना के लिए 2.4 करोड़ डालर का एक ऋण दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

द्वारा दिए गए ऋण 50 वर्षों की अवधि में चुकाये जाने होते हैं जिनमें दस वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। इन पर कोई ब्याज नहीं लगता लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत के 3/4 की वार्षिक दर से सेवा प्रभाव देना पड़ता है।

Shri Chandra Bhal Mani Tewari : Is Government considering to seek more loans to implement the development projects already in hand as well as those which can be taken up in future ? Apart from obtaining loans from the World Bank, whether loans are being sought from Arab and other countries who can provide them ?

Shrimati Sushila Rohatgi : So far as the first question is concerned, it is a specific question in regard to the World Bank and I.D.A. and relates to the Chambal Area. But so far as the other question is concerned, we have been making efforts in this regard continuously and will go on doing so in future also.

गोरखपुर में सिविल हवाई अड्डा

*337. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर में एक सिविल हवाई अड्डा बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) गोरखपुर का हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। गोरखपुर में सिविल हवाई अड्डे का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Narsingh Narain Pandey : Is there any scheme under consideration of the hon. Member to resume air service there which was there in the past but was discontinued? Will he consider a proposal to construct a civil airport there ?

Shri Raj Bahadur : We will certainly think over it as to when and how a civil airport can be opened at Gorakhpur, but the difficulty is that the traffic there is much less. On an average there used to be three passengers only. Later on, Viscount and Dakota service could not be continued due to fuel crisis and therefore the scheme to have a civil air terminal there could not be implemented. Gorakphpur is, however, in our view always.

Shri Narsingh Narain Pandey : So far as the fact that there used to be only there passengers is concerned, it was in 1964 when the airport had been opened for civil traffic, the situation was quite different then. Gorakhpur has now become a very big developing town. A number of Buddhist pilgrims visit this town. Kushinagar is nearby and Lumbini, which is situated on the international border, is being developed with the assistance of this World Bank. There is Guru Gorakhnath temple and many Buddhists visit it. Keeping in view all these facts and other circumstances, will the hon. Minister consider any proposal to contruct a civil airport there soon, and if so, when is the air service likely to be started ?

Shri Raj Bahadur : I have myself highlighted the importance of this town keeping in view the fact that Buddhist monks from abroad visit this town. But the traffic is much less. Efforts will, however, be made to start this service soon.

मत्स्य बैंक

*338. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में समुद्री खाद्य उद्योग को वित्त उपलब्ध करने के लिए एक मत्स्य बैंक स्थापित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य प्रारम्भ करेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं। देश में मत्स्य बैंक की स्थापना करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में खाद्य की कमी से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे पूर्णतया: सुलझाना है, शाकाहार की कमी को मछली के आहार से पूरा करने के लिए मछली के विकास तथा इनको बड़े पैमाने पर गोदामों में रखने की व्यवस्था करने के लिए अधिक निविधान करने की दृष्टि से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और ये स्थापनायें भारत में कहां कहां स्थापित की जाएंगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कृषि मंत्री से सम्बन्धित है।

पिछड़े राज्यों के विकास के लिये सहायता

*339. **श्री राम सहाय पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि पिछड़े राज्यों के विकास के लिए सहायता देने के फार्मूले पर पुन: विचार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री राम सहाय पांडेय : श्रीमन, मंत्री महोदय ने उत्तेजक उत्तर दिया है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शुक्ल ने भारत सरकार से अनुसूचित जातियों और हरिजनों की दशा सुधारने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि वहां की एक तिहाई आबादी आदिवासियों और हरिजनों की है ? इन लोगों की दशा सुधारने के लिए 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस रकम में से 50 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ने सहायता के रूप में लिये हैं। शेष 205 करोड़ रुपये की रकम स्वयं राज्य सरकार ने जुटानी है। राज्य सरकार के लिए 205 करोड़ रुपये की रकम जुटाना असम्भव है। भारत सरकार ने बहुत ही कम रकम आवंटित की है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे और अधिक निधियां उपलब्ध करे। स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा है कि हरिजनों और आदिवासियों की दशा सुधारी जाये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मेरा इरादा माननीय सदस्य को उत्तेजित करने का नहीं था। मैं माननीय सदस्य का ध्यान मुख्य प्रश्न की ओर दिलाना चाहती हूं जो पिछड़े राज्यों के विकास के लिए सहायता देने के फार्मूले पर पुन: विचार करने के बारे में है। इस लिए मैंने अपना

उत्तर सहायता और फार्मूले के रूप तक ही सीमित रखा। मैंने यही कहा है कि फार्मूले पर पुन विचार करने के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं आया है। तथापि किसी राज्य विशेष में पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए अधिक सहायता देनी ही पड़ेगी।

श्री राम सहाय पांडेय : क्या मध्य प्रदेश में जनजाति के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रस्ताव है स्पष्टतया, क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने की कोई मांग की है? '

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, जो विभिन्न फार्मूले इस समय प्रयोग में लाये जा रहे हैं, वे पिछड़े राज्यों के लिए अधिक अनुकूल हैं। यह व्यवस्था लगभग संतोषजनक ही रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है यह एक दूसरा प्रश्न है।

श्री डी० बसुमतारी : यह तो एक संतोषजनक बात है कि पिछड़े क्षेत्रों सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन हैं। मेरी प्रार्थना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न भी इसी में शामिल कर लिया जाये। वर्तमान नियमों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण सुगमता से नहीं मिलता है। जब तक कि नियम को शिथिल न बनाया जाय, तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बिना प्रत्याभूति या जमानत के ऋण उपलब्ध नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन् फार्मूले के अतिरिक्त, जनजाति विकास के अधीन पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। यह ठीक है कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है। परन्तु इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए कि यह सहायता पर्याप्त नहीं है, इसके लिए विशेष व्यवस्था है। इस वर्ष जनजाति विकास के लिए 18.8 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृत्रिम कपड़ा उद्योग

*328. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम कपड़ा उद्योग मूल्यों के अपेक्षतया ऊंचे स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से उत्पादन में कटौती करने के उपायों का बराबर सहारा ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उद्योग को पूरी क्षमता के अनुसार चलाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या उद्योग पर उत्पादन शुल्क का भारी बोझ है और उसे कच्चे माल की कमी और उसके ऊंचे मूल्यों की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मानव निर्मित वस्त्र उद्योग में अनेक प्रकार के रेशे और यार्न आते हैं और उनमें से प्रत्येक क्षेत्र की समस्याएं भिन्न-भिन्न हैं। वर्ष 1975 में जहां विस्कोज़ स्टेपल रेशा और विस्कोज़ फिलामेंट यार्न बनाने वाले एककों ने मांग

अपर्याप्त होने के कारण स्थापित क्षमता से कम कार्य किया वहां नायलन फिलामेंट यार्न और पोलिस्टर रेशा बनाने वाले एककों ने उन्हें अपेक्षित कच्चा माल पर्याप्त रूप में उपलब्ध न होने के कारण क्षमता से कम कार्य किया।

(ख) विस्कोज स्टेपल रेशा एकक मांग बढ़ने पर पूरी क्षमता से कार्य कर सकते हैं। विस्कोज फिलामेंट यार्न एकक पिछले कुछ महीनों से पूरी क्षमता के मुताबिक कार्य कर रहे हैं। नायलन फिलामेंट यार्न एककों और पोलिस्टर रेशा एककों द्वारा क्रमशः अपेक्षित कैप्रोलेक्टम और डी०एम०टी० के आयात के लिये सरकार द्वारा उपाय किये गये हैं।

(ग) रेशे, यार्न और मानव निर्मित वस्त्र विनिर्माताओं की विभिन्न एसोसिएशनों द्वारा सरकार से अभ्यावेदन किये जाते रहे हैं जिनमें यह शिकायत की गई थी कि ऊंचे उत्पादन शुल्क लगाये गये हैं। जब तक आयातों की व्यवस्था नहीं की गई कैप्रोलेक्टम और डी०एम०टी० की कमी रही। कैप्रोलेक्टम और डी०एम०टी० के स्वदेशी उत्पादकों द्वारा पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय से परामर्श करके कीमतें निर्धारित की जाती हैं। किन्तु ये कीमतें उपरोक्त कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से ऊंची हैं।

यात्रियों को इण्डियन एयर लाइन्स की यात्रा एवं छुट्टी सम्बन्धी रियायतें

***330. श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत, विशेषकर कोवालम की यात्रा करने वालों को यात्रा एवं छुट्टी सम्बन्धी रियायतें देने की इण्डियन एयरलाइंस की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इंडियन एयर-लाइन्स, भारत पर्यटन विकास निगम से परामर्श करके पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये पैकेज यात्राओं की एक शृंखला प्रारंभ करने की संभावनाओं की जांच-पड़ताल कर रहा है। इन यात्राओं में दक्षिणी क्षेत्र की पैकेज यात्रायें भी शामिल होंगी और कोवालम, महबलीपुरम्, तिरूचिरापल्ली, बंगलौर, मैसूर आदि स्थानों को विशेष महत्व दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं।

अलौह धातुओं के आयात पर प्रतिबन्ध

***340. श्री मूल चन्द डागा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तांबा और जस्ता जैसी अलौह धातुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : तांबे और जस्ते के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों से आने वाली धनराशि

*341. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करों तथा प्रतिकर के रूप में भुगतान करने वाले गिरोह के विरुद्ध की गई कड़ी कार्यवाही के परिणामस्वरूप वर्ष 1975 के दौरान नियमित माध्यम से विदेशों से आने वाली धन राशि में हुई वृद्धि का व्यौरा क्या है; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि विदेशों से नियमित माध्यमों से आने वाली धनराशि में कमी न हो, क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अनुमान है कि निर्यात और सहायता के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशियों के अलावा वर्ष 1975 में, 1974 की तुलना में विदेशों से लगभग 360 करोड़ रुपए की राशि अधिक प्राप्त हुई।

(ख) तस्करों और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों के खिलाफ की जाने वाली कारवाई की रफ्तार बराबर कायम रखी जायेगी। इसके अलावा, विदेशों में रहने वाले भारतीयों से धन राशि प्राप्त करने के लिए हाल ही में जो सुविधाएं दी गई हैं उनसे भी उक्त राशि में वृद्धि होने की आशा है।

उड़ीसा के लिये स्वीकृत नई कताई मिलें

*342. **श्री डी० के० पंडा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए कुल कितनी नई कताई मिलें मंजूर की गई है और उनकी कुल लागत क्या है;

(ख) क्या यह संख्या उड़ीसा सरकार द्वारा की गई मांग एवं बुनकरों की संख्या के अनुरूप है;

(ग) क्या मिल 1976 में कार्य प्रारम्भ कर देंगी और उनका प्रस्तावित उत्पादन क्या होगा; और

(घ) उनमें से कितनी मिलें सरकारी क्षेत्र में हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) चतुर्थ योजना में एक मिल की स्वीकृति दी गई थी जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपये है। पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में दो कताई मिलों के लिए तथा एक सहकारी कताई मिल के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं। कुल लागत लगभग 14 करोड़ रुपये है।

(ख) लाइसेंस कताई एककों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर जारी किये गये हैं।

(ग) ऐसी सम्भावना नहीं है कि वे 1976 में उत्पादन शुरू कर देंगी।

(घ) दो।

विदेश कर प्रभाग

*343. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उनके मंत्रालय के विदेश कर प्रभाग का पुनर्गठन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

ऊन तथा ऊनी वस्त्रों का निर्यात

*344. **श्री धामनकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान कुल कितनी ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात किये गये और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ख) ऊन का निर्यात बढ़ाने हेतु किस प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। दिये जाने का विचार है;

(ग) क्या ऊनी वस्त्रों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कोई निर्यात बाजार सर्वेक्षण किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1974–75 के दौरान निर्यातित ऊन तथा ऊनी वस्त्रों का कुल मूल्य 67 करोड़ रु० था। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 74 करोड़ रु० के निर्यात होने की आशा है।

(ख) चयनात्मक आधार पर ऊनी निटवियर के निर्यात के लिए और ऊनी दरियों के निर्यात के लिए अप्रतिदेय करों और लेवियों की प्रतिपूर्ति और संवर्धनात्मक उपाय के रूप में नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रारंभ की गई है। हैंड-नाटेड कालीनों के निर्यात के लिए इस सहायता में वृद्धि कर दी गई है।

(ग) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि०, नई दिल्ली ने सामान्य मुद्रा क्षेत्र वाले देशों को ऊनी निटवियर का निर्यात बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम यूरोप और जापान में बाजार सर्वेक्षण किये हैं।

(घ) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० इन देशों को ऊनी निटवियर परिधान भेजने में सफल हुआ है। सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यदि निटवियर निर्यातक फैशनेबेल फैब्रिक्स तैयार करें और साथ ही निर्यात किये जाने वाले निटवियर की फिनिश की ओर ध्यान दें तो इन देशों में निर्यात बाजारों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया जा सकता है।]

Incentives to Small Cottage Industries

*345. **Shri B. S. Chowhan:**

Will the Minister of Commerce be pleased to state the effective steps recently taken by Government to provide incentives to small cottage industries in order to boost country's exports?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) :

Apart from liberalising the current import policy, reinforcing the institutional framework, steps have been taken to enlarge and strengthen the production base of small cottage industries so as to obtain increasing export surpluses by provision of necessary inputs (including credit) setting up of training centres for artisans, developing new designs for foreign markets and assisting in export marketing of the products.

चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौता

*346. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चैकोस्लोवाकिया के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) (1) वर्ष 1976 के लिए संलेख, 4 दिसम्बर, 1974 को हस्ताक्षरित दोनों देशों के बीच हुए उस व्यापार तथा भुगतान करार के ढांचे के अन्तर्गत है जो कि व्यापार संलेख के लिए मूल ढांचे की व्यवस्था करता है ।

(2) इस व्यापार संलेख में भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के बीच 1976 में 165 करोड़ रु० के कारोबार की व्यवस्था है ।

(3) चेकोस्लोवाकिया भारत से पटसन निर्मित वस्तुएं, तेल रहित खली, खालें तथा चमडियां तैयार चमडा तथा काफी जैसी परम्परागत मदों के अतिरिक्त, इंजीनियरी माल, तैयार भैषजीय उत्पाद, दस्ती औजार, छोटे औजार तथा पोर्टेबल औजार, आटोमोबाईल अनुषंगी सामान, सिलेसिलाए सूती परिधान । निलेनियम तथा अन्य फर्श बिछावन आदि जैसे बहुत से अपरम्परागत उत्पाद आयात करने के लिए सहमत हो गया है ।

(4) चेकोस्लोवाकिया से भारत के मुख्य आयातों में ये शामिल होंगे : ट्रैक्टरों के संघटक तथा फालतू पुर्जे मशीनी औजार, बैल्लित इस्पाती उत्पाद, चमड़ा बनाने की मशीनें आदि ।

Sale of Passenger Coaches, Wagons and Engines to various countries

1500. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of passenger coaches, rail wagons and engines exported in 1975 ;

(b) the foreign exchange earned as a result thereof ; and

(c) the number of coaches, wagons and engines for which orders have been received along-with the names of the countries which have placed these orders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh):

(a) During 1975, 80 coaches and 460 rail wagons were exported. No engine (locomotive) has been exported so far.

(b) As a result thereof Rs. 13·20 crores in foreign exchange have been earned.

(c) At present orders for supply of 17 coaches 1457 wagons and 20 engines (15 diesel and 5 steam) are in hand from Iran, Yugoslavia, Malaysia, Bangladesh and Tanzania.

ARREST OF SMUGGLERS

1501. **Shri Janeshwar Mishra**: Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) the number of smugglers arrested all over the country and specially in Uttar Pradesh during the period of emergency;

(b) whether a notorious smuggler of Allahabad was arrested in America; and

(c) the number of the members of his gang arrested?

Minister of State in Charge of Deptt. of Rev & Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) Under the COFEPOSA Act. 1974; 727 persons were detained after the declaration of emergency (i. e.. from 25-6-1975 to 24-1-1976) from all over the country. The above figures include 16 persons detained from Uttar Pradesh on the orders of the U. P. Government.

Under the Customs Act, 1962; 843 persons (figures for November are provisional) were arrested after the declaration of emergency till November 1975. This figure includes 27 persons arrested from Uttar Pradesh.

(b) & (c) One person of Allahabad was arrested in America alongwith four other Indian nationals.

स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर पर करों की बकाया राशि

1502. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर पर 1 जनवरी, 1976 तक उत्पाद शुल्क जैसे केन्द्रीय करों की कुल कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लि०, कानपुर पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अन्तर्गत (कर-निर्धारण वर्ष 1965–66 के लिए) लगाए गए दण्ड में से फर्म की तरफ 1 जनवरी, 1976 की स्थिति के अनुसार अब कुल 3,97,000 रुपये रकम बकाया है।

1 जनवरी, 1976 की स्थिति के अनुसार मसस स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि० की तरफ कोई धन-कर, दान-कर तथा सम्पदा शुल्क की रकम बकाया नहीं है।

इस कम्पनी की तरफ 1 जनवरी, 1976 की स्थिति के अनुसार कुल 34,654 रु० का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बकाया है।

(ख) जहां तक आयकर अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये दण्ड का सम्बन्ध है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील का निपटान होने तक वसूली रोक दी गई है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया रकम की वसूली को भी रोक दिया गया है, क्योंकि एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और एक अन्य मामले में इस पार्टी ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपीलीय समाहर्ता दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है।

सरकार का अतिरिक्त व्यय

1503. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 में बजट घाटे की राशि 900 करोड़ रु० है और सरकार ने इस वर्ष वाणिज्यिक बैंकों से 300 करोड़ रु० की राशि ली है :

(ख) इस 1200 करोड रुपये की राशि में से (एक) गैर विकास कार्यों पर तथा (दो) उत्पादन कार्यो पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) मुद्रा स्फिीति पर इस राशि का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सरकार का बजट तथा लेखे वितीय वर्षों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। पहली अप्रैल 1975 से 31 दिसम्बर 1975 तक की अवधि में, केन्द्रीय सरकार का बजट सम्बन्धी घाटा, जो राजकोष हुंडियों के निवल निर्गम तथा रोकड़ बाकी में होने वाली घट-बढ़ से आंका जाता है, 302 करोड़ रु० रहा। जहां तक वाणिज्यिक बैंकों से रुपया निकालने की बात है, रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के पास राजकोष हुंडियों की राशि में, पहली अप्रैल 1975 से 26 दिसम्बर, 1975 (वर्ष 1975 का अन्तिम शुक्रवार) तक की अवधि के दौरान 3 करोड़ रु० की कमी हुई। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बाजार उधारों में लगाई जाने वाली राशि सरकार का बजट सम्बन्धी एक सामान्य उपाय है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के अन्त तक के घाटे का अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जब प्राप्तियों तथा खर्च के संशोधित आंकड़े तैयार हो जाएंगे और ये 1976-77 के बजट अनुमानों के साथ ही संसद में पेश कर दिए जाएंगे। खर्च की विभिन्न मदों के अन्तर्गत परिव्यय के वितरण की जानकारी भी उसी समय होगी। जहां तक मुद्रा के फैलाव का प्रश्न है, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम ही है, भारत संसार के उन इने-गिने देशों में से है जहां थोक मूल्यों में गिरावट आ रही है और मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक है।

राज्यों को ऋण

1504. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के ऋणों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) गत वर्ष के घाटे के बजट का घाटा पूरा करने के लिए राजस्व के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(घ) गत वर्ष की बजट सम्बन्धी मांग पूरी करने के लिए विभिन्न राज्य कितना राजस्व एकत्र कर सके हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) राज्यों के 1974-75 के बजटों के अनुसार 31-3-1974 को राज्य के नाम कुल 11,618 करोड़ रु० के ऋणों का अनुमान था जो 31-3-1975 को बढ़कर 12,716 करोड़ रु० हो जाएगा।

(ग) और (घ) वर्ष 1974-75 के शुरू में और उसके अन्त में राज्यों की रोकड़ बाकी के अन्तर के अनुसार उस वर्ष के लिए राज्यों का बजट संबंधी घाटा 30.29 करोड़ रु० का था। केन्द्र राज्यों को अपने बजट संबंधी घाटे को कम करने या उसे खत्म करने के लिए साधन जुटाने और गैर-जरूरी खर्च में कटौती करने के लिए हमेशा सलाह देता रहता है।

उड़ीसा में हवाई अड्डे

1505. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास चालू वित्तीय वर्ष में नये हवाई अड्डों की स्थापना करने तथा वर्तमान हवाई अड्डों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उड़ीसा की राजधानी को विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों तथा उड़ीसा के जिला मुख्यालयों से लोग जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितना प्रावधान रखा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिमला में हवाई अड्डा

1506. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला म एक हवाई अड्डे की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : शिमला को हवाई सेवा द्वारा जोड़ने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। एक ऐसे स्थान का पता लगा लिया गया है जहां हवाई पट्टी का निर्माण किया जा सके।

Raid by Central Excise and Customs officers on the Premises of firms in Ujjain.

1507. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(*a*) whether any raid was conducted by the Central Excise and Customs Officers on the premises of M/s Vimal Chand Prem Chand and Kunj Company, Sarafa Bazar, Ujjain sometime at the end of 1974 and in the beginning of 1975 in which gold ornaments and primary gold were recovered in huge quantities and some unaccounted foreign goods were also recovered and if so, the value and the quantity thereof, separately; and

(*b*) the action taken against the firm?

Minister of State in charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee):

(*a*) Shop premises of the firm M/s Vimal Chand Prem Chand and residences of its two partners Shri Jamnalal Shiv chand Natani and Shri Kundanlal Bapuji Maru were searched by the Customs authorities on 3rd November, 1974. As a result of the search two seizures were made under Cutsoms Act details of which are shown below:—

Places searched	Articles recovered	Value Rs.
1 Residence of Shri Jamnalal Shivchand Natani . .	Foreign fabrics....23.6.Mtrs Foreign Cigarette Lighter..One	428·00
2 Residence of Shri Kundanlal Bapuji Maru . . .	Foreign Fabrics ..13·6 Mtrs.	125·00

On 4th November, 1974, bank locker of Shri Jamnalal Shivchand Natani was searched by Gold Control authorities and a seizure was made under Gold Control Act details of which are given below:—

Place searched	Weight of gold/Jewellery seized	Value Rs.
Bank Locker of Shri Jamnalal Shivchand Natani	Primary gold....26 gms. Gold ornaments....1624 gms. Silver coins....178 gms.	47.511

(*b*) All the three cases have been adjudicated departmentally. In the Customs cases booked against Shri Jamnalal goods under seizure were confiscated and a penalty of Rs. 100/— has been imposed.

In the Gold Control case booked against Shri Jamnalal, Primary Gold of 26 gms. was confiscated and a penalty of Rs. 15/- has been imposed. All gold ornaments under seizure have been ordered to be released.

In the Customs case booked against Shri Kundanlal goods under seizure were confiscated and a penalty of Rs. 50/ has been imposed.

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जालसाजी

1508. **श्री मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में हुई कथित जालसाजी के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक जांच दल ने जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) जांच दल के निष्कर्षों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) पर्याप्त विवरण अभाव में, अनुमान यह है कि संभवतः यह प्रश्न स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर की विशिष्ट रूप से 31 दिसम्बर 1972 की स्थिति के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निरीक्षण से संबंधित है।

भारतीय रिजर्व बैंकों ने सूचित किया है कि उसके द्वारा किये गये निरीक्षण के फलस्वरूप कुछ अनियमितताओं और कुछ जालसाजियों का भी पता चला है। ये अनियमितताएं मुख्यतः कुछ आवश्यक सुरक्षा संबंधी उपायों का पालन न करने के कारण थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि निरीक्षण अधिकारियों के निष्कर्षों के आधार पर, उक्त बैंक के प्रबधंकों ने आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी है जिसमें संबंधित पार्टियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।

Opening of Branches of Nationalised Banks in Madhya Pradesh

†1509. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the names of the places in Madhya Pradesh where branches of the State Bank of Indi or other Nationalised Banks were opened in 1975 and proposed to be opened in 1976; and

(b) whether priority will be given to the rural areas in opening of these branches?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. and Banking (Shri Pranab Mukherjee) : (*a*) Centrewise list of new branches of public sector banks opened during the year 1975 in various districts of Madhya Pradesh is set out at Annexure I. [*Placed in Library. See. No. L. T.* 10230/76]. Branch expansion work is undertaken by the banks within the framework of three-year rolling plans. Reserve Bank of India are currently engaged in the examination of branch expansion plans of public sector banks for the three year period 1976—78. However the names of the centre for which public sector banks are currently holding licences/allotments for opening branches in Madhya Pradesh are indicated in the Annexure II.

(*b*) Yes, Sir. Reserve Bank of India have advised all the commercial banks that while drawing up the three year rolling plans for branch expanison, they should ensure that a large number of offices are proposed in unbanked/ underbanked. rural and semi-urban areas, particularly in the districts having population per bank office exceeding 75.000.

राष्ट्रीय रक्षा पत्रों पर ब्याज

1510. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बारह वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्रों पर 23 जुलाई, 1974 से आनुपातिक ब्याज देने के प्रश्न पर क्या कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मौजूदा अल्प बचत सिक्योरिटियों पर ब्याज की दरों में 23 जुलाई, 1974 से वृद्धि कर दिए जाने के परिणामस्वरूप 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा सर्टिफिकेटों और ऐसे ही अन्य गैर-चालू सर्टिफिकेटों के परिपक्वता मूल्यों में समुचित वृद्धि करने के प्रश्न पर विधिवत विचार किया गया था और यह फैसला किया गया है कि इनमें ऐसी कोई वृद्धि न की जाये।

कांडला में निःशुल्क पत्तन सुविधाओं का उपयोग किया जाना

1511. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कांडला में निःशुल्क पत्तन सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके उपयोग में सुधार करने के लिये सरकार के पास योजनाएं हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रगति हो रही है चूंकि 1974–75 में निर्यात बढ़कर 1.60 करोड़ रुपये के हो गये जब कि 1966–67 में 7.49 लाख रुपये के निर्यात हुए थे। अप्रैल, 1975 से दिसम्बर, 1975 के बीच लगभग 1.47 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे। इस क्षेत्र में एककों की संख्या 1966–67 में एक से बढ़कर 1974–75 में 15 और 31–12–1975 को 20 हो गई।

तंजानिया को डीजल इंजनों का निर्यात

1512. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डीजल इंजन निर्यात करने के बारे में हाल ही में तंजानिया से एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० ने तंजानिया को 15 डीजल इंजन सप्लाई करने के लिये उस देश की सरकार के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) फालतू पुर्जों सहित इन 15 इंजनों का मूल्य 90 लाख अमरीकी डालर से ऊपर है। ये इंजन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी द्वारा बनाए जाएंगे। डिलीवरी, सितम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान होनी है।

तस्करों का अस्पतालों में उपचार

1513. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान तस्करी की गतिविधियों के संबंध में 'कोफे मोसा' अथवा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये कितने व्यक्तियों का अस्पतालों में उपचार किया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से अनेक व्यक्तियों को बीमार न होने पर भी अस्पतालों में दाखिल किया गया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

1514. **श्री टुना उरांव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान बैंकों की शाखायें खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): बैंकों द्वारा शाखा विस्तार का कार्य तीन वर्षीय रोलिंग योजनाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है । आजकल, भारतीय रिजर्व बैंक, 1976–78 की तीन वर्ष की अवधि में बैंकों की शाखाएं खोलने की योजनाओं की जांच कर रहा है । फिर भी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, वाणिज्यिक बैंकों के पास इस समय जो अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस)/आवंटन-पत्र बैंक शाखाएं खोलने के लिए शेष बचे हुए हैं, उनके सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो राज्यवार आंकड़े सूचित किये हैं, वे विवरण में दिये जा रहे हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10290/76]

वर्ष 1975–77 में बैंकों की शाखायें खोलना

1515. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–77 की अवधि में देश में बैंक शाखाएं खोलने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना की राज्यवार क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : क, ख, और (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1975–77 के तीन वर्षों की अवधि में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारत में 500 नये कार्यालय खोले जाने का व्यापक लक्ष्य रखा है । किन्तु ये बैंक, अपनी तीन वर्षों की रोलिंग योजनाओं के ढांचे के भीतर शाखा विस्तार को अपना कार्यक्रम बनाते हैं । पहले वर्ष की योजना विस्तृत होती हैं, जबकि आगे के दो वर्षों की योजना कुल जोड़ के रूप में होती है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह 1976–78 के तीन वर्षों [illegible] की शाखा विस्तार योजनाओं की जांच कर रहा है ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखायें खोला जाना

1516. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया की जो शाखाएं एवं शाखा कार्यालय खोले गये उनके नाम क्या हैं; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं एवं शाखा कार्यालय खोले जायेंगे ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) वांछित सूचना विवरण में दी जा रही है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10291/76]

(ख) बैंकों द्वारा शाखा-विस्तार का कार्य तीन वर्षीय रोलिंग योजनाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है। आजकल, भारतीय रिजर्व बैंक, 1976–78 के तीन वर्षों की अवधि के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा विस्तार योजनाओं की जांच कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि नवम्बर, 1975 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास पश्चिमी बंगाल में शाखाएं खोलने के लिए 289 अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस)/आवंटन मौजूद थे।

मूल्य सूचकांक

1517. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि निर्मित वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में गिरावट कच्चे माल के मूल्य के सूचकांक में गिरावट की तुलना में बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) यह सच है कि निर्मित वस्तुओं की कीमतों में जो कमी हुई है वह उस कमी की तुलना में बहुत कम है जो औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में हुई है। हालांकि अन्तिम उत्पाद की कीमत में कच्चे माल की कीमतों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वे कुल लागत का केवल एक घटक होती है। इस प्रकार, लागत के अन्य घटक जैसे मजदूरी, ब्याज प्रभार आदि का स्तर अभी भी काफी ऊंचा है। इन परिस्थितियों में, यह स्वाभाविक है कि निर्मित वस्तुओं की कीमतों में जो कमी होगी वह कच्चे माल की कीमतों में होने वाली कमी की तुलना में कम होगी। इसके अलावा एक बात और भी है कि कच्चे माल की कीमतों में जो कमी होती है उसके परिणामस्वरूप निर्मित वस्तु की कीमत में कमी होने में कुछ समय अवश्य लगता है।

महाराष्ट्र में 'लीड' बैंक

1518. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिलों के लिये 'लीड' बैंक नियुक्त करने की योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में किन बैंकों को 'लीड' बैंक नियुक्त किया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) देश में बैंकिंग और ऋण सुविधाओं के विकास के लिए लीड बैंक योजना में क्षेत्रोन्मुखता पर जोर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरीय क्षेत्रों तथा दिल्ली, चण्डीगढ़ और गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी जिलों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के तीन बैंकों में बांट दिया गया हैं। प्रत्येक बैंक को उसे सौंपे गये जिलों में लीड बैंक का नाम दिया जाता है और उससे आशा की जाती है कि वह संघ-नेता के रूप में काम करेगा और बैंकों के शाखा-जाल के विस्तार तथा ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जिले में कारोबार करने वाले अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं और प्रशासनिक अभिकरणों के सहयोग से कार्यक्रम बनायेगा।

(ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी जा रही है ।

विवरण

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के लीड बैंकों के नाम

लीड बैंक	जिले का नाम
बैंक आफ इंडिया . . .	1 भंडारा
	2 चन्द्रापुर
	3 कोलाबा
	4 कोल्हापुर
	5 नागपुर
	6 रत्नागिरी
	7 सांगली
	8 शोलापुर
	9 वर्धा
बैंक आफ महाराष्ट्र . . .	1 नासिक
	2 पूना
	3 सतारा
	4 ठाणा
सैंट्रल बैंक आफ इंडिया . .	1 अहमदनगर
	2 अकोला
	3 अमरावती
	4 बुल्डाणा
	5 धूलिया
	6 जलगांव
	7 यवतमाल
भारतीय स्टेट बैंक . . .	1 भीर
	2 नांदेड़
	3 उसमानाबाद
	4 परभणी
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया *	1 औरंगाबाद
बैंक आफ महाराष्ट्र *	

*संयुक्त रूप से

हथकरघा निर्मित वस्तुओं का निर्यात

1519. श्री राजदेव सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हथकरघा निर्मित वस्तुओं के निर्यात में चार गुना वृद्धि हुई है और यह 1970–71 के 26 करोड़ रुपये की तुलना में 105 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस गति को बनाये रखने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974–75 में हथकरघा माल के निर्यात का स्तर 105 करोड़ रु० तक पहुंच गया। यह स्तर 1970–71 में निर्यातों के आंकड़ों का लगभग चार गुना था।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा माल के निर्यातों को बनाये रखने तथा उनके विकास के महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :

(1) एक बिक्री-सह-अध्ययन दल ने 1975 में पश्चिम अफ्रीका का दौरा किया है तथा इसी प्रकार के दलों को शीघ्र ही मध्य पूर्व / सं० रा० अमरीका / कनाडा क्षेत्र जैसे इन क्षेत्रों का दौरा करना है।

(2) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् ने कलोन मैन्स फैशन वीक तथा फेयर डी पैरिस में भाग लिया है और शीघ्र ही कनाडा में होने वाली एक पूर्णतः भारतीय प्रदर्शनी में भाग लेने का भी उनका कार्यक्रम है।

(3) विदेशी प्रकाशनों में विज्ञापन दिये जाते हैं।

(4) घटिया किस्म के क्रेप कपड़े के निर्यात को रोकने के उद्देश्य से वस्त्र आयुक्त ने सूती क्रेप कपड़े के निर्यात के लिए विशिष्ट मानक निर्धारित कर दिये हैं।

(5) भारतीय सूती वस्त्र मिल संघ द्वारा चालू स्वैच्छिक योजना के अन्तर्गत हथकरघा उत्पादों के निर्यात पर नगद मुआवजा सहायता प्रदान की जा रही है।

(6) 1975–76 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति में एक सीमित छूट दी गई है कि प्रोसेस करने वालों के हक में नामांकन किया जा सकता है जो उत्पादों के विनिर्माताओं के रूप में समझे जायेंगे बशर्ते वे हथकरघा उत्पादों के निर्यातों के सम्बन्ध में जारी किये गये प्रतिपूर्ति लाईसेंसों का इस्तेमाल करने के लिए वस्त्र आयुक्त/ राज्य सरकारों / अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किये गये हों।

(7) हथकरघा उद्योग के सघन विकास के लिए जिसमें निर्यात उत्पादन पर जोर दिया गया है, विशिष्ट प्रयोजनाएं चलाई जा रही हैं।

50 बड़े व्यक्तियों के खाते

1520. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के बैंकिंग विभाग ने चोटी के 50 धनवान व्यक्तियों के बैंकों के खातों की जांच की थी और उन्हें ऋण देने में कुछ बड़ी असंगतियों का पता लगा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त विभाग ने इस सम्बन्ध में कुछ उपायों का सुझाव दिया है ;

(घ) क्या अनेक समितियों ने भी कुछ समय पूर्व इस बारे में सिफारिशें की थीं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस मामले में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग) जुलाई, 1974 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 करोड़ से अधिक की जमाओं वाले सभी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नियमन के उपाय के रूप में सलाह दी थी कि वे यह बात सुनिश्चित करने की पूरी-पूरी सावधानी बरतें कि ऋणकर्त्ताओं द्वारा निकाली गई राशियां उतनी ही हों जो उनकी तात्कालिक न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम चाहिएं और ऐसी रकमों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाय जिनके लिए वे निकाली गई हैं। आगे रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि आरम्भ में, प्रत्येक बैंक को 50 बड़े-बड़े ऋणकर्ताओं के खातों पर निगरानी रखने की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के निदेशक मंडल ने 50 बड़े-बड़े ऋणकर्ताओं के खातों के लेन-देनों की जांच करने के लिए अपने निदेशकों की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है।

बैंकों द्वारा अभी तक प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्टों और सूचना से यह पता चलता है कि ऋणकर्त्ताओं द्वारा निकाली गई राशियां अधिकतर उनकी न्यायसंगत आवश्यकताओं के लिए जरूरी थी। उत्पादन की गति, सूचियों की मात्रा, तैयार माल की निकासी आदि की दृष्टि से निकाली गई राशियों का उपयोग अधिकतर उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया था जिनके लिए वे निकाली गई थीं और ऋणकर्त्ताओं द्वारा रुपये का दुरुपयोग किये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जिन मामलों में कुछ प्रतिकूल बातें पाई गई थीं उनमें सम्बन्धित बैंकों द्वारा उपयुक्त सुधारात्मक उपाय कर लिए गये हैं।

बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों पर उनके द्वारा निगरानी रखने की प्रक्रिया को चुस्त बनाने और बैंक ऋणों पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करने के विचार से भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1974 में पंजाब नेशनल बैंक के उस समय के अध्यक्ष श्री पी० एल० टण्डन की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी। यह दल अपनी अन्तिम रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर चुका है। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें सभी वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया है। इन प्रमुख सिफारिशों का सम्बन्ध इन बातों से है : सूचियों और प्राप्यों के मापदण्ड ऋणों के बारे में रवैया जिसमें यह अपेक्षा की गयी है कि चालू परिसम्पत्तियां रखने के लिए ऋणकर्ता का भी कुछ अंश आवश्यक रूप से शामिल होना चाहिए ऋण की शैली सूचना प्रणाली और हुण्डी वित। नये प्रस्तावों का उद्देश्य ऋण मूल्याकन और निरीक्षण की प्रणाली निर्धारित करना है ताकि उत्पादन की न्याय संगत सभी मांगों को प्रर्याप्त रूप से पूरा किया जाय किन्तु साथ ही रुपये का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग दुहरा वित्त पोषण बैंक--धन के फसें रहने की अवधि का अनुसूचित रूप से लम्बा करने जैसी बुराइयां दूर की जा सकें।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ऋण परिषद ने अक्टूबर 1968 में भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री वी० टी० देहेजिया की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस दल को यह जाँच करने का काम सौंपा गया था कि उद्योग और व्यापार की आवश्यकताओं को कितना बढ़ाया चढ़ाया जाता है और इस प्रवृत्ति को किस प्रकार रोका जाय। इस दल ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1969 में प्रस्तुत की थी। इस दल ने पाया था कि विकास और उत्पादन और अथवा मूल्य के रूप में सूचियों के लिए आवश्यकता से अधिक राशि, बैंकों से अल्पकालिक ऋण के रूप में लेने की प्रवृत्ति उद्योग में आम है।

देहेजिया समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपाय लागू किये :–

(1) उपयोग न की गई सीमाओं के सम्बन्ध में वायदा खर्च की प्रथा चालू करना।

(2) शेयरों के सट्टे के लिए बैंक के रुपये का उपयोग हतोत्साहित करना। इसके लिए व्यवस्था यह की गयी कि इस बात पर जोर दिया जाय कि शेयरों की प्रतिभूति पर 50,000 रुपये से अधिक की ऋण सीमाएं मंजूर करने वाले वाणिज्यिक बैंक यह शर्त रखें कि एक मात्र मतदान के अधिकार सहित वे शेयर बैंक के नाम किये जायें।

(3) किसी एकक के ऋणों के व्यापक विश्लेषण को बिना केवल प्रबन्ध निदेशकों और/अथवा प्रबन्ध कर्मचारियों की वैयक्तिक गारण्टी पर ही ऋण देने की प्रथा को हतोत्साहित करना।

(4) विनिमय हुण्डियों के पुनर्भुगतान की सुविधा के अधिकाधिक उपयोग पर जोर देना।

(5) ऋण प्राधिकरण योजना का पुनरीक्षण और यह बात सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रोफोर्मा निर्धारित करना कि किसी खाते के लेन देन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की बारीकी से जांच की जा सके।

इण्डियन इंजीनियरिंग ऐसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया जाना

1521. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन ने उन्हें कोई ज्ञापन दिया था; और

(ख) क्या मंदीग्रस्त इंजीनियरिंग सेक्शन की समीक्षा के लिए उन्होंने कोई 8 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, हां।

कारों का आयात

1522. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 से अक्तूबर, 1975 के दौरान भारत में कितनी विदेशी कारों का आयात किया गया और इनका मेक क्या है तथा इन कारों का निर्माण करने वाले देश कौन-कौन हैं ;

(ख) आयातकों के नाम क्या हैं और इन आयातित कारों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है ; और

(ग) इन कारों के आयात के सम्बन्ध में कितना शुल्क तथा दण्ड वसूल किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पटसन मिलों को निर्देश

1523. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के निदेशानुसार पटसन मिलें अपने उत्पादन में कमी कर रही हैं ;

(ख) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने भी पटसन उद्योग को ऐसे ही आदेश दिये हैं ;

(ग) क्या पटसन आयुक्त ने मिलों को हाल ही में प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम मात्रा में पटसन खरीदने के आदेश दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) तथा (घ). प्रधान्त : बाजार में आवक के अनुपात में पटसन मिलों द्वारा अपने खरीद कार्य में तेजी न लाये जाने से सभी देहाती बाजारों में कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट की सूचना प्राप्त होने पर पटसन आयुक्त ने पटसन (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत 22-9-1975 को आदेश जारी किया जिसमें उन 58 पटसन मिलों को, जिनके गोदाम स्टाक 1-9-1975 को उनकी दस सप्ताह की खपत से कम थे, यह निदेश दिया गया कि वे आगामी आदेश दिये जाने तक कम से कम प्रति सप्ताह 1.54 लाख गांठ कच्चा पटसन (भारतीय पटसन निगम से की गई खरीद को छोड़कर) खरीदें। इसका उद्देश्य मिलों द्वारा खरीद और बाजार आवकों में समता सुनिश्चित करके कच्चे पटसन की कीमतों में अवांछनीय कमी रोकना था। कीमतों की स्थिति सुधर आने से 22-1-1976 से यह आदेश वापिस ले लिया गया है।

निर्यात संवर्धन के लिये अभियान

1524. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने पड़ोसी देशों में तथा दक्षिण पूर्व एशियायी क्षेत्र में हस्तशिल्प की वस्तुओं सहित भारतीय माल और वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ठोस कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) निर्यात संवर्धन अभियान के परिणामस्वरूप वर्ष 1974 तथा 1975 में क्या ठोस परिणाम उपलब्ध हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पड़ोसी देशों के साथ निर्यात बढ़ाने के लिये सामान्य उपायों के अतिरिक्त उठाये गये विशिष्ट कदमों में ईरान जैसे देशों तथा फारस-खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ संयुक्त आयोग स्थापित करना और दीर्घावधि व्यापार प्रबन्ध करना शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये एस्केप क्षेत्र के अनेक देशों के साथ अभी हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें बल्क खरीदारियों तथा माल के अधिमान्य व्यवहार की व्यवस्था की गई है। एस्केप क्षेत्र के देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये 1 नवम्बर, 1975 से एक एशियन क्लियरिंग यूनियन की भी स्थापना की गई है।

(ग) वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान देश से कुल निर्यात क्रमशः 28 प्रतिशत तथा 31 प्रतिशत बढ़े। 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया को निर्यातों में वृद्धि क्रमशः 37 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत हुई।

जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की नई पालीसियाँ

1525. **श्री सतपाल कपूर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जनसाधारण के लाभ के लिये हाल ही में आरम्भ की गई और वर्ष 1976 के दौरान आरम्भ की जाने वाली नई पालीसियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जीवन बीमा निगम ने अभी हाल ही में, विशेष रूप से ऐसी विवाहित महिलाओं की बीमा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए "गृहलक्ष्मी" पालिसी चालू की है जिन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। इस योजना के अधीन मुख्य लाभ यह है कि बीमा कराने वाले व्यक्ति की पत्नी को उसकी 55 वर्ष की उम्र हो जाने पर अथवा यदि उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो जाती है तो इससे पहले ही उसे वार्षिक-वृत्ति मिलेगी। निगम ने 1976 में अन्य किसी नई योजना को चालू करने के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

बैंक आफ बड़ौदा द्वारा फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में दिये गये ऋण

1526. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में बैंक आफ बड़ौदा 'लीडबैंक' के रूप में कार्य कर रहा है;

(ख) वर्ष 1974 तथा 1975 में इस 'लीडबैंक' द्वारा किसानों, लघु उद्योगों, कारीगरों तथा नये उद्योगों को दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋणों के लिये कुल कितने आवेदन पत्र इस बैंक में लम्बित पड़े हैं और उन पर कब तक निर्णय हो जायेगा; और

(घ) क्या वहां इस 'लीडबैंक' के कार्यकरण में सुधार करने की कोई योजना है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) : जी हां।

(ख) : यथा उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है।

(ग) : आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान प्रणाली में, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के पास पड़े अनिर्णीत आवेदन-पत्रों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन करने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि थोड़े ऋण के आवेदन पत्रों अर्थात् दस-दस हजार रुपये से कम राशि के वास्ते दिये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में उनका यह प्रयास होना चाहिए कि अंतिम रूप से उनका निपटारा, उनके प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर हो जाय।

(घ) : गुजरात और महाराष्ट्र में लीड बैंक योजना के कार्यों की जांच करने वाले अध्ययन दलों की सिफारिशों के आधार पर लीड बैंक योजना के कार्यान्वियन में सुधार करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत बनाने का प्रश्न रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

विवरण

(राशि हजार रुपयों में)

क्षेत्र	सितम्बर, 1974	सितम्बर, 1975
(1)	(2)	(3)
1. कृषि		
(क) प्रत्यक्ष	3988	6079
(ख) अप्रत्यक्ष	254	221
2. छोटे पैमाने के उद्योग	472	535
3. सड़क और जल परिवहन	473	774
4. खुदरा व्यापार और छोटे व्यापारी	373	890
5. व्यावसायिक और स्वयं नियोजित	72	175
6. शिक्षा	—	8
7. अन्य (अधिकतर बड़े और मध्यम उद्योग और थोक व्यापार)	596	992
जोड़ अग्रिम	6228	9674

विदेशों के साथ भारत का व्यापार

1527. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारतीय व्यापार की वास्तविक मात्रा और उसके मूल्य के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और गत तीन वर्षों में इसमें कितने अनुपात में वृद्धि हुई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार के वास्तविक परिमाण तथा मूल्य के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी आनुपातिक प्रगति।

(मूल्य करोड़ रु० में)

	वर्ष	निर्यात	आयात
संयुक्त राज्य अमरीका			
	1972–73	275.74	224.58
	1973–74	343.92	498.43
	1974–75	375.79	729.09
सोवियत संघ :			
	1972–73	305.00	114.00
	1973–74	286.00	255.00
	1974–75	418.00	402.00
पूर्व यूरोपीय देश :			
	1972–73	457.00	224.00
	1973–74	464.00	391.00
	1974–75	651.00	643.00
यूरोपीय आर्थिक समुदाय : (फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, बेल्जियम, लैक्समबर्ग, इटली, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, आयरलैंड तथा ब्रिटेन)।			
	1972–73	447.64	576.42
	1973–74	608.94	703.96
	1974–75	689.45	939.02
ब्रिटेन :			
	1972–73	172.53	237.25
	1973–74	263.15	252.17
	1974–75	307.00	213.40

सोवियत संघ और अन्य पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होती रही है। पारस्परिक व्यापार 1953 में 1.3 करोड़ रु० की मामूली राशि का हुआ था जो बढ़कर 1963 में 158 करोड़ रु० और 1974 में 645 करोड़ रु० का हो गया। आशा है कि व्यापार में और भी वृद्धि होगी।

2. अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार का स्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था में हुए परिवर्तनों के अनुसार बदलता भी रहा है। हम अपनी अर्थ व्यवस्था के लिये अपेक्षित औद्योगिक कच्चे माल का अधिकाधिक आयात करते रहे हैं और बड़ी मात्राओ में अपरम्परागत निर्मित वस्तुओं और अर्द्ध-निर्मित माल का निर्यात करते रहे हैं। पूर्व यूरोपीय देशों को जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण अपरम्परागत वस्तुएं हैं, मोटरगाड़ी सम्बन्धी सहायक सामान, स्टोरेज तथा ड्राई बैटरियां, गराज उपकरण, दस्ती औजार तथा न्यूमैटिक औजार, शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी उपस्कर, पावर केबल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, पेंट्स एनेमल तथा वार्निश, रंजक सामग्री तथा मध्यवर्ती पदार्थ, डिटरजेंट्स, विभिन्न रासायनिक तथा भेषजीय उत्पाद, आदि।

3. संयुक्त राज्य अमरीका, भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदारों में से एक है और वर्ष 1974-75 में हमारे निर्यातों में उसका भाग लगभग 11.4 प्रतिशत और हमारे आयातों में 16.3 प्रतिशत था।

Sick Textile Mills

1528. Shri Shankar Dayal Singh :
Shri Ram Hedaoo : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(*a*) the names of the sick textile mills. among those taken over by Government, in which production has been continuing; and

(*b*) the number of mills, among the mills taken over by Government, which are running in profit and of those running in loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh)

(*a*) & (*b*): A statement is attached.

[Placed in Library *See* No. L. T. 10292/76]

सूडान से लम्बे रेशे वाली रुई का आयात

1529. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत सूडान से अत्याधिक लम्बे रेशे वाली रूई की 50,000 गांठें खरीदने के लिये बाध्य है ; और

(ख) क्या सूडान में भारत की 75 लाख पौंड की राशि फंसी पड़ी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत सूडान व्यापार करार के अन्तर्गत भारत को 1976 में 80 लाख पौंड मूल्य की रूई का आयात करना है। इस राशि से लगभग 50,000 गांठें मिलने की सम्भावना है।

(ख) जी हां।

कोवालम में समुद्रतटीय पर्यटकस्थल (बीच रिजोर्ट) योजना

1530. श्री सी० जनार्दनन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवलम में समुद्रतटीय पर्यटक स्थल (बीच रिजोर्ट) योजना का पहला चरण पूरा हो गया है ; और

(ख) योजना में अगले चरण का कार्य कब आरम्भ होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के अगले चरण का कार्य पहले से प्रदान की गई सुविधाओं की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के बाद प्रारम्भ किया जायेगा ताकि विकास के दूसरे चरण में प्रदान की जाने वाली नई सुविधाओं की आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जा सके ।

Opening of Rural Banks in U.P.

1531. **Shri Chandrika Prasad** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) the number of rural banks opened so far in Uttar Pradesh under the 20- point Economic Programme.

(b) the number of rural banks in Varanasi Division; and

(c) whether a rural bank is proposed to be set up in Ballia in the near future ?

Minister of State In Charge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Mukherjee)

(a) & (b): Three Regional Rural Banks have so far been established in Uttar Pradesh at the places mentioned below;

Name of the Bank	Districts covered	Location of Head Office
Prathama Bank	Moradabad	Moradabad
Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank	Gorakhpur & Deoria	Gorakhpur
Samyut Kshetriya Gramin Bank	Azamgarh & Ghazipur	Azamgarh

(c) The suitability of Ballia for the location of a Regional Rural Bank there, will be considered along with other probable locations of such banks, by the Steering Committee on Regional Rural Banks having regard to the criteria that

(i) the area is comparatively backward or the coverage of which by the commercial banks and cooperatives is relatively poor ; and

(ii) the area should have a real potential for development once the flow of credit is assured.

अध्ययन अवकाश नियमों का पुनरीक्षण

1532. श्री लीलाधर कटकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी अध्ययन के लिए एक समय एक वर्ष का अवकाश प्राप्त कर सकता है जब कि कुछ पाठ्यक्रमों की अवधि दो से चार वर्ष तक है ;

(ख) क्या कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को विश्वविद्यालयों में कुछ नियमित पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन अवकाश प्राप्त करना कठिन हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन अवकाश नियमों को पुनरीक्षित करने और निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों की उन्नति की सम्भावनाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारणतया सरकारी कर्मचारी को एक समय में 12 महीने और सम्पूर्ण सेवा के दौरान 24 महीने की अधिक से अधिक अध्ययन छुट्टियां दी जा सकती हैं। अध्ययन छुट्टियों के साथ अन्य प्रकार की छुट्टियों को शामिल करना स्वीकार्य है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी की नियमित ड्यूटी से कुल अनुपस्थिति की अवधि 28 महीने से अधिक न हो।

(ख) और (ग). जिन वर्गों के कर्मचारियों के बारे में यह बताया गया है कि उनको कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उनके विषय में विवरण न होने के कारण सही-सही स्थिति बताना सम्भव नहीं है । तथापि अध्ययन छुट्टी कर्मचारियों को एक विशेष सुविधा के रूप में दी जाती है ताकि वे उनके कार्य क्षेत्र के निकट सम्बद्ध व्यावासयिक और तकनीकी विषयों में अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम अथवा विशेषीकृत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। जिन शैक्षणिक अथवा सहित्यिक विषयों में डिग्री अथवा डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं उनका अध्ययन करने के लिए यह छुट्टी नहीं दी जाती ।

विदेशों से स्वदेश भेजी गई धनराशि

1533. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, भारतीय राष्ट्रिकों अथवा विदेशों में रह रहे तथा कार्य कर रहे भारत मूल के व्यक्तियों ने कितनी विदेशी मुद्रा भारत में भेजी है ; और

(ख) विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा विदेशी मुद्रा स्वदेश भेजने की व्यवस्था करने वाली अथवा विदेशी मुद्रा भेजने को प्रभावित करने वाली भारतीय अथवा विदेशी किसी गैर-सरकारी एजेंन्सी को सरकार कोई प्रोत्साहन दे रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्र (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशों से केवल भारतीय द्वारा भेजी जाने वाली रकमों के अनुसार आंकड़े इकट्ठे नहीं करता। फिर भी, परिवार के भरण-पोषण के लिए भेजी गई रकमों, प्रवासी भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा भेजी गई रकमों, विदेशों में उनके द्वारा की गई बचतों तथा मनीआर्डर से भेजी गई रकमों को विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई रकमें माना जा सकता है । इन शीर्षों के अधीन इकट्ठे किए गए आंकड़ों को पूरे तौर से सही नहीं माना जा सकता क्योंकि मौजूदा नियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों को देश में आने वाली 10,000 रुपये अथवा उससे कम की रकम का ब्यौरा रिजर्व बैंक के पास भेजना जरूरी नहीं होता। इसके अलावा अधिकृत डीलरों से मूलभूत जानकारी प्राप्त होने तथा इन आंकड़ों का संकलन करने में लगभग दो वर्ष का समय लग जाता है । इसलिए इन चार शीर्षों के अन्तर्गत भेजी जाने वाली रकमों के बारे में उपलब्ध सब से हाल की जानकारी वर्ष

1972–73 के बारे में ही है । अतः सरकार उसके बाद के वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

व्यापार अन्तर

1534. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगामी वर्ष में आयात और निर्यात के बीच अन्तर को कम करने तथा लाभप्रद व्यापार संतुलन बनाने के लिये उनके मंत्रालय का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन दो मुख्य उपाय हैं जिनके माध्यम से व्यापार अन्तराव को समाप्त करने और आने वाले वर्षों के दौरान अनुकूल व्यापार सन्तुलन प्राप्त करने का विचार है । निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में किये गए उपायों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, आयात नीति के उदारीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर चुनिन्दा कच्चे माल की सप्लाई, सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्कों की शुल्क वापसी करने, तथा नकद मुआवजा सहायता दिये जाने, रियायती शर्तों पर ऋण की व्यवस्था, परिवहन में सहायता और निर्यात नियंत्रण निवयिमों के उदारीकरण का उल्लेख किया जा सकता है । परिस्थितियों के अनुसार जैसा आवश्यक होगा, और भी उपाय किये जाएंगे ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

1535. **श्री राम सहाय पांडेय** :
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रेच्युटी का भुगतान करने से बचने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कुछ कर्मचारियों को सेवा में निरन्तरता नहीं प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि ग्रेच्युटी का भुगतान करने से बचने के लिए 1-4-1974 से राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिलों में लगे कर्मचारियों की सेवा में निरन्तरता प्रदान न की जाये। कर्मचारियों को संकट-ग्रस्त कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 14 के अनुसार ग्रेच्युटी के लाभ दिये जायेंगे ।

Sick Textile Mills taken over by Government in Madhya Pradesh

1536. **Dr. Laxminarayan Pandeya** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the sick textile mills in Madhya Pradesh taken over by Government; and

(b) the number among them of those which have been nationalised?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a)&(b). The management of seven sick textile undertakings located in Madhya Pradesh had been taken over by Government under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Sick Textiles Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. All these Undertakings have been nationalised under the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974.

Industries in Kandla Free Trade Zone

1537. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the facilities proposed to be provided to the industrialists to make Kandla Free Trade Zone beneficial to maximum extent; and

(b) the number of industries functioning in that zone at present and the number of those which have been closed down?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) With the recent increased facilities/removal of procedural bottlenecks, the Kandla Free Trade Zone has started picking up. The number of units in the zone was 11 on 1-4-1974, 15 on 1-4-1975 and 20 on 31-12-1975.

(b) Out of 28 units set up in the Kandla Free Trade Zone upto 31-12-1975, 8 units are not in production.

हालैण्ड से वित्तीय सहायता

1538. **श्री बसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान हालैण्ड के विकास तथा सहकारिता मंत्री ने भारत को 56.6 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कार्यक्रमों के लिए सहायता देने का वचन दिया गया है; और

(ग) क्या इन कार्यक्रमों में महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास परियोजनायें शामिल हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख). जी हां। नीदरलैंड के विकास-सहयोग मंत्री ने वर्ष 1976 के लिए 56.6 करोड़ रुपये (17 करोड़ डच गिल्डर) की आर्थिक सहायता देने का संकेत दिया है । इसके अलावा, उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी, कृषि अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में परस्पर-सहमति से चुनी गई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्त-व्यवस्था करने और प्राथमिकता प्राप्त समाज कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 3.3 करोड़ रुपये (1 करोड़ डच गिल्डर) की तकनीकी सहायता देने की घोषणा की है ।

(ग) 1976 के लिए उपर्युक्त सहायता से जिन परियोजनाओं और कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था की जानी है उनका अभी फैसला किया जाना है ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोला जाना

1539. **श्री बसन्त साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 और चालू वर्ष में महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गईं;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के लिए ऋण-सुविधाएं देने क लिये ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने 1976-77 में महाराष्ट्र में बैंकिंग-विकास की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों ने महाराष्ट्र में 1974 और 1975 (30 नवम्बर, 1975 तक) क्रमशः 144 और 37 कार्यालय खोले हैं।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें विकास की पर्याप्त संभावना तो निहित है, किन्तु उन्हें वाणिज्यिक बैंक व्यवस्था और सरकारी ऋण अभिकरणों की सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उलब्ध नहीं है, देश के विभिन्न भागों में इन बैंकों के खोले जाने के वास्तविक स्थानों के बारे में संचालन समिति विचार कर रही है ।

(घ) बैंकों द्वारा शाखा-विस्तार कार्य तीन वर्षों की रोलिंग योजनाओं के भीतर किया जाता है । आजकल भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1976–78 के तीन वर्षों की शाखा विस्तार की योजनाओं की जांच कर रहा है। अलबत्ता, रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1975 के अन्त तक, महाराष्ट्र में कार्यालय खोलने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 273 लाइसेंस /आवंटन पत्र मौजूद थे।

Bonus on Lapsed Policies

Shri M.C. Daga : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision that bonus is not admissible to those whose policies get lapsed for 5 years; and

(b) If so; the number of such policies in 1972; 1973 and 1974 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Shushila Rohtagi) : (a) It has been decided that bonus declared on the policies issued on or after 1-4-1973 will vest in the policies if they have been in force or the full sum assured for a period of five years from the date of commencement of the policy. However, this condition shall not apply to the policies where. by reason of death occurring at any time within the said period of five years, claims payable are for full sum assured.

(b) The above rule regarding vesting of bonus has been applied for the first time at the Valuation as at 31-3-1975 and therefore there are no such policies in the years 1972, 1973 and 1974.

संसद् सदस्यों के मकानों पर छापे

1541. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातस्थिति लागू होने के बाद या उससे पूर्व देश के किसी भी भाग में किन्हीं संसद् सदस्यों के मकानों या फ्लेटों पर छापे मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या आपातस्थिति लागू होने के बाद या उससे पहले दिल्ली या कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के किन्हीं संसद् सदस्यों के मकानों पर कोई छापा मारा गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

कलकत्ता में छापे

1542. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात-स्थिति के बाद कलकत्ता में कुल कितने छापे मारे गये और उनमें अनुमानतः कितनी धन-राशि का पता चला; और

(ख) क्या इन छापों के समय निहित स्वार्थ के व्यक्तियों द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की गई थी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 27 जून, 1975 से 22 जनवरी, 1976 तक की अवधि में कलकत्ता में आय-कर प्राधिकारियों द्वारा तलाशियां लेने और माल पकड़ने की 313 कार्यवाहियां की गई हैं, जिनके कारण 2 करोड़ 7 लाख से अधिक की परिसंपत्तियां पकड़ी गई हैं ।

26, जून, 1975 से 20 जनवरी, 1976 तक की अवधि में कलकत्ता में, विदेशी मुद्रा प्रवर्त्तन निदेशालय के प्राधिकारियों द्वारा 179 तलाशियां ली गई थीं । उक्त तलाशियों के कारण अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई 68,561 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी । कलकत्ता में ली गई इन तलाशियों में कोई भारतीय मुद्रा नहीं पकड़ी गई ।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छिपे धन को निकालने के लिये कलकत्ता में कोई छापा नहीं मारा है ।

सीमाशुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के ब्यौरे प्राप्त किये जा रहे हैं और सदन पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

Loans Given by Agricultural Branches of Nationalised Banks in Rajasthan and Madhya Pradesh

1543. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loans given by the agricultural branches of the nationalised banks in Rajasthan and Madhya Pradesh during 1974-75 and 1975-76 (upto December, 1975); and

(b) whether the areas in which loans are advanced by agricultural branches of the nationalised banks, State Cooperative Banks and Land Development Banks also advance loans to the same areas?

Minister of State Incharge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) Particulars of direct advances to farmers granted by the public sector banks (including nationalised banks) in Rajasthan and Madhya Pradesh and outstanding as at the end of June 1975 (latest available) are as under:

(Amount in lakhs of rupees)

	No. of Accounts	Amount outstanding.
Rajasthan	51,764	25,48·11
Madhya pradesh	1,24,879	33,06·20

(Figures provisional)

(b) Yes Sir, but to avoid the difficulties arising as a result of such multiple financing, a credit agency is expected to obtain a 'no-dues'/'no objection' certificate from other credit agencies with which the borrower was dealing earlier.

Deficit Financing

1544. **Dr. Laxminaryan Pandeya**: Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has observed in its Report on Currency and Finance, 1974-75 that further resort to deficit financing would be harmful;

(b) whether the Reserve Bank of India has in its report also stressed the need of domestic savings and has asked for balancing the gap between demand and saving; and

(c) if so, the steps taken in this direction?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) (a), (b) & (c): The Hon'ble Member is presumably referring to the following observation made by the Reserve Bank in its Report on Currency and Finance, 1974-75. While assessing the prospects for the economy, the Report has stated that, "monetary conditions are such that any large-scale recourse to 'deficit financing' by the public or private sectors could become counter-productive. While it should be possible to add substantially to investment expenditures in the coming year, it is essential that such augmentation be based on a large mobilisation of domestic saving rather than on extentsive credit creation.

The above observation of the Reserve Bank is in keeping with Government's own assessment of the economic situation in the country. As such, monetary, fiscal and other policies of the Government are oriented towards raising the investment rate in the economy through non-inflationary means and by encouraging domestic savings in various forms through appropriate incentives. It has been the constant endeavour of the Government to keep deficit financing to the minimum and finance public investment by raising resources in non-inflationary ways so that the price stability since achieved could be maintained.

Proposal to increase Centres of Handicraft Board in States

1545. **Shri Chandrika Prasad**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to State:

(a) whether Government propose to increase the number of centres attached to Handicraft Board in Uttar Pradesh and other States of the country;

(b) the number of centres opened in Varanasi Division so far; and

(c) whether Government propose to set up such centres in Ballia or Mau?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh):

(a) Yes, Sir.

(b) 11 centres for training in carpet weaving have been opened so far in Varanasi division and arrangements for opening eight more are in hand.

(c) As of now, there is no such propoals.

वित्तीय सुधारों के लिये चार कृतिक बल

1546. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय सुधारों के बारे में चार कृतिक बल नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कृतिक बल के सदस्य कौन-कौन हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) विद्यमान नियमों तथा कार्यविधियों की समीक्षा करने तथा उनका सरलीकरण और युक्तियुक्तकरण करने हेतु उपाय सुझाने के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में 5-1-76 को चार अलग-अलग विशेष कार्य दल बनाये गये हैं जिनमें वित्त मंत्रालय, अन्य संबंद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों, सार्वजनिक एजेंसियों और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	विषय क्षेत्र	विशेष कार्य दल की रचना	
1	सरकारी लेखों में धन की अदायगी और राजस्व की वापसी के संबंध में कार्यविधि; सरकार के वित्तीय लेने-देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंद्ध करके गति में तेजी लाना।	श्री एम० नरसिंहन् अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग—अध्यक्ष	
		2. श्री जे० इन्नोसेन्ट, संयुक्त सचिव, व्यय विभाग 3. राजस्व तथा बैंकिंग विभाग का एक प्रतिनिधि 4. रिजर्व बैंक आफ इंडिया का एक अधिकारी 5. नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संगठन का अधिकारी	सदस्य
2	सरकारी कर्मचारियों की हकदारी (जिसमें पुष्टिकरण) तथा नियमित करने संबंधी कार्यविधियां भी शामिल हैं), भविष्य निधि तथा पेंशन का निर्धारण करने तथा उनका भुगतान करने संबंधी कार्यविधि।	1. श्री बी० मैत्रेयन, विशेष कार्य अधिकारी (विशेष कक्ष)—अध्यक्ष	
		2. श्री एन० एन० के० नायर, संयुक्त सचिव (कार्मिक) 3. बजट प्रभाग का एक प्रतिनिधि 4. कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रतिनिधि 5. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का एक नामित अधिकारी।	सदस्य

क्रम सं०	विषय क्षेत्र	विशेष कार्य दल की रचना
3	छुट्टी, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत तथा मकान किराया भत्ता से संबद्ध नियमों का सरलीकरण	1. श्री आर० डी० थापर, अपर सचिव (बीमा)—अध्यक्ष 2. श्री एन० एन० के नायर, संयुक्त सचिव (कार्मिक) 3. कार्मिक विभाग का एक प्रतिनिधि 4. नियंत्रक महालेखाकार का नामित अधिकारी । } सदस्य
4	संभावित कुशल प्रबंध लेखा प्रणाली बनाने हेतु लेखों का यंत्रीकरण तथा संगणकीकरण ; अल्पविधि में राजकोष स्तर पर तथा महालेखाकार के कार्यालय में लेखों के संकलन में तेजी लाने के लिए राजकोष प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता तथा गुंजाइश	1. श्री आर० गणपति, संयुक्त सचिव व्यय विभाग,—अध्यक्ष 2. निदेशक (बजट प्रभाग) 3. श्री पी० वी० वासुदेवन सहायता लेखा नियंत्रक 4. वित्त सचिव, कर्नाटक सरकार। 5. वित्त सचिव, तमिलनाडु सरकार 6. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार 7. नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एक नामित अधिकारी } सदस्य

विशेष कार्य दलों को आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने का प्राधिकार भी दे दिया गया है ।

योजना खर्च और गैर-योजना खर्च के बीच अनुपात

1547. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के योजना खर्च और गैर-योजना खर्च के बीच क्या अनुपात रहा ; और

(ख) क्या योजनाबद्ध विकास के लिए अधिक धन नियत किये जाने पर और उत्पादन-प्रधान खर्च को प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों में संघ सरकार और विधान मण्डल वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के विकास-व्यय और विकास-भिन्न व्यय के बीच का अनुपात क्या था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का प्रयास यह रहा है कि मूल्य-स्थिरता को आघात पहुंचाए बिना, पूंजी-निवेश को गति को तेज किया जाये । 1975-76 के केन्द्रीय बजट को पूंजी-निवेश नीति में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें अर्थ-व्यवस्था के विकास-प्रधान क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, बिजली, उर्वरक, कोयला, पेट्रोलियम और आवश्यक उद्योगों

जैसे सीमेंट, कागज, जहाज-निर्माण और परिवहन को प्राथमिकता दी गई है । 1975-76 का अनुमोदित आयोजना-परिव्यय 1974-75 के परिव्यय से 23 प्रतिशत अधिक है ।

चालू वर्ष में राज्यों के क्षेत्र में सिंचाई और बिजली के परिव्यय में 101 करोड़ रुपए की और वृद्धि की गयी है और केन्द्रीय क्षेत्र में कोयले, तेल और उर्वरकों के लिए जुलाई, 1975 में 74 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की मंजूरी दी गई थी ।

विवरण

केन्द्र और विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के विकास-व्यय और विकास-भिन्न व्यय का अनुपात

	प्रतिशत हिस्सा	
	विकास-व्यय	विकास-भिन्न व्यय
I. **केन्द्र :**		
(उन संघ राज्य क्षेत्रों सहित जहां विधानमण्डल नहीं हैं) ।		
1973-74 (वास्तविक) .	44.1	55.9
1974-75 (संशोधित अनुमान)	51.7	48.3
1975-76 (बजट अनुमान) .	51.4	48.6
II. **विधानमण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्र :**		
1. **गोआ, दमन और दीव :**		
1973-74 (वास्तविक) .	80.7	19.3
1974-75 (संशोधित अनुमान)	79.0	21.0
1975-76 (बजट अनुमान) .	78.8	21.2
2. **मिजोरम :**		
1973-74 (वास्तविक) .	80.8	19.
1974-75 (संशोधित अनुमान)	78.4	21.6
1975-76 (बजट अनुमान) . . .	74.3	25.7
3. **पांडिचेरी :**		
1973-74 (वास्तविक) .	75.5	24.5
1974-75 (संशोधित अनुमान)	75.7	24.3
1975-76 (बजट अनुमान) .	77.6	22.4

टिप्पणी :—विधानमण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उनके द्वारा दिए गए कुल ऋणों और अग्रिमों को विकास-व्यय माना गया है ।

सामान्य प्राथमिकता प्रणाली के लिए अमरीका के साथ समझौता

1548. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य प्राथमिकता प्रणाली के लिए संयुक्त राष्ट्र अमरीका के साथ कोई समझौता हुआ है ;

(ख) क्या सामान्य व्यापार तथा टैरिफ करार के खंडों के लागू होने से सामान्य प्राथमिकता प्रणाली के लाभ काफी हद तक नहीं मिलेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका के साथ निर्यात व्यापार में सामान्य प्राथमिकता प्रणाली अपनाने से भारत को शुद्ध लाभ कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका ने 1 जनवरी, 1976 से अधिमानों की सामान्यीकृत योजना (जी० एस० पी०) लागू कर दी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका की इस अधिमानों की सामान्यीकृत योजना के फलस्वरूप अन्य पात्र विकासशील देशों के साथ-साथ भारत को भी संयुक्त राज्य अमरीका को इस योजना के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात बढ़ाने का अवसर मिलेगा ।

Cases Pending with The Collectors of Customs and Excise, Nagpur

1549. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8330 on 2nd May, 1975, regarding cases pending with the Collectors of Customs and Excise Nagpur and state:

(a) whether enquiry into all the cases pending with the Collectors of Customs and Excise, Nagpur has since been completed; and

(b) the number of cases where penalties had been imposed and the number of cases exempted from fines?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) and (b) In reply to Unstarred Question No. 8330 dated 2-5-75, it was stated that as on 31-3-75, 1948 cases were pending in the offices of the Collector of Customs and Central Excise, Nagpur. The collection of the further detailed information now sought in respect of these cases would require a reference back to the various field offices under the Collector of Customs and Central Excise Nagpur in order to ascertain the present position of each case, and would involve considerable time and Labour which may not be commensurate with the results that may be achieved. However, if the Honourable Member desires to have specific information about any particular case(s), the same can be collected and supplied.

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू के स्टाक की खरीद

1550. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों तथा व्यापारियों को उनके पास बड़ी मात्रा में अनबिके पड़े तम्बाकू के स्टाक के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम से यह स्टाक खरीदने को कहा गया है जैसा कि पहले वर्ष 1964 और 1972 में स्टाक के जमा हो जाने के अवसर पर किया गया था ; और

(ग) क्या सरकार भी तम्बाकू के स्टाक के निर्यात को आसान बनाने के लिए कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) यद्यपि कुछ स्टाक जमा होने के समाचार प्राप्त हुए हैं किन्तु सरकार को इसके फलस्वरूप किसी गहरे संकट की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं । तथापि राज्य व्यापार निगम कुछ स्थानों को तम्बाकू निर्यात करने में गैर-सरकारी व्यापार के प्रयासों में सहयोग दे रहा है ।

(ग) तम्बाकू के उत्पादन एवं निर्यात को सुव्यवस्थित ढंग से विनियमित करने के लिए सरकार ने 1 जनवरी, 1976 से तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की है । जबकि बोर्ड अपनी योजनाएं तैयार करने में प्रयत्नशील हैं, फिर भी बोर्ड तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा चलाई गई योजनाओं को कार्यान्वित करता रहेगा ।

Number of Tourists visiting Madhya Pradesh

1551. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the number of tourists who visited Madhya Pradesh from January to December, 1975 and how does this number compare with that of 1974-75?

Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): The Department of Tourism maintains record of foreign tourists arrivals on an all-India basis and not on State-wise basis. The figures pertaining to domestic tourists movements are not being collected by the Department of Tourism.

The number of foreign tourists who visited India during 1975 was 465,275 recording an increase of 10 per cent over 1974. According to a survey conducted in 1972-73, 7·2 per cent of the total foreign tourists visited Khajuraho and 1·2 per cent visited Bhopal/Gwalior during the period of the Survey.

Assistance to Handloom Industry in Madhya Pradesh

1552. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to provide assistance to Handloom Industry in Madhya pradesh; and

(b) if so, the extent and form thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Partap Singh) (a) and (b) : The pattern and quantum of Central assistance to all States, including Madhya Pradesh, for development of handloom industry is being finalised.

"रेलवे वर्कशाप" को माल डिब्बे बनाने के लिये आदेश

1553. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये माल डिब्बे बनाने हेतु निजी वैगन निर्माताओं की तुलना में रेलवे वर्कशाप्स को कम माल डिब्बे बनाने के आदेश दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किन-किन देशों को माल डिब्बे भेजे जाते हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). चूंकि रेलवे वर्कशाप मुख्यतः भारतीय रेलवे के चल स्टाक के रखरखाव व समय समय पर ओवर-हालिंग के लिए हैं और चूंकि माल डिब्बे बनाने की उसकी क्षमता सीमित है अतः उनमें केवल उसी प्रकार के माल डिब्बों का निर्माण होता है जिनकी भारतीय रेलवे को या तो तुरन्त आवश्यकता होती है अथवा जिनके लिए क्रयादेश गैर-सरकारी माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते । चूंकि माल डिब्बे निर्मित करने की अतिरिक्त क्षमता मुख्यतः गैर-सरकारी उद्योग के पास है, अतः निर्यात के लिए माल का विनिर्माण भी मुख्यतः उन्हीं के द्वारा किया जाता है ।

(ग) फिलहाल यूगोस्लाविया, मलयेशिया और बंगलादेश को माल डिब्बों की सप्लाई के लिए क्रयादेश मिले हुए हैं ।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा रूमानिया से उर्वरकों का आयात

1554. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने रूमानिया से उर्वरकों का आयात न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कृत्रिम वर्षा के लिये तकनीक का विकास

1555. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखे का सामना करने के लिये 'कृत्रिम वर्षा' के सम्बन्ध में प्रयोग करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कौन-कौन से तकनीक का विकास किया गया है ; और

(ग) वर्ष 1975 के अन्त तक इनको व्यवहारिक तौर पर लागू करने में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूना, ने साधारण नमक तथा सोप स्टोन के अच्छी तरह पीसे हुए मिश्रण द्वारा मेघों के कृत्रिम बीजारोपण से वर्षा की अभिवृद्धि के प्रयोग किये हैं । प्रयोग अभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचे हैं जहां कि कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकल सकें । कुछ राज्य सरकारों ने भी कृत्रिम वर्षण के प्रयोग किये हैं ।

अपने उत्पादन का विविधीकरण करने के लिये उद्योगों को कर में छूट

1556. **श्री चन्द्रभाल मनी तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसाधन सामग्री का निर्माण करने वाले उद्योगों को अपने उत्पादन का विविधीकरण करने की स्थिति में कर से छूट देने का सरकार ने प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के बारे में उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जहां तक केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्कों का सम्बन्ध है, ऐसी रिआयत का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

प्रसाधन सामग्री का निर्माण करने वाले उद्योग यदि अपने कारखाने में अन्य भिन्न वस्तुएं बनाएं तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है कि उन्हें आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई रिआयत दी जायगी। फिर भी पिछड़े इलाकों में स्थापित किये गये नए उपक्रमों अथवा होटल–कारोबार के लाभ और प्राप्तियों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-एच एच के अनुसार, कटौती देने की व्यवस्था है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

बंगलादेश से पटसन का व्यापार

1557. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश द्वारा किये गये टका अवमूल्यन का उससे किये जाने वाले हमारे व्यापार पर, विशेषकर पटसन व्यापार पर, प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). बंगलादेश ने 15 मई, 1975 से टका का 58 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया। इस अवमूल्यन से बंगलादेश के निर्यात भारतीय रुपयों के हिसाब से सस्ते होंगे जबकि बंगलादेश को भारत के निर्यात टका के हिसाब से महंगे हो सकते हैं। तथापि पिछले मौसम में बंगलादेश से कच्चे पटसन का कोई आयात नहीं किया गया है।

जूट इंटरनेशनल की स्थापना

1558. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत, बंगलादेश, नेपाल और अन्य उत्पादक देशों को मिला कर प्रस्तावित जूट इंटरनेशनल की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या पटसन के बारे में रोम में हुए एफ०ए०ओ० सम्मेलन से भारतीय पटसन की वस्तुओं के पाश्चात्य देशों को निर्यात की संभावनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ग) इस बारे में एफ०ए०ओ० सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) प्रस्तावित जूट इन्टर-नेशनल के संविधान के मसौदे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा डेस्क रिव्यू में दिये गये संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श करने और उसे अन्तिम रूप देने के लिए अक्तूबर, 1975 में दिल्ली में एक अन्तःसरकारी सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में भारत, बंगलादेश और नेपाल ने भाग लिया। हालांकि अधिकांश खण्डों पर सहमति हो सकी परन्तु फिर भी कुछ और खण्ड भी हैं जिनपर तीनों देशों की सहमति अपेक्षित है और संविधान के मसौदे को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए एक और बैठक बुलाई जानी है। उसके पश्चात् संबंधित सरकारों द्वारा संविधान को अनुसमर्थित किया जाना है।

(ख) तथा (ग). खाद्य एवं कृषि संगठन के पटसन केनाफ तथा संबद्ध रेशों संबंधी अन्तः-सरकारी समूह की बैठक सामान्य तौर पर वर्ष में दो बार रोम में होती हैं और उनमें पटसन तथा संबद्ध रेशों की मांग तथा सप्लाई स्थिति और संबंधित मामलो, जिनमें पटसन के माल के लिए अल्प-कालीन व दीर्घकालीन बाजार स्थिति भी शामिल है, की समीक्षा की जाती है। स्वयं इन विचार-विमर्शों से ही किसी भी सहभागी देश के पटसन माल की निर्यात संभाव्यताओं में सुधार नहीं होते।

आय कर अधिकारियों द्वारा छापे

1559. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग ने दिल्ली में गत 6 मास में भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व अधिकारियों के निवास स्थानों पर कितने छापे मारे;

(ख) क्या गत 6 मास में भुवनेश्वर में भारतीय प्रशासन सेवा के किसी अधिकारी के मकान पर भी छापा मारा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितने मूल्य की आस्तियां जब्त की गई हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :(क) कुछ नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

कम्पनियों द्वारा सावधिक जमा राशियाँ प्राप्त करना

1560. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1975 में कितनी कम्पनियों ने अधिक ब्याज पर जनता से सावधिक जमा राशियां प्राप्त की है, उन्होंने किस दर पर ब्याज दिया है और उनमें से प्रत्येक कम्पनी ने अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग कम्पनियों को जारी किये गये निदेशों के अनुसार उन कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे, प्रति वर्ष मार्च के अंत तक उनके पास जमाओं की मात्रा प्रदर्शित करने वाली विवरणियां उस वर्ष के 30 जून से पहले प्रस्तुत करें। कम्पनी (जमा-स्वीकृतिकरण) नियम, 1975

के 3 फरवरी, 1975 से लागू हो जाने के बाद, जिन गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों पर ये नियम लागू होते हैं, उन्हें, अपने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार को विवरणियां भेजनी हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकार अथवा नवीकृत की गई जमाओं की सूचना प्रस्तुत करनी है। इसके अनुसार वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों ही प्रकार की गैर बैंकिंग कम्पनियों से वर्ष 1975 की विवरणियां अभी वाजिब नहीं हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसके द्वारा गैर बैंकिंग कम्पनियों की जमाओं की वार्षिक विवरणियों के आधार पर किये गये सर्वेक्षण में, कम्पनियों द्वारा दिये गये ब्याज की दर के अनुसार जमाओं का वर्गीकरण नहीं आता। फिर भी, 1 फरवरी और 18 सितम्बर, 1975 के बीच में 392 कम्पनियों द्वारा दिये गये विज्ञापनों के आधार पर वाणिज्यिक अनुसंधान कार्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा 1 से 5 वर्ष के बीच की अवधि के लिए ब्याज जिस दर पर देने का वायदा किया था वह सामान्यत: 9.5 प्रतिशत (न्यूनतम) और 16 प्रतिशत (अधिकतम) के बीच थी, जैसा नीचे बताया गया है :

अवधि	न्यूनतम		अधिकतम
1 वर्ष	9.5	दर	15.0
2 वर्ष	10.0		15.0
3 वर्ष	12.0		16.0
4 वर्ष	12.5		16.0
5 वर्ष . .	13.0		16.0

(कुछ मामलों में शेयर धारकों को दिये गये ब्याज की दर जनता को दिये गये ब्याज की सामान्य दर से 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक अधिक थी।)

कोवालम में पर्यटन का विकास

1561. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोवालम में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाये जा रहे फाइव स्टार होटल का निर्माण किस अवस्था में है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोवालम ग्रोव की लाभ तथा हानि की स्थिति क्या रही ;

(ग) कोवालम में पर्यटन का संवर्धन करने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या एयर इंडिया ने विदेशों से कोवालम के लिए चार्टर्ड पर्यटक उड़ानों की व्यवस्था की है ; और

(ङ) सरकार ने भारत के बाहर विशेष विज्ञापनों द्वारा कोवालम पर्यटन केन्द्र का किस सीमा तक संवर्धन किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) कोवालम होटल पूरा हो गया है। इसका औपचारिक उद्‌घाटन 2 जनवरी, 1976 को किया गया।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोवालम ग्रोव की लाभ हानि की स्थिति निम्नलिखित थी :–

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1972–73	(-) 6.27
1973–74	(-) 6.47
1974–75	(-) 3.28

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम कोवालम होटल का प्रचार मुख्यतः यात्रा व्यवसाय के माध्यम से करता है। निगम कोवालम होटल का विज्ञापन विदेशी यात्रा व्यवसाय पत्रिकाओं और अन्य समाचार प्रसार माध्यमों द्वारा भी करता है। भारत पर्यटन विकास निगम की सेवाओं के दृष्य-श्रव्य कार्यक्रमों में भी जो भारत आने वाले विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं तथा विदेशों में भी स्थित कुछ केन्द्रों में विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, कोवालम का प्रचार शामिल है। 1973–74 के अल्प पर्यटक यातायात के महीनों में कोवालम ग्रोव में पर्यटन की अभिवृद्धि के लिए टैरिफ में 50 प्रतिशत की आफसीजन (गैर मौसमी) छूट प्रदान की गई थी। 1976 के दौरान भी इसी प्रकार की सुविधायें प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं, क्योंकि त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट पर अभी बड़े जेट विमानों के अवतरण की व्यवस्था नहीं है।

(ङ) भारत सरकार के विदेशी स्थित पर्यटन कार्यालय एयर इंडिया के सहयोग से अपने प्रचार एवं अभिवृद्धिपूरक अभियानों के माध्यम से कोवालम का प्रचार कर रहे हैं। भारत पर्यटन विकास निगम भी विदेशों में यात्रा व्यवसाय पत्रिकाओं में कोवालम के विज्ञापन जारी कर रहा है।

केरल में सबरीमाला मन्दिर "काम्प्लेक्स" का विकास

1562. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल देवास्वम बोर्ड ने केरल में सबरीमाला मन्दिर 'काम्प्लेक्स' को आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की अपनी योजना हेतु केन्द्र से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). केरल देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष ने शबरीमाला तथा अन्य तीर्थयात्रा केन्द्रों पर 7.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तीर्थ यात्रियों के लिए आवास पानी, बिजली, टायलेट, डाक्टरी सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने का एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। क्योंकि ऐसे तीर्थ यात्रा केन्द्रों पर सुविधाओं का विकास करना जिनकी मुख्यत: देशीय पर्यटकों द्वारा यात्रा की जाती है प्रधानतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, मामले को राज्य सरकार के पास भेजा जा रहा है। पर्यटन विभाग साधनों के परिसीमित होने के कारण कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि केरल पर्यटन विकास निगम ने शबरीमाला में तीर्थयात्रियों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

रुपये का मूल्य

1563. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) इस समय भारतीय रुपये का मूल्य क्या है ; और

(ख) आपात स्थिति की घोषणा से ठीक पूर्व और गत वर्ष रुपये का मूल्य क्या था ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) में होने वाली घटबढ़ के अनुसार रुपये की क्रय शक्ति 1974 (औसत) में 32.89 पैसे, जून 1975 में, जिसके अन्त में आपात स्थिति की घोषणा की गई थी, 30.49 पैसे और नवम्बर 1975 में 31.75 पैसे थी।

महाराष्ट्र और गुजरात में बैंकिग क्रियायें

1564. **श्री बसन्त साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने, जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में बैंकिग के विकास तथा बैंकिंग क्रियाओं से सम्बद्ध अन्य पहलुओं पर विचार किया था अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है; और

(ख) यदि हां तो अध्ययन दल के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और इन राज्यों में बैंकिग के समुचित विकास हेतु क्या कार्यवाही की गई है / किये जाने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

2 अगस्त, 1975 को हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में किये गये एक निर्णय के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, सितम्बर 1975 में, गुजरात और

महाराष्ट्र राज्यों में लीड बैंक योजना के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए दो अध्ययन दलों का गठन किया। इन उपर्युक्त दलों के विचारणीय विषय नीचे लिखे अनुसार थे :—

(1) जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों का गठन और कार्यचालन ;

(2) वित्तीय संस्थाओं के बीच सम्पर्क का स्वरूप और सीमा तथा विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों से स्थापित संबंध ; और

(ग) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके कार्यन्वयन में बैंकों की अन्तर्ग्रस्तता की सीमा।

इसी सिलसिले में अध्ययन दलों से यह कहा गया था कि लीड बैंक योजना के बेहतर कार्यचालन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करें।

27 दिसम्बर, 1975 को इन अध्ययन दलों ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपना एक संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और उनकी सिफारिशें रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

अन्य बातों के साथ साथ इन दलों का समान्य निष्कर्ष यह है कि लीड बैंक योजना के पहले चरण में, जिसमें बैंकिग विकास की संभावना से युक्त केन्द्रों की पहचान और वहां बैंक शाखाओं के खोलने का कार्य सम्मिलित हैं, पर्याप्त सफलता मिली है। दूसरे और अधिक कठिन चरण की, जिसमें क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वियन का कार्य शामिल हैं, प्रगति धीमी रही हैं। अलबत्ता, यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मुश्किल से दो वर्ष पहले शुरु किये गये हैं, और इनके कार्यान्वियन में न केवल बैंकों के बीच सहयोग के प्रयासों की ही, बल्कि सरकारी एजेंसियों से भी विविध स्तरों पर और अनेक प्रकार से समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है, और इसी से इसके कार्यन्वयन में अधिक कठिनाइयां आती है।

इन अध्ययन दलों के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ निष्कर्ष और उनके (दलों के) द्वारा लीड बैंक योजना के कार्यचालन को प्रभावी बनाने के लिए तैयार किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त इस प्रकार है :—

(1) यद्यपि कुछ बैंकों द्वारा अपने लीड बिलों के लिए "ऋण योजनाएं" बनाई जा रही हैं किन्तु वे रीति और व्याप्ति की दृष्टि से अलग अलग है। इस रिपोर्ट में इस संबंध में एकरूपता लाने की सिफारिश नहीं की गयी है। इसमें यह कहा गया है कि केवल सैद्धान्तिक रूप से रीति की उत्तमता पर जोर देने के बजाय प्रौद्योगिक दृष्टि से सम्भव और आर्थिक दृष्टि से सक्षम योजनाएं तैयार करने और सभी वित्तीय सस्थाओं द्वारा उनके सामूहिक रूप से कार्यान्वियन पर जोर दिया जाना चाहिए।

2. यह भी सुझाव दिया गया है कि बैंक मोटे तौर से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के भीतर उपर्युक्त प्रकार की योजनाओं के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करें, जिन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जा सके और जो 3 से 5 वर्ष तक की तर्कसंगत अवधि के भीतर पूरी हो सके। योजनाओं के निर्माण में कुछ "आधारभूत सिद्धान्तों" के पालन का भी उल्लेख किया गया है। इन सिद्धान्तों में, योजनाओं को वर्तमान मूल ढाचे पर खड़ा करना, उन्हें यथासंभव वर्तमान जिला विकास योजनाओं से जोड़ना तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के परस्पर संबंध पर अपेक्षित ध्यान देना सम्मिलित है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लीड बैंक जिला विकास योजना के निर्माण का दायित्व स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

3. इन योजनाओं के कार्यान्वयन में, भागीदार एजेंसियों के बीच 'योजनाओं' के वितरण का कार्य लीड बैंक द्वारा एकपक्षीय रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रत्येक संख्या के साथ परामर्श के बाद ही होना चाहिए। यद्यपि अभी तक सम्पूर्ण कार्यक्रम के आंशिक कार्यन्वयन की प्रक्रिया तक भी कम ही बैंक पहुंचे हैं तथापि लीड बैंकों द्वारा बैंक-सहायता योग्य योजनाओं के कार्यन्वयन में आ सकने वाली कुछ कठिनाइयों की इस रिपोर्ट में कल्पना की गयी है और, साथ ही उन "समस्यायुक्त क्षेत्रों" की पहचान के साथ-साथ उनके हल के संभाव्य उपायों का भी संकेत दिया गया है। इन कठिनाइयों में शाखाओं की ओर किये गये व्यतिक्रम और विरोध से पैदा होने वाली कठिनाइया भी शामिल है।

4. ये दल अनुभव करते हैं कि योजना की प्रगति के समग्र पर्यवेक्षण करना "जिला परामर्शदात्री" समिति का कार्य होगा।

5. यह भी सिफारिश की गयी है कि योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा करते रहने के लिए रिजर्व बैंक में एक स्थायी समिति का गठन किया जाये।

Functioning of Branch of Bank of India at Masaurhi District Patna, Bihar

1565. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a branch of the Bank of India is functioning at Masaurhi in Patna District in Bihar;

(b) whether many applications for loans have been pending with the bank for months together; and

(c) the reasons therefor?

Minister of State in Charge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a). A branch of Bank of India has been functioning at Masaurhi, District Patna, since December 1970.

(b) & (c). While the statistical reporting system of the commercial banks does not provide for compilation of data relating to the number of pending applications, information specially compiled by Bank of India for this particular branch reveals that in all 13 applications are pending disposal at this Branch, mainly for want of necessary particulars from applicants. Bank of India have further reported that of these pending applications, 3 were received in November 1975, 6 in December 1975 and 4 in January 1976.

राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कम्पनियों के शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

1566. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम एवं ग्राम बीमा कम्पनियों के शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ख) जिन शासनपित लेखापालों को गत तीन वर्षों में उक्त लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया, उनकी संख्या कितनी है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की वार्षिक लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों (शाखा-लेखा परीक्षकों सहित) की नियुक्ति अलग-अलग बैंकों के बोर्डों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से की जाती है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लेखा-परीक्षकों का चुनाव, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए अनुमोदित लेखा परीक्षकों की एक सूची (पैनल) से किया जाता है। भारत सरकार यह सूची भारतीय रिजर्व बैंक को भेजती है और रिजर्व बैंक इस सूची को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीयकृत बैंक की हर शाखा की लेखा परीक्षा हर वर्ष नहीं ली जाती है। 50 लाख रुपए से अधिक ऋण देने वाली शाखाओं की हर वर्ष लेखा परीक्षा होती है और शेष शाखाओं के संबंध में यदि मोटे रूप से कहा जाये तो, तीन वर्षों में एक बार लेखा परीक्षा ली जाती है।

बैंकों में लेखा परीक्षकों की इस सूची क वितरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है वे ये हैं: संबंधित बैंक का कार्यचालन क्षेत्र, इसकी शाखाओं का जाल, उस वर्ष लेखा-परीक्षा के लिये निश्चित की गई शाखाओं की संख्या/म्युनिस्पल क्षेत्रों से यथासंभव अधिक-से-अधिक लेखा परीक्षकों को लेखा-परीक्षा कार्य सौंपा जाता है। लेखा-परीक्षकों में शाखा लेखा-परीक्षा के कार्य का वास्तविक आवंटन बैंकों द्वारा अपने आप किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 25 के द्वारा शासित होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखायें लेखा-प्रयोजनों के वास्ते प्रशासकीय एक नहीं होते हैं। लेखा प्रयोजन की दृष्टि से प्रभागीय कार्यालय एक इकाई होता है। वर्ष 1974-75 के लिए, निगम के चार प्रभागीय कार्यालयों के लेखों की लेखा-परीक्षा के लिए, प्रयोग के तौर पर, चार्टर्ड-लेखाकारों की स्थानीय फर्म को नियुक्ति करने का निश्चय किया गया था।

जनरल इंस्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया और इसकी चार अनुषंगी संस्थायें, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आने वाली सरकारी कम्पनियां हैं। उनके लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों से शासित होती है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है:—

	1973	1974	1975
(1) 14 राष्ट्रीयकृत बैंक (शाखाओं के लेखा-परीक्षकों सहित) . .	740	1062	1352
(2) भारतीय जीवन बीमा निगम (लेखा-वर्ष-वित्तीय वर्ष) प्रभागीय कार्यालयों की लेखा-परीक्षा के लिए . . .	—	4 (1974–75)	—
(3) जनरल इंस्योरेंस कम्पनी . .	सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।		

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिये स्वीकृत धनराशि

1567. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भान सिंह भौरा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक 1973 से अपने मुख्यालय कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रति वर्ष 30,000 रुपए स्वीकृत करती रही है ;

(ख) क्या कर्मचारियों में आबंटित धनराशि के आधे भाग को ऐसे अधिकारियों के लाभ के लिए जो कल्याण योजना के अन्तर्गत उसके हकदार नहीं है रोकने पर विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों की इस बारे में क्षतिपूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक वर्ग ने (क) मुख्यालय के कर्मचारियों (ख) निगम के अधिकारियों के लिए स्थापित की गयी कल्याण निधियों के लिए 1 अप्रैल, 1973 से प्रत्येक के लिए 15–15 हजार रुपए का वार्षिक अंशदान मंजूर किया है ।

(ख) जी, नहीं । कर्मचारी यूनियन ने मत प्रकट किया है कि दो पृथक पृथक कल्याण स्कीमों के बजाय भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों तथा मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए एक ही कल्याण स्कीम होनी चाहिए ।

(ग) मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भारत पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से आंवटित किसी राशि का अधिकारियों की कल्याण निधि के लिए विनियोजन नहीं किया गया है ।

गोरखपुर-मरहावा-पोखरा और काठमण्डु के बीच विमान सेवा

1568. श्री नरसिंह नारायण पाँडेय : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेपाल सीमा पर स्थित गोरखपुर नगर के महत्व को देखते हुये, सरकार का विचार गोरखपुर, मरहावा–पोखरा और काठमाण्डु के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) परिचलान लागत में हुई वृद्धि विशेष रुप से विमानन ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी को दृष्टि में रखते हुये इंडियन एयरलाइन्स का फिलहाल पांचवी योजनावधि में गोरखपुर के लिये विमान सेवा चलाने की कोई योजना नहीं है ।

तथापि, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस समय काठमाण्ड् के लिये भारत में चार स्थानों, अर्थात दिल्ली, वाराणसी, पटना एवं कलकत्ता, से विमान सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है ।

वाराणसी-गोरखपुर-लखनऊ-दिल्ली के बीच विमान सेवा पुनः चालू करने का प्रस्ताव

1569. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ-दिल्ली के बीच विमान सेवा पुनः चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). परिचालन लागत में हुई वृद्धि विशेषरूप से विमानन ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी को दृष्टि में रखते हुये इंडियन एयरलाइन्स का फिलहाल पांचवी योजनावधि में गोरखपुर के लिये विमान सेवा चलाने की कोई योजना नहीं है। तथापि इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस समय दिल्ली और लखनऊ तथा दिल्ली और वाराणसी के बीच विमान सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है।

पश्चिम एशियायी देशों में भारतीय केले एवं सेव के निर्यात के लिये बाजार

1570. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशियाई देशों में भारतीय केले एवं सेवों की बहुत मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां से विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिये वहां दृढ़ एवं नियमित निर्यात बाजार बनाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) हालांकि पश्चिम एशियाई देशों में केलों के लिए पर्याप्त मांग है परन्तु सरकार ने अभी तक सेवों के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) केला तथा फल विकास निगम लिमिटेड में केले के निर्यात अवसरों का लाभ उठाने की योजना बनाई है। सरकार केलों के निर्यात पर भाड़ा उपदान देने के लिए भी सहमत हो गई है।

दिल्ली में छापों के दौरान काले धन एवं जेवरात का पता लगाया जाना

1571. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अनेक सरकारी अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापों में बड़ी मात्रा में लेखा बाहृय धन और जेवरात का पता लगा था ; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों का वर्गवार ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख). दिल्ली में दो सरकारी अधिकारियों के परिसरों की आयकर अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई थी।

इन मामलों में से एक में कृषि मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद के एक अधिकारी की पत्नी तथा लड़की के नामों में बैंक लाकरों को माल के स्वामित्व और उसके स्रोत की पुष्टि होने तक आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 (3) के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेशों के अधीन सील कर दिया गया है। इन लाकरों में 80, 000 रु० से अधिक मूल्य के जेवर-जवाहरात थे।

दूसरे मामले में कोई लेखा बाह्य धन अथवा जेवर--जवाहरात नहीं मिले ।

दिल्ली में तीन सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापों में कुल 11,790 रु० का लेखा-बाह्य धन और कुल मिलाकर 1,59,608 रु० मूल्य के जेवर-जवाहरात मिले हैं ।

इन अधिकारियों में से दो, दिल्ली विकास प्राधिकरण के हैं, जिनमें से एक अधिशासी अधिकारी तथा दूसरा नायब तहसीलदार है तथा तीसरा अधिकारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक अधिशासी इंजीनियर है, जो आयकर विभाग में प्रतिनियुक्ति पर था ।

विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उपबंधों का कथित उल्लघंन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 दिसम्बर, 1975 को दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी के परिसरों की तलाशी ली गई, परन्तु कोई लेखा-बाह्य धन अथवा जेवर-जवाहरात नहीं पकड़ा गया ।

मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों के लिये होटलों का निर्माण

1572. **श्री शशि भूषण : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल में दिल्ली को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों और विदेशियों के लिए पर्यटक होस्टलों का निर्माण करने के लिए कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूरी परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा इसमें कितनी लागत आयेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने एक दिल्ली पर्यटन विकास निगम का गठन किया है जिसमें मध्य आय वर्ग के पर्यटकों एवं विदेशियों के लिये एक नागरिक आवास गृह, राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र एवं पर्यटन सूचना केन्द्र के निर्माण तथा अन्य पर्यटक सुविधाओं एवं सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की है । इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम की अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 600 कमरों के एक तीन-स्टार होटल के निर्माण की योजना है, जो मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के लिये अभिप्रेत है ।

पर्यटन विभाग ने फिल्म डिवीजन को "डेस्टिनेशन दिल्ली" शीर्षक से एक नये वृत्त चित्र के निर्माण का काम सौंपा है । यह वृत्त-चित्र निर्माणाधीन है और ख्याल है कि चित्र इसी वर्ष उपलब्ध हो जायेगा । पर्यटन विभाग ने दिल्ली पर एक विशेष रंगीन विवरणिका (ब्रोशर) का प्रकाशन किया है जो इस नगर के बारे में पहले से उपलब्ध अन्य पर्यटन साहित्य के अलावा है । अन्य साहित्य, प्रचार एवं प्रोत्साहन अभियानों में भी दिल्ली का प्रचार किया गया है ।

(ग) दिल्ली पर्यटन विकास निगम की योजना की अनुमानित लागत 10.25 करोड़ रुपये है और इस योजना के 1982–83 के अन्त तक आठ वर्षीय अवधि में पूरा कर दिये जाने का प्रस्ताव है । भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित होटल का प्रारंभिक लागत अनुमान सात करोड़ रुपये है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिल्ली में मकानों का निर्माण

1573. **श्री शशि भूषण:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का निम्न एवं मध्य आय समूहों में मकानों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये दिल्ली में बड़े पैमाने पर मकान निर्माण करने का प्रस्ताव था; और

(ख) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है और दिल्ली में जीवन बीमा निगम द्वारा मकानों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आवास परियोजना हाथ में लेने की योजना बनाई है और उस प्रयोजनार्थ उचित भूमि प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयास कर रहा है।

(ख) जैसे ही भूमि आवंटित की जायगी, जीवन बीमा निगम क्वार्टरों के निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

1973 में हस्ताक्षरित जीवन बीमा निगम के समझौते की क्रियान्विति

1574. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्य संबंधी नियमों के बारे में डेवलपमेंट आफीसरों (श्रेणी दो) कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ और जीवन बीमा निगम के तत्कालीन चेयरमैन ने जिस समझौते पर 1973 में हस्ताक्षर किये थे उसको क्रियान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जीवन बीमा निगम, भारत के बीमा क्षेत्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ के साथ कार्य प्रतिमानों के संबंध में 19 नवम्बर, 1971 के करार को कार्यान्वित कर रहा है। यह करार उन कुछ अलग-अलग मामलों में लागू नहीं किया जा रहा है जहां काम बहुत कम रहा था और करार की शर्तों से बाहर कार्यवाही करने पर विचार करना पड़ा था।

जीवन बीमा निगम में श्रमिकों की साझेदारी

1575. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने निगम के प्रबंध कर्मचारियों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जीवन बीमा निगम की प्रबंध-व्यवस्था में भाग लेने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को चुनने के निमित्त एक संतोषजनक क्रियाविधि तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टरी, कलकत्ता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारी

1576. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टरी, कलकत्ता में कार्यकारी निरीक्षकों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या अराजपत्रित इंस्पैक्टरों को केन्द्र सरकार द्वारा नियत कोटे के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1971 से ऐसे कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आंकड़े नीचे दिये अनुसार हैं :—

(1) अनुसूचित जाति : 274

(ii) अनुसूचित जनजाति : 28

ये आंकड़े कलकत्ता, पश्चिम बंगाल तथा भुवनेश्वर के समाहर्ता-अधिकार क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनका एक समान संवर्ग है।

(ख) जी हां, जिस सीमा तक पात्र अधिकारी सामान्य विचारार्थ पदोन्नति सीमा (कन्सीडरेशन जोन) के अन्तर्गत उपलब्ध हों और पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये जाते हों, उन्हें पदोन्नत किया जाता है। जिन मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी आरक्षित कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिये उपलब्ध नहीं होते उन मामलों में कार्मिक तथा प्रशासन सुधार विभाग से परामर्श करके रिक्त पदों के आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है और इस प्रकार के रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जिन निरीक्षकों को संगत अवधि में प्रवर्तमान आदेशों के अनुसार 1971 से अब तक पदोन्नतियां दी गई हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

निरीक्षक (सा० ग्रे०) से निरीक्षक (प्र० ग्रे०) में पदोन्नति

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1971 . . .	3	कुछ नहीं
1972 . . .	3	कुछ नहीं
1973 . . .	3	कुछ नहीं
1974 . . .	15	9
1975 . . .	6	3
निरीक्षक के पद से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक, श्रेणी II, के पद पर पदोन्नति		
1971 . . .	2	कुछ नहीं
1972 . . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1973 . .	2	कुछ नहीं
1974 . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
1975 . . .	8	कुछ नहीं

ईरान को सीमेंट का निर्यात

1577. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान को सीमेन्ट का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का; और

(ग) इस सौदे से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). फिलहाल सीमेन्ट की सप्लाइयां लगभग 11 लाख मे० टन की विद्यमान दीर्घकालीन संविदाओं के आधार पर ही केवल की जा रही हैं।

वित्तीय प्रशासन में सुधार

1578. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय प्रशासन में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो नये ढांचे में शामिल की जाने वाली मुख्य नीति और विषय क्या हैं; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों तथा लोगों के उद्धार के लिए क्या-क्या विषय शामिल किये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) इन सुधारों का मुख्य बल वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच जिम्मेदारियों के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी विभाजन की ओर है। संक्षिप्त रूप में, वित्त मंत्रालय को प्रभावी केन्द्रीय नीति-निर्धारण कार्य-पद्धति के माध्यम से नेतृत्व प्रदान करना चाहिए तथा वित्तीय नियंत्रण की समग्र व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, जिसमें निवेश संबंधी प्रस्तावों की बजट-पूर्व जांच भी शामिल हो, जबकि आंतरिक वित्तीय प्रबंध और निर्धारित लक्ष्यों के प्रति विशिष्ट कार्य निष्पादन की सफलता का दायित्व पूर्णतः प्रशासनिक मंत्रालयों का होना चाहिए। इस वर्ष के शुरू में, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को वित्तीय शक्तियो के प्रत्यायोजन तथा लचीले ढांचे के अंतर्गत अपने अधीनस्थ प्राधिकरणों को और आगे पुनः प्रत्यायोजन में वृद्धि की गई थी। वर्तमान कार्यवाही कार्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित है :—

(i) एकीकृत वित्तीय सलाहकार योजना :

प्रशासनिक मंत्रालय में मंत्रालय के एक अंग के रूप में संयुक्त सचिव या अपर सचिव की हैसियत के एक पूर्णकालिक वित्तीय सलाहकार को तैनात किया जायेगा। वह, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के वर्तमान संबद्ध वित्त प्रभाग और प्रशासनिक मंत्रालय के आन्तरिक वित्त प्रभाग को मिला कर बनाये गये और डेस्क अधिकारी नमूने पर पुनः गठित किये गये एक नये वित्त प्रभाग का प्रधान होगा।

(ii) लेखों का विभागीयकरण :

वर्तमान में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग द्वारा किये जा रहे लेखा संबंधी क्रिया-कलापों को, इस कार्य को कर रहे कर्मचारियों सहित स्थानांन्तरण करके प्रत्येक मंत्रालय की अपने

स्वयं की विभागीकृत व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य प्रत्येक मंत्रालय के पास उपलब्ध लेखा सामग्री का समय पर उपयोग करके उस मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुकूल लेखा प्रबंध का विकास करना होगा।

(iii) वेतन और पेंशन की अदायगी, भविष्य निधि लेखों के रखरखाव तथा धन की अदायगी और वापसी संबंधी नियमों और कार्य-पद्धतियों का सरलीकरण और आधुनिकीकरण किया जायेगा। नागरिकों को और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से देय रकमों की प्राप्ति करने तथा पशनों की अदायगी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संबद्ध किया जायेगा।

(iv) वित्तीय प्रबंध के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों की वर्धित सक्षमता और ऊपर बताये गये अनुसार प्रबन्ध सूचना कार्य-पद्धतियों के लिए आधार सामग्री के समय पर उपलब्ध होने से सरकार में पहले से ही चालित निष्पादन बजट की क्रिया एक प्रबंध यंत्र के रूप में और आगे सुधारी जायेगी।

(ग) प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य सरकार के सभी कार्यक्रमों और क्रिया-कलापों के निष्पादन में सुधार लाना है; अतः इसके लाभ पिछड़े क्षेत्रों और लोगों के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों और क्रिया-कलापों के लिए उपलब्ध होंगे।

निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना

1579. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सचिवों की समिति ने भारत में कुछ निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या बहुराष्ट्रिकों और अन्य व्यापार गृहों को निर्यात हेतु इन एन्क्लेवों में उद्योग स्थापित करने दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें अधिकांश निर्गमित तथा अन्य करों से छूट दी जायेगी; और

(घ) निर्बाध व्यापार क्षेत्र कब तक बन जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ). भारत में और अधिक मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के प्रश्न की समय-समय पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। निर्यात के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रिकों और अन्य व्यवसाय-सदनों को अनुमति देने के प्रश्न पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

बैंक ऋण में रियायत

1580. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के बदले बैंक ऋण में किसी रियायत की हाल में घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस रियायत की मुख्य बात क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), (ख) और (ग): 1 नवम्बर, 1975 को चालू व्यस्त मौसम के लिए घोषित की गई ऋण नीति में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि खाद्यान्न के अलावा अन्य आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का वितरण अपने हाथ में लेने वाले राज्यों और केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों की सहायता करने की दृष्टि से बैंक, इन अभिकरणों को दिये गये अग्रिमों के बारे में स्टाक पर 10 प्रतिशत का रियायती मार्जिन रखें बशर्ते कि उसके लिए सरकार गारण्टी दे। जहां तक वसूली, संग्रहण और वितरण करने वाले खाद्यान्न के व्यापारिक अभिकरणों का सम्बन्ध है, आजकल लागू चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था के अनुसार ये अभिकरण, चयनात्मक ऋण नियंत्रण के ढांचे में निर्धारित मार्जिन तथा अन्य आवश्यकताओं से मुक्त हैं।

इसके बाद रिजर्व बैंक ने 11 नवम्बर, 1975 से मार्जिनों के बारे में चयनात्मक नियंत्रण उपायों में निम्नलिखित छूट दी हैं :—

(1) लेवी की चीनी पर 15 प्रतिशत तथा मुक्त बिक्री की चीनी पर 25 प्रतिशत मार्जिनों के बजाय लेवी की और मुक्त बिक्री की चीनी पर 15 प्रतिशत के एकीकृत मार्जिन की व्यवस्था की गई है।

(2) महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में मूंगफली के स्टाफ पर अग्रिमों का मार्जिन 75 प्रतिशत से घटाकर अन्य राज्यों के बराबर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) गुड़ और खांडसारी बनाने वाले एककों के गुड़ और खांडसारी के स्टाक पर अग्रिमों का मार्जिन 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(4) चावल मिलों के धान पर अग्रिमों का मार्जिन 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है और चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों पर अग्रिमों का मार्जिन 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। रोलर आटा मिलों को गेहूं पर अग्रिमों का 25 प्रतिशत का रियायती मार्जिन चालू है।

(5) व्यापारियों, व्यावसायिकों और अभिकर्त्ताओं को सूती वस्त्रों (सूती धागा और कपड़ा तथा मानव निर्मित रेशे के धागे सहित) पर अग्रिमों का मार्जिन 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

(6) मिलों के पास पड़े नियंत्रित किस्म के कपड़े के स्टाक पर न्यूनतम मार्जिन को 5 प्रतिशत कम करने की सलाह बैंकों को दी गई है।

योजना बाह्य कार्यों के लिये बैंकों से मांग

1581. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल में यह आदेश जारी किये हैं जिनमें राज्य सरकारों को कहा गया है कि योजना बाह्य कार्यों के लिये बैंकों से धनराशि की मांग न की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। किन्तु 30 अक्टूबर, 1975 को जयपुर में हुई उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय सलाह समिति की बैठक में मूलभूत विकास के लिए बैंक ऋण देने की

सामान्य नीति का स्पष्टीकरण करते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा था कि इन प्रायोजनों के लिए बैंकों से रुपया, राज्य सरकारों के ऋणों तथा राज्यों से सम्बद्ध निकायों के बाण्डों में निवेश के रूप में मिलता है। ये योजनाएं राज्यों की वार्षिक योजनाओं में समाविष्ट हैं इसलिए वित्त मंत्री ने राज्यों को सलाह दी थी कि वे अपनी राज्य योजना में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करें और बैंकों से योजना से बाहर, मूलभूत विकास के वित्त पोषण के लिए मांग न करें।

पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ संयुक्त उद्यम

1582. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को भारत के निर्यात में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है; और

(ख) क्या उनके सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इन देशों में वहां के राष्ट्रिकों के सहयोग से संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए भारतीय उद्यमियों के जो प्रस्थापनाएं प्राप्त होती हैं उनके अनुमोदन के लिए उनपर सरकार द्वारा विचार किया जाता है। सऊदी अरब, आबुधाबी, दुबई, कतार, ईरान, इराक, नाइजीरिया और इन्डोनेशिया में एककों की स्थापना के लिए प्रस्थापनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है। जो क्षेत्र शामिल हैं वे हैं : निर्माण परियोजनाएं, परामर्शी सेवाएं, रबड़ उत्पाद, इंजीनियरी उत्पाद, मोटरगाड़ियों के पुर्जे, वास्तुकला संबंधी उपस्कर, गैस सिलेंडर, टैक्सटाइल संयंत्र आदि।

विश्व निर्यात में भारतीय भाग में कमी

1583. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व निर्यात में भारत के भाग में कमी हुई है, जिसमें गत कुछ वर्षों में चार गुनी वृद्धि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। वर्ष 1971 और 1974 के बीच विश्व-निर्यातों में भारत के हिस्से में 0.1 प्रतिशत की कमी हुई है।

(ख) विश्व-निर्यातों में इस देश के हिस्से में कमी का प्रधान कारण यह है कि पी०ओ०एल०, मशीनरी, अलौह धातुओं, लोहा तथा इस्पात आदि जैसी मदों का, जिनका विश्व व्यापार मूल्य तेजी से बढ़ रहा है, देश की निर्यात सूची में कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण हैं; निर्यात की परम्परागत मदों पर (जिनकी कीमतें अपेक्षाकृत उतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी कि पी०ओ०एल०, मशीनरी आदि जैसी मदों की बढ़ी हैं) अभी तक अधिक जोर दिया जाना और निर्यात संभाव्यता वाले माल के लिए देश में विस्तृत और बढ़ता हुआ बाजार आदि।

पोरबन्दर के लिये इंडियन एयर लाइन्स की सेवायें

1584. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर जाने वाले पर्यटक उस स्थान के लिए दैनिक विमान सेवाएं न होने के कारण अपनी यात्रा छोड़ देने के लिये विवश हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार पोरबन्दर के लिये दैनिक सेवाओं की व्यवस्था करने का है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) इंडियन एयर-लाइंस इस समय बम्बई और पोरबंदर के बीच एच० एस०—748 विमान सप्ताह में चार बार विमान सेवाएं परिचालित कर रही है । अपनी सिमित टर्बो प्राप पारिता को दृष्टि में रखते हुए, इंडियन एयरलाइंस की बम्बई और पोरबंदर के बीच अपने परिचालनों की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) में वृद्धि करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं ।

इंडियन एयर लाइन्स सेवा में समय की पाबन्दी

1585. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स अपनी बहुत सी विमान सेवाएं समय पर नहीं चला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) समय की पाबन्दी की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) (ख) और (ग) 1973 में 45.16 प्रतिशत और 1974 में 67.68 प्रतिशत के मुकाबले में 1975 में इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं के यथासमय परिचालन का औसत 68.07 प्रतिशत था । इस प्रकार कारपोरेशन द्वारा परिचालित सेवाओं की समयपालकता में पिछले वर्षों के मुकाबले में 1975 के दौरान सुधार हुआ है । जो विलम्ब हुए वे अधिकतम मामलों में खराब मौसम की परिस्थितियों आदि जैसे कारणों की वजह से हुए जोकि एयरलाइन्स के अधिकारियों के बस के बाहर थे । तथापि, कारपोरेशन इन संबंध में और अधिक सुधार करने के लिये यथासंभव हर उपाय कर रही है ।

मिलों का आधुनिकीकरण

1586. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री एस० ए० मुरूगन्तम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने अधीन मिलों के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण विस्तार पर 175 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । 84 मिलों के बारे में आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिन में 52.18 करोड़ रुपये का खर्च अन्तग्रस्त है, निगम द्वारा पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है । सितम्बर, 1975 तक लगभग 20 करोड़ रुपये की मशीनें प्राप्त हो चकी हैं और संस्थापित की जा चुकी है ।

पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता

1587. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी थी और उसको अप्रैल से नवम्बर, 1975 के बीच कितनी सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): पश्चिम बंगाल की सरकार से, 1975 में अप्रैल और नवम्बर, के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए वित्त मंत्रालय को निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए : —

(1) सड़कों के लिए 4.12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजनागत सहायता;

(2) उत्तर बंगाल बाढ़ नियन्त्रण आयोग के अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण संबंधी निर्माण कार्यों के लिए एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता ;

(3) घरों और कैम्पों में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च के लिए जब तक उनको फिर से नहीं बसा दिया जाता, आयोजना-भिन्न सहायता ।

यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार के पहले दो अनुरोधों को मानना सम्भव नहीं है लेकिन राज्य सरकार के तीसरे अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन

1588. **श्री नारायणचन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमानो के बारे में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के सभी श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में क्रियान्वित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो डाक तथा तार विभाग के स्टेनोग्राफर्स के वेतनमानों संबंधी सिफारिशें किस तारीख को लागू की गई ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तीसरे वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सिफारिश किये गये संशोधित वेतनमानों को अधिकतर मामलों में क्रियान्वित कर दिया गया है ।

(ख) डाक-तार विभाग के आशुलिपिकों के पद भारत सरकार के बहुत से विभागों के पदों की समान श्रेणियों वाले पद हैं, जिनके वेतनमानों को वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 499(ई) दिनांक 13 नवम्बर, 1973 द्वारा अधिसूचित कर दिया है और इस अधिसूचना की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं । परन्तु, इन पदों के लिए प्रवरण ग्रेड के निर्माण करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अभी भी विचार किया जा रहा है ।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

1589. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आन्तरिक हवाई अड्डों की उड़ान पट्टियों को बड़े तथा भारी विमानों की उड़ानों के योग्य बनाने के लिये सुदृढ़ बनाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या सरकार देश के विभिन्न हवाई अड्डों विशेषतया बड़े हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने की दिशा में भी कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सुरक्षित तथा सुविधापूर्ण ढंग से विमानों के उतरने के लिये आवश्यक उड़ान पट्टियों पर प्रकाश तथा अन्य सुविधायें अहमदाबाद सहित विभिन्न हवाई अड्डों पर उपलब्ध करायी जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क), (ख), (ग) और (घ) यद्यपि अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर धावनपथों (रनवेज़) को मजबूत करने एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं और कुछ योजनाएं कार्यान्वित भी की जा रही हैं तथापि प्रश्न में पूछे गए विस्तृत ब्यौरों के बारे में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटन कार्यालय

1590. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिये सरकार ने देश में तथा विदेशों में नये पर्यटन कार्यालय स्थापित किये हैं और/अथवा वर्तमान पर्यटन कार्यालयों को सशक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, हां। भारत सरकार के विदेशों में 16 तथा भारत में 11 पर्यटन कार्यालय हैं। विदेश स्थित कार्यालय, न्यूयार्क, शिकागो, सानफ्रांसिस्को, टोरांटो, लन्दन, जैनेवा, पैरिस, वीयाना, फैंकर्ट, ब्रूसेल्स, स्टाकहोम, मिलान, टोकियो, सिंगापुर, सिडनी तथा कुवैत में हैं। भारत में ये कार्यालय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा, जयपुर, वाराणसी, औरंगाबाद, जम्मू, खजूराहो तथा कोचीन में हैं।

पर्यटन विभाग ने "आपरेशन यूरोप" "आपरेशन अमेरिका" तथा "आपरेशन यू० के०" स्कीमें चालू कर के विदेशों में अपने संगठन को मजबूत किया है। इन स्कीमों के अन्तर्गत, पर्यटन विभाग तथा एयर इंडिया ने विदेशों में अपने पर्यटन प्रोत्साहन अभियान को और अधिक तीव्र करने के लिये अपने साधनों को पूल किया है । पिछले पांच वर्षों के दौरान दो नए और कार्यालय खोले गए हैं—एक 1972 में सिंगापुर में तथा दूसरा दिसम्बर, 1975 में कुवैत में।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन की अभिवृद्धि तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने को प्रोत्सहान देने के लिये किए गए उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

1. पर्यटन विभाग ने विदेशों में वितरण के लिये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, जापानी और थाई भाषाओं में पर्यटन साहित्य की लगभग 50 लाख प्रतियों का प्रकाशन किया। पश्चिम एशिया के नव-सम्पन्न टूरिस्ट मार्केट में

प्रयोग के लिये प्रथम बार अरबी भाषा में साहित्य का निर्माण किया गया। अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन और अरबी भाषाओं में रंगीन वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया।

2. विश्व भर में 15 विदेशी पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से विज्ञापन, प्रचार एवं जन सम्पर्क का व्यापक अभियान चलाया गया।

3. विशेष पर्यटन अभिवृद्धिपरक उपाय के रूप में विदेशी पर्यटकों के लिये इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 'भारत-दर्शन' (डिस्कबर इंडिया) टिकट तथा भारतीय रेलवे द्वारा 'जहां चाहें वहां जायें' (ट्रैवल ऐज़ यू लाइक) टिकट जैसी सुविधायें प्रदान की गई।

4. बिना विज़ा भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिये प्रवेश-औपचारिकताओं का उदार कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत उन्हें आगमन पर विमानक्षेत्र पर 28 दिन के लिये वैध अवतरण-अनुमतिपत्र (लैण्डिंग परमिट) मिल सकता है। हिमालय के कुछेक क्षेत्र जो अब तक विदेशी पर्यटकों के लिये निषिद्ध थे अब उनके लिये खोल दिये गये हैं।

5. कोवालम समुद्रतटीय बिहारस्थल परियोजना का प्रथम चरण इस बिहारस्थल में 280 शय्याओं की व्यवस्था वाले नये कोवालम पैलेस होटल के खुल जाने से पूरा हो गया है। गुलमर्ग हिम क्रीड़ा बिहारस्थल में शरदकालीन क्रीड़ाओं के लिये सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया गया है।

6. पर्यटन विभाग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ एवं अखिल भारतीय होटल व रेस्टोरेंट महासंघ के प्रतिनिधियों के यात्रा उद्योग अभिवृद्धिपरक दलों को आस्ट्रेलिया, जापान तथा पश्चिम एशिया जैसे विश्व के महत्वपूर्ण टूरिस्ट माकटों में भेजा गया।

7. रियायती ऋण प्रदान कर नये होटलों के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया।

8. निम्न आय वर्ग के पर्यटकों की आवश्यकतापूर्ति के लिये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में युवा होस्टल, पर्यटक बंगले तथा फोरेस्ट लाज बनाये गये हैं।

9. 90 दिनों तक के वास के लिये विजा की आवश्यकता को समाप्त करने के बारे में पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया, नार्डिक देशो तथा बुलगारिया के साथ द्विपक्षी करार किये गये हैं।

10. यात्रा उद्योग को विदेशों में अभिवृद्धिपरक यात्रायें करने तथा विदेशों में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के लिये विदेशी मद्रा के विमोचन के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं।

11. प्रचार अभियान के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष विदेशों से यात्रा अभिकर्ताओं तथायात्रा लेखकें/पत्रकारों/दूरदर्शन/फिल्म निर्माताओं को भारत की परिचायक यात्राओं के लिये आमंत्रित किया जाता है।

12. परिवहन ऋण योजना के अन्तर्गत प्राइवेट पर्यटक यातायात परिचालकों को किराया-खरीद सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

13. लक्षद्वीप को पूर्व अनुमति लेने पर विदेशी पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है।

14. देश में हमने पर्यटन के पक्ष में वातावरण तैयार करने के लिये विज्ञापन-पट्टों विज्ञापनो एवं सिनेमा सर्किटों द्वारा फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से 'पर्यटकों के प्रति सौजन्य' अभियान चलाया है।

15. अरब देशों में अभिवृद्धिपरक कार्यवाही को तीव्र करने के लिये कुवैत में एक नया पर्यटन कार्यालय खोल कर हमने अपना नववर्ष प्रारम्भ किया है।

बिड़ला बन्धुओं द्वारा कर अपवंचन की जाँच

1591. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला बन्धुओं के विरुद्ध कर अपवंचन और अन्य कदाचारों के बारे में की जा रही जांच 1975 में बन्द कर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेन्स नीति जांच समिति (आई० एल० पी० आई० सी०) की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं और चूकों की जांच-पड़ताल करने के लिए सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों पर एक जाँच आयोग का गठन किया है। इस रिपोर्ट में बिड़ला समूह से सम्बन्धित कुल 205 प्रतिष्ठानों की एक सूची दी गयी है। आयोग अपने निर्देश पदों द्वारा यथापेक्षित, बिड़ला के अधिकांश प्रतिष्ठानों की गतिविधियों की जांच/पूछताछ कर रहा है, किन्तु कुछ निर्देश पदों के सम्बन्ध में बिड़ला प्रतिष्ठानों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गयी थी और 28 मामलों में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये थे। बिड़ला प्रतिष्ठानों के जो मामले इन स्थगन आदेशों में शामिल नहीं है उनमें आयोग की कार्यवाही जारी है।

स्थगन आदेशों को रद्द कराने के लिए, सरकार ने पिछले वर्ष सितम्बर में कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थीं। इन याचिकाओं की सुनवाई इस वर्ष फ़रवरी में किसी समय होने की आशा है।

विदेशी सहयोग से निजी होटल

1592. श्री भोगेन्द्र झा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहयोग से निजी होटल स्थापित करने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख): जी, हां, देश में निम्नलिखित चार निजी होटल हैं जो पहले ही विदेशी सहयोग से कार्य कर रहे हैं:—

क्रम सं०	होटल का नाम	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी कम्पनी का नाम
1.	ओबेराय इंटरकांटिनेंटल नई दिल्ली	ईस्ट इण्डियन होटल्स कं० लि०	इंटरकांटिनेंटल होटल्स कार्पोरेशन, यू० एस० ए० ।
2.	ताज इंटरकांटिनेंटल, बम्बई	इंडियन होटल्स कं० लि०	इंटरकांटिनेंटल होटल्स कार्पोरेशन, यू० एस०ए० ।
3.	ओबेराय शेराटन, बम्बई	ईस्ट इंडिया होटल्स कं० लि०	शेराटन इंटरकांटिनेंटल, यू० एस० ए०
4.	हालिडे इन, आगरा	नार्दर्न इण्डिया होटल्स लि०	हालिडे इन्स इंक० यू० एस० ए० ।

इनके अतिरिक्त, चार और होटल प्रयोजनाओं के मामले में भी विदेशी सहयोग का अनुमोदन कर दिया गया है जिन का निम्नलिखित स्थानों पर निर्माण हो रहा है :—

क्रम सं०	स्थान	भारतीय पार्टी का नाम	विदेशी पार्टी का नाम
1.	बम्बई .	ईस्टर्न इंटरकांटिनेंटल होटल्स लि०	होलिडे, इन्स, इंक०, य० एस० ए० ।
2.	मद्रास .	अड्यार गेट होटल्स लि० (अब उन्होंने इस व्यवस्था को त्याग देने का निर्णय किया है)	हालिडे इन्स, इन्क०, यू० एस० ए० ।
3.	हैदराबाद	होटल बनजारा लि०	हालिडे इन्स, इन्क०, यू० एस० ए० ।
4.	बम्बई .	ऐलेल होटल्स एन्ड इंवेस्टमेंट (प्रा०) लि०	रामाडा इटरनेशनल इन्क यू० एस० ए० ।

इन मामलों में अनुमोदित की गयी विदेशी सहयोग व्यवस्था के अन्तर्गत, होटल विदेशी श्रृंखला की बिक्री, आरक्षण आदि सम्बन्धी लाभ तथा सुविधाएं प्राप्त करता है, जबकि होटल का वास्तविक प्रबन्ध भारतीय पार्टी के पास ही रहेगा ।

2635 LS—6

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

1593. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्यवार, 1974 और 1975 में 14 राष्ट्रीयकृत बकों द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ख) उन्होंने राज्यवार कार्य क्षेत्र के लिये कितना ऋण दिया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में पर्यटन का विकास

1594. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये उचित होटल सुविधाओं तथा मनोरंजन साधनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो केरल में पर्यटन के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस समय पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची पर केरल में 13 होटल हैं जिनमें 449 कमरे हैं । कोवालम होटल के पूरा हो जाने से 200 अतिरिक्त शय्याओं की वृद्धि हो गयी है । इस विभाग ने केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा कोचीन में स्थापित की जाने वाली 108 कमरों की एक होटल प्रयोजना का भी अनुमोदन कर दिया है । अभी तक पर्यटकों के लिए आवास की कमी के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और इसीलिए की गयी आवास की व्यवस्था फ़िलहाल पर्याप्त समझी जाती है । जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, निस्सन्देह रूप से होटलों की संख्या भी बढ़ जाएगी ।

केरल के महत्वपूर्ण केन्द्रों में उपयुक्त मनोरंजन सुविधाएं मौजूद हैं । कोवालम में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कत्थाकली नृत्य प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया जाता है । इसी प्रकार की मनोरंजन सुविधाएं त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन में भी उपलब्ध हैं ।

(ख) पर्यटन विकास सम्बन्धी केन्द्रीय योजना में कोवालम का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मुख्य पर्यटक गन्तव्य स्थान के रूप में विकास करने पर बल दिया गया है । कोवालम होटल के चालू हो जाने से कोवालम का एक समुद्रतटीय बिहार-स्थल के रूप में विकास करने का पहला चरण पूरा हो गया है । कोवालम में इस समय कुल मिलाकर 140 कमरे (280 शय्याएं) उपलब्ध हैं । भारत पर्यटन विकास निगम कोवालम की यात्रा करने के लिए अधिक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए इस समय कोवालम होटल तथा कोवालम के आकर्षणों का विज्ञापन कर रहा है । कोवालम तथा केरल के अन्य पर्यटक केन्द्रों का और विकास करना कोवालम के मुख्य समुद्रतटीय बिहार-स्थल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा, जो कि ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगी जिनकी कि वहां व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

करदाताओं के लेखों की परीक्षा करने के लिये चार्टर्ड एकाउटेन्ट

1595. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142 की उपधारा 2क के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों को करदाता के लेखों की अनिवार्य परीक्षा कराने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में की गई ऐसी लेखा परीक्षाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या आयकर आयुक्त इस कार्य के लिये चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की कोई तालिका बनाते हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंटों के नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो ऐसे लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके आधार क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 142 में एक नई उपधारा (2ए) जोड़ी गई है। इसमें व्यवस्था की गई है कि कर निर्धारितियों के खतों के स्वरूप और जटिलता को तथा राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए आय-कर अधिकारी, आय-कर आयुक्त की पूर्व अनुमति से, कर-निर्धारिती को निदेश दे सकता है कि वह इस सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा नामजद चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अपने खातों की लेखा परीक्षा करायें।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि नया उपबन्ध 1 अप्रैल 1976 से लागू होगा।

(ग), (घ) और (ङ) : यह मामला विचाराधीन है।

प्राथमिकता सम्बन्धी सामान्यीकृत प्रथा की अमरीकी योजना का परिचालन

1596. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिकताओं सम्बन्धी सामान्यीकृत प्रथा को भारत में विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों एवं कमाडिटी बोर्डों को परिचालित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): सं० रा० अमरीका द्वारा शरू की गई अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली की योजना 6 दिसम्बर, 1975 को निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों को परिचालित की गई थी।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर का कार्यकरण

1597. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी काटन मिल कानपुर में करघों और तकुओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या मिल के बुनकर विभाग में हाल ही में क्षमता घटकर 52 प्रतिशत अथवा इससे कम रह गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उक्त मिल की वर्तमान स्थिति के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) नवम्बर, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता 84,372 तकुए और 1944 करघे थी।

(ख) नवम्बर, 1975 में उपस्थिति पंजी में 6789 स्थायी और 1290 अस्थायी कर्मचारी थे।

(ग) 1975 के दौरान निम्नतम औसत मासिक कार्यक्षमता अगस्त, 1975 के महीने में 57.5 प्रतिशत बताई जाती है जिसका कारण श्रमिकों व प्रबन्धकों के प्रतिकूल सम्बन्धों का होना बताया जाता है।

(घ) बताया गया है कि मिलें वित्तीय कठिनाई में हैं और बैंकों से गारण्टी ऋण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क कर रही हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[PAPERS LAID ON THE TABLE]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1975 के वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियां और दायित्व तथा लाभ और हानि लेखे का विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० —10280/76]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1975

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। जो दिनांक 27 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 450 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र जो दिनांक 26 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 536(ङ) अंग्रेजी संस्करश) तथा सां०आ० 537 (ङ) हिन्दी संहकरण) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०——10281/76)

चाय बोर्ड के वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा वर्ष 1971–72 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 रबड़ आदि (संशोधन) नियम आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) चाय बोर्ड के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) चाय बोर्ड के वर्ष 1971–72 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे सम्बन्धी विवरण ।

(3) चाय बोर्ड के वर्ष 1972–73 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे सम्बन्धी विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी०––10282/76]

(4) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी०––10283/76]

(5) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 2402 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी०––10284/76]

(6) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1972–73 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(7) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1973–74 के कार्यकलापो सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० ––10285/76]

(8) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1971–72 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे सम्बन्धी विवरण ।

(9) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1972–73 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे सम्बन्धी विवरण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी०––10285/76]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :––

(एक) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी०––10286/76]

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत तथा स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—10287/76]

(2) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—10288/76]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही सारांश

श्री जी० जी० स्वेल (स्वायत्तशासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की 8 मई, 1975 तथा 8, 12, 21 और 27 जनवरी, 1976 को हुई 58वीं से 62 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) "राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्य सभा द्वारा 28 जनवरी, 1976 को हुई अपनी बैठक में पारित बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

(दो) 'मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा द्वारा 21 जनवरी, 1976 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक, 1976 को राज्य सभा ने 29 जनवरी, 1976 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधन के साथ पारित कर दिया है : —

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द "छब्बीसवें वर्ष" **के स्थान पर** शब्द "सत्ताईसवें वर्ष" **प्रतिस्थापित किये जायें ।**

अतः मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसार यहां उक्त विधेयक इस अनुरोध के साथ लौटाना है कि इस सभा को उक्त संशोधन पर लोक सभा की सहमति संसूचित की जाये ।'

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोक सभा द्वारा 27 जनवरी, 1976 को हुई अपनी बैठक में पारित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक, 1976 से राज्य सभा 29 जनवरी, 1976 को हुई अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक--राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL—AS PASSSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 सभा पटल पर रखता हूं ।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक--राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

REGIONAL RURAL BANKS BILL— AS AMENDED BY RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा एक संशोधन के साथ लौटाया गया प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक, 1976 सभा-पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : श्रीमन्, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1976

(2) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1976

(3) विनियोग विधेयक, 1976

(4) विनियोग (रेल) विधेयक, 1976;

(5) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

(6) आय और धन स्वेच्छया प्रकटन विधेयक, 1976

(7) भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक, 1976

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

196 वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं फरक्का बांध परियोजना—कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 28 पर लोक लेखा समिति का 196वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESF OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): 2 फरवरी, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार तथा पारित करना ।

(2) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार तथा पारित करना ।

(3) लोक-सभा की अवधि बढ़ाये जाने के विधेयक पर विचार तथा पारित करना ।

(4) आज की कार्य-सूची में शेष रही सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

(5) भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार तथा पारित करना ।

(6) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) खाद्य अपमिश्रण (संशोधन) विधेयक, 1976

(ख) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1976 ।

(7) नियम 193 के अन्तर्गत गन्ने के मूल्य पर चर्चा ।

भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक

WAREHOUSING CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : श्री जगजीवन राम की ओर से मैं भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरः-स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भाण्डागरण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The Motion was adopted).

श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

[MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL]

विचार करने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम मोटर यान (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे । श्री दिनेश जोरदार अपना भाषण जारी रखें ।

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 की दशा कलकत्ता से सिलीगुड़ी और आसाम की ओर इतनी खराब है कि प्रतिदिन अनेकों दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत से लोगों की जान जाती है । इसकी यथाशीघ्र मरम्मत करायी जाये ।

मंत्री महोदय उन 14 लाख परिवहन कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की ओर भी ध्यान दें जो अधिकतर मजदूर, ड्राइवर, सहायक, गैराज कर्मचारी और क्लीनर हैं । केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार ने उनका न्यूनतम वेतन तक निश्चित नहीं किया है । उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में कोई नियम अथवा शर्तें नहीं हैं । ट्रक मालिकों को परमिट देते समय उनके लिए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, वर्दी और विश्राम गृहों की सुविधा देना अनिवार्य किया जाये । यदि परिवहन व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता तो व्यवस्था और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को सुधारने के लिए व्यापक और समेकित नीति बनाई जाये ।

लाइसेंस उन लोगों को न दिये जायें जिन का लाइसेंस अधिकारियों पर प्रभाव है जिससे वे लम्बी दूरी के लिए ट्रक चलाकर बड़ा लाभ कमा सकते हैं । छोटे व्यापारियों, शिक्षित या अशिक्षित बेरोजगार लोगों को लाइसेंस देकर सरकार इस पर नियंत्रण कर सकती है । इससे समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में एक बात देश में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के बारे में भी है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मोटर यान अधिनियम, 1939 में संशोधन करके सार्वजनिक वाहनों को राष्ट्रीय परमिट देने का उपबन्ध करने के लिए प्रस्तावित विधेयक लाया गया जो कि एक सराहनीय विधान है । इससे परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार हो जायेगा ।

यह कहना गलत है कि परिवहन प्रचालन देश में राजनीतिक दलों को भारी रकम देते रहे हैं । इसलिए इसका पूरे जोर से खण्डन किया जाना चाहिए ।

आज हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 70 प्रतिशत माल का आवागमन सड़क परिवहन द्वारा और केवल 30 प्रतिशत माल का आवागमन रेलों द्वारा किया जाता है। किन्तु हमारे देश में स्थिति कुछ भिन्न है क्योंकि यहां सड़क परिवहन के मामले में इतनी प्रगति नहीं हुई है।

सड़क परिवहन के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि 1950 में मोटर यान कराधान जांच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हमारी सड़क परिवहन नीति होनी चाहिए। रेल, जल, सड़क परिवहन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक सलाहकार समिति भी 1958 में बनाई गई थी किन्तु 1966 में इसे विघटित कर दिया गया था। इसका परिणाम यह है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन, तटीय नौवहन, सड़क परिवहन से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए आज कोई परिवहन विकास परिषद नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए कोई न कोई ऐसा मंच अवश्य होना चाहिए जहां इन मामलों पर विचार किया जा सके।

प्राक्कलन समिति के 75 वें प्रतिवेदन के अनुसार 1950–51 में सड़क तथा रेल यातायात द्वारा क्रमशः 24.9 प्रतिशत और 75.1 प्रतिशत यात्रियों ने यात्रा की थी जब कि 1973–74 में सड़क एवं रेल यातायात द्वारा क्रमशः 48.9 प्रतिशत और 51.1 प्रतिशत यात्रियों ने यात्रा की। इसी तरह 1950–51 में सड़क परिवहन द्वारा 10.2 प्रतिशत और रेल द्वारा 89.8 प्रतिशत माल ढोया गया था जबकि 1973–74 में सड़क परिवहन द्वारा 34.7 प्रतिशत और रेल द्वारा केवल 65.3 प्रतिशत माल ढोया गया। इससे स्पष्ट है कि रेलों का तो बहुत ही कम विकास हुआ है और सड़क परिवहन का भी इतना अधिक विकास नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि सड़क परिवहन के विकास को रोकने के लिए हर प्रयत्न किया गया है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय यह जानते ही होंगे कि यान, इनके पुर्जे आदि कितने महंगे हैं। आज एक यान की कीमत एक लाख रुपये है और इसके ढांचे पर 25,000 रुपये लागत आती है। इसके अतिरिक्त करों की अधिकता और पड़ताल चौकियों की इतनी भरमार है कि यह सब चीजें सड़क परिवहन के विकास में बाधक हैं। इसके बावजूद सड़क परिवहन ने सराहनीय प्रगति की है।

सड़क परिवहन के विकास में सब से बड़ी बाधा तो चुंगियां हैं। इस मामले पर कई स्तरों पर सोच विचार हुआ किन्तु इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। जब तक कि चुंगी को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक सड़क परिवहन का पूर्णरूपेण विकास नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति ने अपने 75 वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि माल का जल्द से जल्द परिवहन करने के लिए चुंगी के स्थान पर किसी और प्रकार का कर लगाया जाये जो आरम्भ में ही एकत्र किया जा सके ताकि सड़क परिवहन की गति में चुंगी की वसूली से जो बाधा पड़ती है, वह दूर हो। माननीय मंत्री हमें बतायें कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है। इस मामले को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आजकल यान बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं और उनकी माल ढोने की क्षमता भी बहुत अधिक है। कठिनाई यह है कि उन्हें जगह जगह पर रुकना पड़ता है जिससे उनकी गति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह अच्छा ही होगा यदि चुंगी के स्थान पर डीजल, पैट्रोल आदि पर कर लगा दिया जाये और इन पड़ताल चौकियों को समाप्त कर दिया जाये। आपात स्थिति के इस बेला में ऐसा करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। यदि बेल्जियम, फ्रांस

और मिस्र में चुंगी को समाप्त किया जा सकता है, तो इस देश में इसे समाप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीय परमिट देने की बात है उनकी कोई सीमित संख्या नहीं होन चाहिये। ये उन सभी सार्वजनिक वाहकों को दिये जाने चाहिए, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाते हैं। ऐसा करने से बहुत कम प्रचालक राष्ट्रीय परमिट मांगेगे अन्यथा इनकी संख्या बहुत बढ़ जायेगी क्योंकि सभी यह सोचेगें कि इनसे जरूर कोई विशेष लाभ होने जा रहा है।

आज सार्वजनिक प्रचालकों की दशा बहुत दयनीय है उन्हें अपने यानों पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। पडताल चौकियों पर भी उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि इन चौकियों को समाप्त कर दिया जाये तो सड़क परिवहन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, ेल परिवहन व्यवस्था को माल दे कर कहीं आगे बढ़ जायेगा। पिछले वर्ष अनाज के अभाव के कारण अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा था। इन बाधाओं को दूर करने के लिये हमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए जिससे देश को लाभ हो।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): First of all I would like to congratulate the hon. Minister for bringing forward a very good piece of legislation to implement one of the points in the 20-point programme.

At present there are three transport systems working in this country. One is the Central Road Corporation. Then there are some co-operative societies. In the third place, there are some private operators. In order to strengthen these systems, there should be some agency to bring about proper co-ordination among them.

As regards national permits, these will be issued (a) to an individual owner if he already holds in his own name less than three valid national permits (b) to a company if it already holds in its name less than seven valid national, permits and (c) to ex-army personnel who have valid licences for driving transport vehicles as has been provided in the Bill, I would, however, like to suggest that these should be issued to those drivers who are already plying their vehicles on long inter-state routes and at least 25 per cent of these permits should be issued to those drivers who belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that they are also able to benefit by this scheme.

There are some presons who after obtaining permits pass them on to others at exhorbitant rates ranging from Rs. 500 to Rs. 1,500 per month. We should paid out some way by which these can be apprehended and persisted. Efforts should be made to issue these permits to the genuine operators.

There is no uniformity in regard to total load and loading of trucks in different States. It varies from 9 to 12 tonnes. Moreover, there are different transport charges in various states. This results in corruption and bribery. In order to remove corruption, it is necessary that these should be uniformity throughout the country in this regard. The Government should exercise some control over the haphazard growth of transport agencies.

In a vast country like ours, where more than four lakh trucks operate, 5300 national permits will not be enough. This number does not work out to be even one per cent. At least 10 per cent trucks should be covered under the scheme. Moreover these permits should be issued in every state in accordance with the actual requirement of each State. To-day we find that in some States the permits are surplus whereas in the others they are in sufficient. This should also be looked into.

Highway No. 2 should be widened soon. Besides a national permit scheme should be formulated for taxies also so that they can operate throughout the country without any hindrance.

With these words, I support the Bill.

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I congratulate the hon. Minister for bringing forward an important amendment to the Motor Vehicles Act, 1939. The amendment is, no doubt, a very important one. But the Act requires through revision.

As has been stated by the hon. Minister himself, a lot of difficulties have to be faced because there is no uniform policy in the whole of the country in regard to load which is allowed in different States. It varies from State to State. Sometimes, we find that trucks are very heavily loaded and as a result there are accidents. This matter should be looked into.

The bridge on National Highway No. 3 near Dholpur which had been damaged about four years back has not so far been repaired. Consequently all the trucks bound for Amritsar are diverted *via* Indore, Ratlam and Jaipur. But since the 20 mile long road between Ratlam and Indore is in a very dilapidated condition, many of the trucks are overturned there. This track of road is a *kachha* one and as such enough time is consumed by trucks to cross it. Besides various authorities who were asked to do something in this regard, attention of the Chief Minister was also drawn to this matter, but it is regretted that so far nothing has been done to repair this track of the road. It is, therefore, necessary that necessary repairs should be carried out to this road as well as the above mentioned bridge so that the traffic bottleneck is cleared.

Lastly I want to bring to the notice of the hon. Minister that the Road Transport Workers Act which was passed in 1960-61 is not being implemented properly with the result that these workers are facing a lot of difficulties. Attention should, therefore, be paid to the sad plight of these workers and something should be done to improve their lot in co-operation with the trade unions. Their working as well as rest hours should also be fixed.

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : केन्द्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि राज्यों में इनकी लम्बाई तो 28,810 किली मीटर है परन्तु इनको बानाये रखने के लिए केवल 7.56 करोड़ रुपये रखे हुए थे। अब इसे बढा कर 18 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जहां तक राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का सम्बन्ध है, इनकी लम्बाई 4.5 लाख किलो मीटर है और इन के लिए केवल 19 करोड़ रुपये आवंटित किये जाते थे। अब इस राशि को बढ़ा कर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया है। इसके बावजूद हमारा विचार है कि यह रकम भी अपर्याप्त है। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी और करना सम्भव होगा वह किया जाएगा।

इस विधेयक का उद्देशय बहुत ही सीमित है क्योंकि इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय परमिटों के सम्बन्ध में पेश आने वाली कुछ बाधाओं को दूर करना ही आाश्यित है। ऐसा कहा गया है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। मैं भी इसी दिशा में विचार कर रहा हूं और शीघ्र ही एक अन्य व्यापक विधेयक लाया जायेगा जिसका सम्बन्ध यात्रियों की सुरक्षा से होगा। क्योंकि देखा गया है कि बस चालक प्रायः शराब पी कर बसें चलाते हैं जो खतरनाक है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी प्रस्ताव है कि कर्मचारियों के सेवा के घंटे भी निश्चित कर दिये जायें। ड्राइवरों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और उन्हें आराम नहीं मिल पाता। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और प्रायः ढाबों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उनके लिए विश्राम गृहों में एक छोटे कमरे की व्यवस्था होनी जरूरी है। इस सम्बन्ध में सरकार गंभीरता से विचार कर रहीं है।

श्री जोरदार व श्री रामसिंह भाई के इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं कि हमें कर्मचारियों को संगठित कर उन्हें श्रम विभाग से तथा अन्य संगठनों से सम्बद्ध करना होगा जहां सघों के दृष्टिकोण का हेल मेल हो सके।

सब से खराब स्थिति राजपथों के बारे में है। हमने राष्ट्रीय राजपथों के रख-रखाव के लिए 856 करोड़ रुपये मागां था कितु हमें इस हेतु केवल 20 करोड़ पये मिले हैं।

इतनी मांगों के रहते हुए हम 20 करोड़ से क्या कर सकते हैं ?

परमिटों का जिक्र किया गया है। जैसा कि सदन जानता है हम केवल विनियमन प्राधिकारी है, हम संख्या नियत करते हैं। बाकी काम आबंटन आदि राज्यों द्वारा किया जाता है। मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि इस मामले में पक्षपात आदि न हो और इस हेतु हमें कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाने निश्चित रुप से होंगे।

एक व्यक्ति के लिए तीन ट्रक नियत करने का अभिप्राय यह है एक आने के लिए एक जाने के लिए और एक स्टैंड बाई के रूप में रहे। जहां तक सहकारी समिती का सम्बन्ध है, उसके मामले में यह संख्या सात है जिसमें से अधिकतर राष्ट्रीय आधार पर चल रहे है। हमने उनकी संख्या घटा कर 50 प्रतिशत कर दी है मोटर गाडियों सडको और राजपथों की दशा हमारे देश में बहुत खराब है। यहां तक कि दिल्ली तथा अन्य बड़े बड़े शहरों में भी इनकी दशा ठीक नहीं है। सड़कें भी उतनी चौड़ी नहीं हैं, मोटर गाडियां धुंआ छोड़ती हैं और बीच-बीच में खराब हो जाती है। हमारा विचार बड़े-बड़े ट्रक व ट्रेलर खरीदने का है और सड़कों को और अधिक चौड़ी करने का है। मैं धन प्राप्त करने और उसका इस प्रकार से उपयोग करने का प्रयत्न कर रहा हूं जिससे कम से कम महानगरों में परिवहन की अवस्था संन्तोष जनक हो जाए।

जहां तक सड़क व रेलों का सम्बन्ध है हमारा देश बहुत विशाल है जिस कारण वे कई विभागों में विभिक्त हैं, रेल व सड़क परिवहन के समन्वय के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं है, जहां तक चुंगीयों का प्रश्न है, उनकी दशा इस देश में दुनियां भर में सबसे खराब है। अन्य देशों में इस हेतु नियमित पेटियां है और सुव्यवस्थित प्रणाली है जिससे वहां किसी भी व्यक्ति को तीन या चार मिनट से अधिक समय नहीं लगता। हम इस दिशा में एक शुरुवात कर सकते हैं ताकि ड्राइवर को वहां पर प्रेशानी न हो इसके अलावा इस सम्बन्ध में और कई चीजों का सुधार करने की आवश्यकता है जिसे एक-एक करके सुधारने की कोशिश की जाएगी इसके साथ-साथ सड़क परिवहन वस्तुतः राज्यों के हाथ में है और हमारा केवल कुछ ही मामलों से सम्बन्ध होता है जिस कारण परामर्श तथा सहमति सम्बन्धी कई मामलों में हमें कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है।

जहां तक भार तथा लदान का सम्बन्ध है कई ट्रक निर्धारित वजन से कहीं अधिक माल ले जाते हैं हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेंगे कि ट्रकों में निर्धारित सीमा से अधिक माल न लादा जाए। ट्रकों में लदान की समान नीति के बारे में इस सदन की राय राज्यों को सूचित करुंगा और उनके साथ मंत्री स्तर पर इस सम्बन्ध में विचार विमर्ष करुंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में, विचार किया जाए।" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted)

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 से 4 में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 और 1 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted)

खण्ड 2 से 4 और 1 विधेयक में जोड़े गये ।

(Clauses 2—4 and 1 were added to the Bill)

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

(Amendment made)

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

शब्द "छब्बीसवें" के स्थान पर शब्द "सत्ताईसवें" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(डा० जी० एस० ढिल्लों

डा० जी० एस० ढिल्लों : यह आनुषंगिक संशोधन है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted)

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

(The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill)

शीर्षक विधेयक में जोड़ा गया ।

(The Title was added to the Bill)

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I would like to give thanks to the hon. Minister for his giving an assurance to give assitance to the construction of the bridge on Ganga. It would have been better to nationalise transport. Not more than 2 national permits should be given to an indiivdual and there is no need to give any such permit to transport Companies since they are already earning huge profits. Instead of this, Scheduled Caste, Scheduled Tribes and such other weaker sections of the society should be covered under the national permit scheme.

It is to be ensured that truck drivers and khalasis are paid at least as much wages as are admissible to the labourers in public enterprises. Arrangements should be made to provide tyres and tubes in time and at reasonable rates to the truck owners. Octroi duty should be realised not at many places.

श्री इराज्मु-द-ब्रंकेरा (मारमागोग्रा) : यह मैं नहीं समझ पाया हूं कि देश में सड़क यातायात ग्रौर माल का ग्रन्तर्राज्यीय परिवहन इतना ग्रधिक होते हुए भी देश को ग्रसम्बद्ध भागों में क्यों बांट दिया गया है। ग्रब उपयुक्त समय ग्रा गया है जब मन्त्री महोदय को न केल राष्ट्रीय परमिटों के प्रश्न पर विचार करना चाहिए वरन् परमिटों को परिवहन व्यवस्था विनियमित करने के लिए उन्हें ग्रौपचारिक प्राधिकार के रूप में समझा जाना चाहिए। जितना यातायात बढ़ेगा उतना उत्पादन भी बढ़ेगा ग्रौर वस्तुग्रों का परिवहन बढ़ने से न केवल परिवहन की लागत कम होगी वरन् उपभोक्ता वस्तुग्रों की कीमतें भी कम होंगी। परिवहन परमिटों के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का एक रास्ता ग्रौर खुल जायेगा।

मन्त्री महोदय को सड़कों के नियमित रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। सड़कों पर जो भारी खर्चा हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि हम छोटी टूटफूट की ग्रोर तभी ध्यान देते हैं जब वे बड़े गड्ढों का रूप ले लेते हैं। सड़कों की ऊपरी सतह ग्रधिकतर वर्षा से टूट फूट जाती है। इस सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक ने ग्राविष्कार किया है जिसका उपयोग करने पर 10 प्रतिशत ग्रतिरिक्त खर्चे से सड़कों को ग्रौर दस वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस ग्रोर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। हमें परिवहन के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। छोटी दूरियों के लिए दो एक्सिल वाली ट्रकें परन्तु लम्बी दूरियों के लिए ग्रर्ध-ट्रेलर ट्रकें ग्रौर ट्रेलर संलग्न ट्रकें इस्तेमाल में लायी जानी चाहिएं क्योंकि लगभग सभी देशों में ऐसा हो रहा है। परन्तु लदान भार पर प्रतिबन्ध होने के कारण हमारे देश में इनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है।

Shri M.C. Daga (Pali): The hon. Minister has said that a comprehensive Bill will be brought in this respect and the States will be consulted before any step is taken.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

The Bill should be amended so as the trucks having national permits are not checked at octroi posts. Those truck owners whose drivers are addicted to drinking should not be granted national permits. The executive should be empowered to prescribe the amount authorisation fee.

श्रीमती रोजा देशपाँडे (बम्बई मध्य): सड़क परिवहन के विस्तार के लिए यह विधेयक लाया गया, परन्तु इसके साथ ही सड़क परिवहन निगम के कार्यकरण की जांच की जानी चाहिए ताकि उसमें सुधार हो।

श्री के० माया तेवर (डिंडीगुल) : केन्द्रीय सरकार से मेरा ग्रनुरोध है कि वह राज्य सरकार से तमिलनाडु में सड़कों तथा राजपथों की दशा सुधारने के लिए कहे। ग्रब हम समाजवादी समाज की स्थापना की ग्रोर बढ़ रहे हैं जो कि प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का एक ग्रंग है। ग्रतः सभी माल ग्रौर यात्री परिवहन राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हुगली नदी पर जहां राष्ट्रीय राजपथ गुजरता है, पुल की बांयी ग्रोर लम्बे समय से निर्माण कार्य हो रहा है जो ग्रभी तक पूरा नहीं हो पाया है। परमिट देने से पहले ड्राइवरों की सेवा शर्तों तथा मजदूरी पर विचार किया जाना चाहिए ... (**ग्रन्तर्बाधाएं**)।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मैं इन सभी बातों का उत्तर दे चुका हूं । जहां तक चुंगी का सम्बन्ध है, इस बारे में कुछ रुकावटें दूर की जा चुकी हैं, परन्तु हमें इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों से भी बातचीत करनी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(The motion was adopted)

समान पारिश्रमिक विधेयक

EQUAL REMUNERATION BILL

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों को समान पारिश्रमिकका संदाय करने और नियोजन में लिंग के आधार पर स्त्रियों के विरुद्ध विभेद किये जाने का निवारण करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंकि विषयों का उपबन्ध करने के लिए राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि एक जैसा काम करने वाले पुरुष तथा महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक भुगतान किया जाये ।

दूसरे, कोई मालिक एक ही प्रकार के या एक जैसे काम पर भर्ती करते समय महिलाओं के साथ भेद-भाव नहीं बरत सकता बशर्तेकि ऐसे काम में महिलाओं को लगाने पर कानूनी प्रतिबन्ध न हो। महिलाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए परामर्शदात्री समिति गठित करने का भी उपबन्ध किया गया है । दावों और शिकायतों की सुनवाई और उन पर निर्णय देने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति, अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारियां और जांच करने के लिए इंसपेक्टरों की नियक्ति का उपबन्ध किया गया है । विधेयक के किसी उपबन्ध का उल्लंघन दण्डनीय होगा । संविधान में लिंग के आधार पर भेद-भाव करना वर्जित है और पुरुषों तथा महिलाओं को समान काम के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था हेतु राज्य को अपनी नीति निर्धारित करने का उपबन्ध है ।

सितम्बर, 1958 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में पुरुष तथा महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो संकल्प पारित किया गया था उसका भारत ने अनसमर्थन किया था जिसे कि सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से लागू करना था और मजदूरी निर्धारण के लिए और नियोजकों तथा श्रमिकों के बीच सामूहिक समझौतों या इन विभिन्न उपायों को एक साथ अपनाने के लिए विधि द्वारा स्थापित मशीनरी की व्यवस्था करनी थी परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भारत में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का उपबन्ध है परन्तु उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पुरुष तथा महिला श्रमिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक समान हो । इसलिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय अनेक मामलों में मजदूरी की विभिन्न दरें विहित कर दी गई हैं । ऐसा उन क्षेत्रों में भी हो गया है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते ।

मजदूरी की दरों में यह विषमता कम तो हुई है परन्तु पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का कहना है कि कृषि और असंगठित उद्योगों जैसे कुछ क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में असमानता अभी तक विद्यमान है। भारत में महिलाओं की दशा सुधारने सम्बन्धी समिति ने भी जोरदार शब्दों में सिफारिश की है कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करने हेतु विधायी कार्यवाही की जानी चाहिए। माननीय सदस्यों ने भी कई अवसरों पर उपचारात्मक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। सितम्बर, 1974 में आयोजित श्रम मन्त्री सम्मेलन के 25वें सत्र में इस मामले पर चर्चा की गई थी और सर्वसम्मति से यह तय किया गया था कि जिन राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन की कार्यवाहियों को अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है उन्हें तीन महीने के भीतर लेकिन छः महीने से पहले लागू करनी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि पुरुषों और महिला श्रमिकों के लिए भिन्न वेतन की दरें निर्धारित करने वाले द्विपक्षीय समझौतों पर रोक लगाने के लिए सांविधिक उपबन्ध किये जाने चाहिएं।

संवैधानिक उपबन्धों को कारगर बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संकल्पों को लागू करने के लिए समान पारिश्रमिक अध्यादेश 26 सितम्बर, 1975 को लागू किया गया था। महिला श्रमिकों की भारी संख्या को लाभान्वित करने हेतु यह अत्यावश्यक कदम है और यह अनुभव किया गया है कि इस अध्यादेश को लागू करने में और विलम्ब करने से महिला श्रमिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी अनुभव किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 39 के उपबन्धों को लागू करने की दृष्टि से यह कदम उठाना उचित है। यह विधेयक विवादास्पद नहीं है और इसे राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है। अतः आशा है कि यहां पर भी इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया जायेगा।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलूबेरिया) : यह एक सराहनीय विधान है और इसका स्वागत किया जाना चाहिये क्योंकि यह हमारी परम्परा के अनुरूप है। इतना अवश्य है कि इस मामले में कुछ दलेरी से काम नहीं लिया गया क्योंकि इसे तुरन्त लागू करने की बजाय तीन वर्ष बाद प्रवृत्त करने का उपबन्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह विधान केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही लागू किया जायेगा और इसका प्रभाव पूरे देश में कार्यरत सभी कर्मकारों पर नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियां को भी इस विधान से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उनके बारे में इस विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है।

हमारे देश में पटसन उद्योग में कार्यरत 30,000 स्त्री कर्मकारों की छंटनी कर दी गई है। केरल में चाय बागानों में कार्यरत स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक अच्छा कार्य करती हैं परन्तु मजदूरी उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मिलती है। स्त्रियों के प्रतिनिधियों ने जब यह मामला उठाया तो पुरुषों ने कहा कि यह हमारे सम्मान का प्रश्न है। अब देखिये ऐसी बातें अभी हो रही हैं।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : चाय बागानों को इस विधान की परिधि में लाने के लिये पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मुझे सूचना मिली है कि उड़ीसा में रेल प्रशासन ने पुरुषों और स्त्रियों के लिये मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की हैं। पुरी में पुरुषों को 3.50 रुपये और स्त्रियों को 3.30 रुपये, कटक में पुरुषों को 4.25 रुपये और स्त्रियों को 3.75 रुपये, बालासौर में पुरुषों को 4 रुपये और स्त्रियों को 3.50 रुपये, गंजम में पुरुषों को 4.30 रुपये और स्त्रियों को 3.50 रुपये, ढेंकनाल में

2635 LS—7

[श्री एस० पी० भट्टाचार्य]

पुरुषों को 2.90 रुपये और स्त्रियों को 2.40 रुपये मजदूरी मिलती है। इस प्रकार हर जगह रेलवे प्रशासन स्त्रियों को पचास पैसे कम मजदूरी देता है।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : बीड़ी उद्योग में पचास प्रतिशत स्त्रियां हैं।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : मुख्य प्रश्न तो रोजगार देने का है। इस समय स्थिति यह है कि यदि दस रिक्त स्थान हों, तो उनके लिए हजार आवेदन-पत्र आते हैं। रोजगार न मिलने के कारण स्त्रियों को बड़े-बड़े नगरों में वैश्यावृत्ति के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह देश में प्राय: सभी बड़े-बड़े नगरों में हो रहा है। यह हमारे देश की गरिमा के प्रतिकूल है। आज हम देखते हैं कि इस देश में एकाधिकार को बढ़ावा मिल रहा है, उनकी आय तो बढ़ रही है परन्तु दूसरी ओर बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि हो रही है। ये चीजें समाजवाद के प्रतिकूल हैं। जब तक इन समस्याओं को हल नहीं कर दिया जाता तब तक समाजवाद के आधार को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता।

चीन जब आजाद हुआ तब वहां के नेताओं ने पहली रात ही वैश्यावृत्ति को समाप्त कर अन्तर्ग्रस्त स्त्रियों को अच्छे-अच्छे कामों पर लगा दिया था। खेद है कि इस देश में अभी भी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यहां पर स्त्रियों को वैश्यावृति के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह उन्हें कर्ज अदा करने के लिए करना पड़ता है। हमें अपने देश को कर्जदारी के चक्कर से मुक्त कराना होगा। एकाधिकारवादी और बड़े-बड़े भूस्वामी करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। हमें देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी होंगी जिनमें लोगों के लिए देश भर में रोजगार मिल सके। तभी हम इस विधेयक के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) I welcome the Bill brought forward to provide for equal remuneration for men and women workers. In this connection, the Minister has referred to the Articles of the Constitution, the report of the International Labour Organisation and the recommendations of the Status of Women Committee. But when I went through the clauses of the Bill I was very much surprised to note that it would be implemented within three years after its enactment. Secondly under clause 5 of this Bill, it has been said that "no discrimination be made while recruiting men and women workers". But what is the guarantee that women workers will be provided employment ? At present even unskilled women workers are being retrenched in contravention of the provisions of the Constitution. Some kind of guarantee should, therefore, be given that in the field of unskilled labour, 33 per cent or 50 per cent of jobs would be reserved for women workers. Keeping in view the circumstances under which women have to come out of their households to supplement their income, it would be better if they are paid wages double than those being paid to the men workers. In our country, women should enjoy a somewhat higher status than men. Attention should therefore be paid to the sad plight of women and something constructive should be done to raise their status. I think that women have already surpassed men in every field of work whether it is administrative service or otherwise. But where the women are unskilled, they are compelled to prostitution to earn their livelihood. It is, therefore, necessary that some reservation should be made for unskilled women workers.

Clause 6 provides for setting up of Advisory Committee. The recommendations of this committee should be made mandatory. Then it should be constituted exclusively with women members because they will be in a better position to protect the interests of women workers. Similarly under clause 9, only women should be appointed to the posts of Inspectors because they would be more careful to safeguard the interest of women workers.

The punishment of Rs. 5,000, as provided under this Bill, is inadequate. A provision should be made for awarding a sentence of life imprisonment to those who make any discrimination against women workers.

श्रीमती रोजा देशपांडे : (बम्बई मध्य) : यह एक अच्छी बात है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में महिलाओं के बारे में विद्यमान असमानता को दूर करने के लिए विधान बना रहे हैं।

महिलाएं कई शताब्दियों से बन्धित श्रमिकों की भांति अपना जीवन व्यतीत करती रही हैं। एक समय था जब उन्हें पुरुषों के समान समझा जाता था। समय व्यतीत होने के साथ-साथ उनकी दशा बिगड़ती गई। तब से राजा राम मोहन राय, महाऋषि कार्वे, ज्योति बकुला, और महात्मा गांधी जैसे कई समाज सुधारक इनकी दशा सुधारने के लिए समय-समय पर प्रयत्न करते रहे। इसका मूल कारण यह है कि उन्हें सदा परिवार के मुखिया पर निर्भर करना पड़ता है। जब तक महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन नहीं हो जातीं, तब तक वे देश की प्रगति में योगदान नहीं कर सकेंगे। आज राज्यों में महिलाओं को समान पारिश्रमिक देने के मामले में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। यहां तक कि ऐसे क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग और विभागों, जो महिलाओं के लिए ही निश्चित हैं में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई उपबन्ध किया जा रहा है ?

देश में कुल 2640 लाख महिलाएं हैं जिनमें केवल 310 लाख महिलाएं श्रमजीवी हैं। इन 310 लाख महिलाओं में से केवल 20 लाख महिलाओं को इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर लाभ होगा। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 40 लाख महिलाएं इस अधिनियम की परिधि से बाहर रह जायेंगी इनकी रक्षा कैसे होगी ? मेरा सुझाव है कि कृषि श्रमिकों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाना चाहिए।

समान पारिश्रमिक के अतिरिक्त अधिक महिलाओं को रोजगार देने का भी प्रश्न है। इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे वे पुरुषों का मुकाबला कर सकें। वस्त्र उद्योग में जब नई मशीनें लगाई गईं थीं तो महिला श्रमिकों को केवल इसलिए निकाल दिया गया था कि वे वहां पर काम करने के योग्य नहीं थीं। इसलिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र खोले जाने चाहिएं। प्रशिक्षित महिलाओं के लिए सभी उद्योगों में कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित होने चाहिएं। ऐसी महिलाएं जो प्रशिक्षित नहीं हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे कर काम से लगाए रखना चाहिए।

इस बात की भी सम्भावना है कि इस विधेयक के पारित किये जाने के पश्चात् कई महिलाओं की किसी न किसी बहाने छंटनी कर दी जायेगी। इसीलिए मैं इस बात पर जोर दे रही हूं कि महिलाओं को काम के योग्य बनाने के लिए अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें और साथ-साथ यह भी उपबन्ध किया जाए कि उन्हें सभी उद्योगों में रोजगार मिले। अन्यथा इस विधेयक का कोई लाभ नहीं होगा। आशा है, मंत्री महोदय हमारे संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): This Bill is a significant measure in the direction of ushering in socialism and equality in the country and the Government deserves congratulation for it. So far as administrative field is concerned, there is no discrimination in respect of women and they enjoy the same status as men. But in the agricultural and industrial sectors, women are being discriminated in respect of wages.

The punishment of fine of rupees one to five thousands, as laid down under clause 10 of the Bill, is inadequate and it should, therefore, be raised to at least Rs. 5,000 and imprisonment for three years. The Article 15 of the Constitution is quite clear in this connection that State shall not discriminate against any citizen on ground of sex whereas Article 39 provides for equal pay for equal work for both—men and women. I cannot forget the name of Shri Raja Ram Mohan Rai who had been fighting throughout his life for ensuring equal rights for women in the society. It is good that at least after a lapse of 27 years, justice is now being done to women in this country.

This measure has been brought forward through an Ordinance and it is feared that employers might have already made retrenchment with a view to avoid action under this law. It should, therefore, be seen that the employers are not able to make any retrenchment under any pretext.

The provision for constituting Advisory Committee is quite appropriate. It is also good that 50 per cent of its members will be women who will be able to protect the interests of women workers. Under the provision of appointment of Inspectors, it would be better if Lady Inspectors are appointed to ensure proper implementation of this law.

According to the Report submitted by the Guha Committee, the number of women workers has gone down and it should be seen that no discrimination is made while recruiting men and women workers.

There is no provision in this Bill to lay down the punishment to be given to those companies which fail to implement this law. The offence has simply been made punishable. We should have a specific provision in this regard. A high-powered committee should also be set up to ensure implementation of this law in spirit and letter.

With these words, I support this Bill and congratulate the Government for bringing forward this measure.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी क्योंकि जब अंग्रेज भारत से गये थे तो उन्होंने भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया—भारत और पाकिस्तान । इसी प्रकार इस विधेयक में भी महिलाओं को वर्गों में विभक्त कर दिया गया है—यथा ग्रामीण स्त्रियां तथा शहरी स्त्रियां । दूसरे शब्दों में—औद्योगिक स्त्रियां तथा ग्रामीण खेतिहर स्त्रियां । मेरा सरकार से बार-बार यही आग्रह होगा कि वह भारत में ग्रामीण श्रमजीवी वर्ग के हितों की रक्षा करें । विधेयक में संगठित क्षेत्र में स्त्रियों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है किन्तु कृषि क्षेत्र में स्त्रियों के हितों की उपेक्षा की गई है जबकि उनकी संख्या बहुत अधिक है और अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए उनके पास कोई कार्मिक संघ नहीं हैं, इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकता ।

यदि प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना है तो फिर औद्योगिक क्षेत्र के और कृषि क्षेत्र के कर्मकारों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए । इसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा । अतः विधेयक में व्याप्त त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण श्रमजीवी वर्ग को भी लाभ पहुंचे ।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): Equal remuneration is not given to men and women even in organised sector. There are many factories in Bihar and Orissa which pay less wages to women workers as compared to men workers. Labour Commissioners have also done nothing to ensure equal wages for equal work in industrial sector.

So far as the provisions of this Bill are concerned, efforts should be made to streamline the machinery responsible for implementing this law. The officers responsible for implementing the laws are usually indifferent and callous. It should be looked into.

Stringent punishment should be provided for those who violate the provisions of this Bill. Only fine is not enough. Those who violate this law should be sentenced to rigorous imprisonment also.

Steps should also be taken to see that clause 12 of the Bill is not misused by those who would implement it. I would also like to know whether the retirement age would be uniform for both men and women workers or there would be any difference between the two.

With these words, I support the Bill.

Shri Ramkanwar (Tonk) : I welcome this piece of legislation which the hon, Labour Minister has brought before the House. But the Bill is not comprehensive. No specific provision has been made in regard to maternity leave in the Bill.

A large number of women workers work in fields in villages or in building and construction works. They get less wages then their male counterparts. I would like to know whether this Bill covers these also who are engaged in construction works.

The Government should ensure that the 20 point programme of the Prime Minister paves way for the betterment of the downtrodden and the backward classes. It is a pity that the existing labour laws are not sincerly implemented. The machinery responsible for implementing labour laws is not honest and sincere. It should, therefore be streamlined and made more effective.

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I support the Bill. But there is no provision in the Bill to bring the women workers in agricultural sector as also those engaged in building and construction works under its purview despite the fact that they work more than their male counterparts. Therefore women workers in both these sectors should also be covered.

As regards its enforcement the period of three years is a pretty long time. It should have come into force the day when the ordinance was issued. Our past experience demands that it should be implemented forthwith lest it would produce the same result which the Maternity Benefit Act did in Textile Industries where no woman worker is seen today except in its Rolling Department.

We can not hold Government machinery entirely responsible for faulty implementation of Labour Laws. Trade Unions also play unfair role and act as an agent of employer. This should be checked.

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस विधेयक के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को लाया गया है अथवा नहीं। मंत्री जी उत्तर देते समय इस बात का स्पष्टीकरण करें।

महिला श्रमिकों को चाहे वे कृषि क्षेत्र में काम करती हों, अथवा कारखानों में या बागानों में अथवा अन्य कहीं और, बराबर काम के लिए पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती। वास्तव में प्रस्तुत विधेयक सरकार का एक सराहनीय कदम है। इस बात की हर संभावना है कि नियोजक इस विधान को विफल करें। अध्यादेश, प्रख्यापित करने के पश्चात् काजू उद्योग में महिला श्रमिकों की भारी संख्या में छटनी की गई है। भविष्य में नियोजक उनकी भर्ती भी यथासंभव कम ही करेंगे। इसके अलावा, मुझे संदेह है कि सरकार स्वयं इसके कार्यान्वियन के समय शायद इतनी उत्सुकता न दिखाए क्योंकि इस हेतु निर्धारित तीन वर्ष की अवधि काफी लम्बी है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इसे शीघ्र लागू कर दे।

प्रस्तुत विधेयक में सलाहकार समिति स्थापित करने का उपबन्ध है जिसमें महिलाओं को शामिल करने की व्यवस्था है। अतः विभिन्न कार्मिक संघों को प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कर्मकारों को प्रस्तावित समिति में स्थान दिया जाना चाहिए। क्रियान्विति के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि हर तीन महीने या एक वर्ष के पश्चात् प्रगति के बारे में विचार किया जाए और परिणामों से राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया जाए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह कानून बहुत थोड़े हिस्से पर लागू होगा। विधेयक में प्रस्तावित सलाहकार समिति में महिला सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। आप इस समिति की सलाह को अस्वीकार भी कर सकते हैं अतः इस समिति का उपयोग क्या है। इस समिति का गठन और कार्य

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam,

स्पष्ट नहीं है। शिकायत करने वाले को न्यायालय में जाने से पहले उचित प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होगी जो एक लम्बी प्रक्रिया हो जायेगी।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि श्रम मंत्री सम्मेलन में पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि इस विधेयक के उपबन्ध उन सभी व्यवसायों पर लागू होंगें जिनका उल्लेख न्यूनतम मजदूरी कानून की अनुसूची में किया गया है। यह विधेयक कृषि सम्बन्धी व्यवसायों पर भी लागू होगा। जैसा कि श्री डागा ने सुझाया है सलाहकार समिति के सदस्यों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलायें होंगी। उनकी संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।

इस विधेयक में जो व्यवस्था रखी गई है उसका उद्देश्य यह है कि इन मामलों को न्यायालय में जाये बिना भी सुलझा लिया जाये। निरीक्षक तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी इन्हें निपटायेंगे और ट्रेडयूनियनों को भी इस दिशा में रुचि लेनी होगी। हमें देखना यह चाहिए कि व्यवस्था उपलब्ध हो और क्रियान्विति में तेजी लाये जाये। ऐसी दशा में हम इस अधिनियम के सभी उपबन्धों को विभिन्न रोजगारों, उपक्रमों तथा व्यवसायों पर जो न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत आते हैं लागू कर सकेंगे। हमने इसके लिए जो तीन वर्ष का समय रखा है वह केवल एक एहतियात है। हो सकता है कि ये उपबन्ध अन्य संस्थानों तथा उपक्रमों पर भी लागू कर दिये जायें।

हम जैसे ही स्वाधीन हुए हमने महिलाओं को सभी राजनैतिक मामलों में बराबर के अधिकार दे दिये। अतः यह विधेयक संविधान के उपबन्धों और अन्तर्राष्ट्री श्रम सम्मेलनों में लिये गये निर्णयों के अनुसार ही है। मातृत्व प्रसुविधाओं का जो प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में पुरुष तथा महिलाओं में बराबरी नहीं की जा सकती। मुझे आशा है सदस्य महोदय अपने अपने संशोधन वापस ले लेगें और विधयेक को पारित होने देगें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पुरुष और स्त्री कर्मकारों को समान पारिश्रमक का सदाय करने और नियोजन में लिंग के आधार पर स्त्रियों के विरुद्ध विभेद किये जाने का निवारण करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रुप में विचार किया जाये।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।]

(*The motions was dopted*)

खण्ड 2

(Clause)

श्री एम० कतामुतु : मैं संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करती हूं।

श्रीमती भार्गवी थनकप्पन : मैं संशोधन संख्या 35 से 37 प्रतुत करती हूं।

श्री एम० कतामुतु : इस विधेयक में कृषि क्षेत्र को महिला श्रमिकों को बिलकुल शामिल नहीं किया गया है जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार कृषि में 80 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में दी गई सभी मदों को शामिल करने के लिए हम अधिसूचना जारी कर रहे हैं।

श्रीमती रोजा देशपांडे : भूमिहीन खेतिहर महिला श्रमिक भी शामिल किये जाने चाहिए।

***श्रीमती भार्गवी थनकप्पन** : सम्भावना यह है कि इस विधेयक के लागू हो जाने पर चतुर नियोजक महिला श्रमिकों की छंटनी कर देगें ताकि उन्हें यह प्रसुविधा न देनी पड़े। अतः इस रोकने के लिए कोई उपबन्ध करना आवश्यक है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : छंटनी तलाबन्दी आदि रोकने के लिए मैंने दूसरे सदन में पहले ही एक विधेयक प्रस्तुत कर चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 2 के सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 12, 13 29 और 35 से 37 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत थे।

(*The amendments No. 12. 13. 29 nd 35 to 37 were put and negatived*)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(The Motion was adopted)

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

(*Clause 2 was added to the Bill.*)

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

(*Clause 3 was added to the Bill.*)

खण्ड 4

(*Clause 4*)

श्री बीरेन दत्त : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं। समान कार्य के बहाने नियोजक महिला श्रमिकों पर अधिक काम न लादें इसलिये यह संशोधन पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं यह संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

(*The amendment No. 2 was put and negatived*).

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

[*मंत्रालय में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Malayalam.]

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(The motion was adopted.)

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया ।

(Clause 4 was added to the Bill.)

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया ।

(Clause 5 was added to the Bill.)

उपाध्यक्ष महोदय : तीन ऐसे संशोधनों की सूचना दी गई है जिस के द्वारा विधेयक में एक नया खण्ड जोड़ने का प्रस्ताव है ।

श्री मोहम्मद इस्माइल : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती भार्गवी थनकप्पन : मैं संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं संशोधन संख्या 3 और 38 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 3 और 38 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये ।

(Amendments No. 3 and 38 were put and negatived.)

खण्ड 6

(Clause 6)

श्री बीरेन दत्त : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं संशोधन संख्या 14 से 16 और 32 प्रस्तुत करती हूं ।

श्रीमती भार्गवी थनकप्पन : मैं संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करती हूं ।

श्रीमती रोजा देशपांडे : सलाहकार समिति में कम से कम 6 महिला सदस्य होने चाहिए ताकि उनका बहुमत रहे । इन समितियों में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । इस समिति के निर्णय सलाह के रुप में नहीं वरन् आदेश के रुप में माने जाने चाहिए ।

श्री बीरेन दत्त : इस कानून का पालन करके नियोजक महिला श्रमिको पर पुरुषों के बराबर काम लाद देंगे और उनकी छंटनी भी करेंगे । अतः श्रम अधिकारियों से इस बारे में ध्यान रखने के लिए कहा जाये ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम महिलाओं को न केवल समानता वरन् सलाहकार समितियों में बहुमत भी देगें । बहुमत की व्यवस्था इस तरह नहीं की जायेगी । ये समितियां जो भी सलाह या सुझाव देगीं सरकार उनके बारे में नियोजनकों के विचार जानकर उन पर विचार करेंगी और तब उसे आदेश का रूप देगी । केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों का प्रतिनिधित्व भी होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती रोजा देशपांडे का संशोधन संख्या 16 सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

(Amendment No. 16 was put and negatived.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं बाकी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4, 14, 15, 32 और 39 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 4, 14, 15, 32 and 39 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ा गया ।

(Clause 6 was added to the Bill)

खण्ड 7 से 9 विधेयक में जोड़े गये ।

(Clauses 7 to 9 were added to the Bill.)

खण्ड 10

(Clause 10)

श्री मोहम्मद इस्माइल : मैं संशोधन संख्या 5 से 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं संशोधन संख्या 17 से 20 प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतादन के लिये रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में 27 विपक्ष में 80

The Lok Sabha divided : Ayes 27, Noes 80

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं शेष संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 6 से 10 और 17 से 20 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये

Amendments No. 6 to 10 and 17 to 20 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11 से 18 विधेयक में जोड़े गये ।

(Clauses 11 to 18 were added to the Bill.)

खण्ड 1—(संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ)

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई मध्य) : मैं संशोधन संख्या 11 प्रतुत करती हूं। तीन वर्ष का समय देकर आप नियोजकों को महिला कर्मचारियों की छंटनी करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह अवधि घटाने के लिए मेरा संशोधन है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं है कि यह अधिनियम तीन वर्ष के बाद लागू होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 और 11 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 और 11 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

(Amendments No. 1 and 11 were put and negatived)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

(Enacting Formula)

संशोधन किया गया :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 —

"छब्बीसवें" **के स्थान पर** "सत्तईसवे" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (33)

(के० रघुनाथ रेड्डी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया।

The title was added to the Bill

श्री रघुनाथ रेड्डी : मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : Somehen. Members have pointed out that this Bill does not cover the workers of un-organised sector. I would like to haven categorical reply from the hon. Minister in this respect. Why 3 years have been give for the implementation of this legislation? The employers who Violate the provisions of this Act shall be liable to pay a fine of rupees five thusand which they will be in a position to pay by retrenching hundreds of women workers. Such defaulting employers should be lia to be punished with imprisonment also.

श्री एस० ए० कादर : यह देखकर मुझे संतोष है कि हमारे देश में कमजोर वर्गों के लिये आज चिर प्रतीक्षित न्याय उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : देश में निर्माण श्रमिकों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। उन्हें न तो ग्रेच्युटी और न ही भविष्य निधि की व्यवस्था है। उन्हें समान वेतन भी नहीं मिलता। यह अधिनियम लागू हो जाने पर निर्माण ठेकेदारों ने केवल पुरुष श्रमिकों को नियोजित करने का निश्चय किया है। इसी प्रकार बीड़ी उद्योग महिला श्रमिकों के सहयोग से चल रहा है। इनके हित सुरक्षित रखे जाने चाहिएं। मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि ठेका श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार करने का विचार है।

श्री इराज्मु द संकेरा (मारमागोआ) : इस विधेयक को महात्मा गांधी के स्मृति दिवस पर पारित करना उचित ही है। पुरुष और महिला में समानता लाने के सिद्धान्त का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम पुरुष और महिलाओं में जीव वैज्ञानिक समानता की बात नहीं कर रहे हैं वरन् पारिश्रमिक और नौकरियों में महिलाओं को समानता दिलाने के लिए यह विधेयक लाये हैं जो हमें महात्मा गांधी की स्मृति में, जिन्होंने मानव समाज में समानता के लिए हमेशा संघर्ष किया, पारित कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

उनसठवां प्रतिवेदन

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 59वें प्रतिवेदन से जो 28 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 59वें प्रतिवेदन से जो 28 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION *re.* IMPLEMENTATION OF THE 20-POINT PROGRAMME—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विभूति मिश्र के संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ होगी श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): The Prime Minister has announced the 20-point programme at a time when capitalistic forces and reactionary forces were trying to create chaos in the country, when they were trying to instigate the military and police forces and when they were trying to weaken the resources of production. She has announced this programme at a time when our country was facing drought, when lakhs of refugees from Bangla Desh had come in our country, when our economy was hard hit and these forces were trying to create chaos in the country. At such time it was very essential to check these forces. Had these forces been not checked in time, country's economy would have been shattered If this programme is implemented properly it will surely provide some relief to the poor people.

I may not be able to touch all the 20-points but I would speak on the first point which is in regard to production and its distribution system. In this point the Prime Minister has said that the essential commodities should be made available to the people at reasonable prices. These commodities can be made available to them at reasonable prices if production is enhanced and the distribution system is made proper. For the enhancement of production our farmers have done a lot. By working hard they have increased the production of various commodities. They have increased the production of wheat, rice, cotton, sugarcane, jute and other such commodities. The increase in production of these commodities has led to the fall in prices of them. By increasing production we have been able to export them and earn foreign exchange. But there has not been any change in the position of the farmers because there has not been any corresponding fall in the price of industrial goods. This sort of state of affairs has created restlessness amongst the farmers. Therefore, something must be done in this regard. The Government should take two steps in this respect. Firstly the Government should see that the prices of agricultural inputs comes down and secondly they should see that the agriculturists get reasonable price for their produce.

श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए

[SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair*]

I have to submit one more point and that is in regard to staple yarn factory in Faizabad. There was a proposal to set up a staple yarn factory in Faizabad. The foundation stone of this factory was also laid and the machinery set up. But now I have been told that this programme has been cancelled. Now a textile mill is proposed to be set up in place of a staple yarn factory. In order to check the increasing prices of staple it is in the fitness of things that the earlier decision to set up a staple factory in Faizabad should not be changed. This factory will help check the increase in prices of staple. Handloom and powerloom industry has its importance for the rural areas. Hence Government should give due attention to this industry also.

श्री पी० जी० मावलंकर (ग्रहमदाबाद) : हमारे एक ग्रनुभवी मित्र श्री विभूति मिश्र ने जिस भावना से यह संकल्प पेश किया है मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि इस संकल्प में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका विरोध किया जा सकता है। संकल्प की भावना को देखने से पता चलता है कि श्री विभूति मिश्र का इस संकल्प को लाने का उद्देश्य 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना है जिससे कि सरकार के ग्रौर इस संदर्भ में प्रधान मंत्री के उद्देश्य पूरे हों सकें। कार्यक्रम से अधिक महत्व उसे क्रियान्वित करने का है। हर समझदार व्यक्ति इस बात को मानेगा कि देश में ग्रार्थिक पिछड़ेपन, ग्रन्याय ग्रौर शोषण को खत्म करने के बगैर एक समतावादी ग्रौर समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए हमें उनके इस कार्यक्रम के 'क्रियान्वयन' पर बल देने की बात की सराहना करनी ही होगी। ग्रब प्रश्न यह उठता है कि यदि इसका क्रियान्वयन ग्रावश्यक है तो इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए। इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार को इसे क्रियान्वित करने के लिए कौन-कौन से ठोस उपाय करने चाहिएं। यदि यह बता दिया गया होता कि ये कदम उठाए जाने चाहिएं तब तो यह देखा जा सकता था कि क्या उनकी पुष्टि की जा सकती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि संकल्प में यह कहा गया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन करने सम्बन्धी सभी तरह की कानूनी ग्रौर प्रशासनिक बाधाग्रो को दूर किया जाए। यह कहना भी खतरनाक बात है क्योंकि यदि ग्राप यह कहते है कि सभी कानूनी प्रावधानों द्वारा बाधायें उत्पन्न होती हैं तो इसका ग्रर्थ यह होगा कि हमें बिना कानून के शासन करना चाहिए यानी शासन करने के लिए किसी नियम की कोई ग्रावश्यकता नहीं है। नौकरशाही विलम्बों की बात तो समझ में ग्राती है। वहां पर तो फाइलें जल्दी से ग्रागे नहीं चलती। लालफीताशाही होती है तथा भ्रष्टाचार पनपता है जिससे लोगों को निराशा होती है। ग्रतः इस प्रकार की प्रशासनिक बाधायें दूर की जानी चाहिएं। नौकरशाही को नये सामाजिक ढांचे के ग्रनुसार ढाला जाना चाहिए ग्रौर उन्हें हर स्तर पर सरकारी नौकर की हैसियत से काम करना चाहिए। परन्तु जब कानूनी बाधाग्रों की बात कही जाती है तब सन्देह उत्पन्न हो जाता है क्योंकि इसका मतलब तो यह होगा कि सरकार कानून से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है ग्रौर उसे क्रियान्विति के विभिन्न स्तरों पर दुरुपयोग के विरुद्ध किसी कानूनी प्रावधान ग्रौर कानूनी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन इसलिए मन्द गति से चलता है क्योंकि इसे लागू करने में राजनीतिक निर्णय की कमी रहती है। इसकी मन्द गति का कारण कानूनी प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों से ग्रधिक निश्चय की कमी है। ग्राजकल वचनों नारों तथा कागजी काम का बोल बाला हैं परन्तु हमें कम से कम ग्राज के दिन ग्रर्थात् 30 जनवरी को तो इन बातों को छोड़ देना चाहिए। हमें ग्राज के दिन इन बातों का त्याग कर महात्मा गांधी के संदेश का पालन करने के लिए ग्रपनी सेवाएं ग्रर्पित करनी चाहिएं ग्रौर इस देश के सच्चे नागरिक के रूप में इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का काम प्रारम्भ कर देना चाहिए। हमें यह सब काम बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा जिससे हम एक ऐसे सम-समाज की स्थापना कर सकें जो ग्रार्थिक दृष्टि से सुदृढ हो।

Shri Chandra Bhal Mani Tiwari (Balrampur): Today we have to see whether the 20-point programme is bieng implemented properly or not? I feel that the implementation of the programme is every slow. Though six months have passed but not even five per cent programme has been implemented so far.

There is also a great disparity in the development of different regions of our country. Some regions are much developed regions while others are totally undeveloped and some regions have been totally neglected. Government should pay more attention to the regions which have been totally neglected.

The reason why the backward areas are not developing is because the basic facilities have not been provided there. In those areas there is no electricity and the irrigation facilities have not been provided there. In order to provide electricity and irrigation facilities more funds are needed. Special provision was made for these facilities last year but no results have been achieved. The reason, therefore, is that our schemes remain only on paper and are not implemented. Our programmes should not remain only on the paper. It is, therefore, necessary to take some concrete steps to implement this 20-point programme.

Shri R. V. Bade (Khargone): I support the resolution moved by Shri Bibhuti Mishra. Though the slogan to give land to the landless was raised in 1962 but it was not implemented. Now when the 20-point pgrogramme has been announced the steps are being taken to distirbute land among the landless. Now about 36,000 people are likely to get about one lakh hectare land. It is really a welcome step that Adivasis and other poor landless people are now getting land.

The Madhya Pradesh Government had appointed an Adivasis Commission in Madhya Pradesh. I was also a member of that commission, when I visited the State then I found that in certain areas of the State Adivasis had to work as bonded labour. But when the bonded labour has been abolished it is giving great relief to the people of Madhya Pradesh. It is a very good step and we welcome it.

Shri Nageshwar Dwivedi (Machhlishahr): I whole heartedly welcome the resolution brought forward by Shri Bibhuti Mishra. The main point in the resolution of Shri Mishra is that while the Central Government is taking necessary action to implement the 20-point programme but it is not being implemented at the State, district and block levels. Unless it is implemented at lower level we would not enjoy its full benefit.

This 20-point programme was announced immediately after the proclamtion of emergency. The prevalent conditions in the country had polluted its atmosphere. The schools and colleges were not working properly. The strikes were going on. The trains were stopped by chain pulling. The Goods were sold in the black market. There was chaos every where. But now when this 20-point programme has been announced special attention is being given to the poor, the landless, the farmers and agricltural labourers. Now the land is being given to the landless people. We welcome this step. But there is one difficulty that the people are facing. In some of the cases housing sites have been given to the people for away from the city. They do not like to go there individually. Thus in all such cases people should be sent together and they should be given one big plot of land so that they may not have to experience the difficulty of loneliness. In case small housing sites have to be given to them these should be given to them near the population.

It is a matter of great happiness that the prices of agricultural Commodities are falling now. People were much upset with the rising prices. Now they are feeling a sigh of relief. But the prices of industrial goods have not fallen correspondingly. The farmers have been adversely affected by this. Necessary steps should be taken in this direction. There should be some sort of balance between agricultural commodities and those of industrial goods.

In order to ameliorate the conditions of agriculturalists Government had decided to provide more irrigation facilities. This work is carried out at the State level. Special attention should be paid to States like Uttar Pradesh in this regard because most of the people depend on agriculture in that State.

As far as the question of bonded labour is concerned it is good that bonded labour system has been abolished. This is a commendable work that the Government has done. I also appreciate the apprenticeship scheme introduced by the Government. The Government should take more and more steps in this regard so that a large number of people may benefit thereby.

With these words I support the resolution.

Shri K. M. 'Madhukar' (Kesaria): We are grateful to Shri Bibhuti Mishra because he has drawn the attention of the Government that the 20-point programme is not being implemented properly on account of some difficulties. We have expressed our views regarding 20-point programme many a times before. This programme has roused new hopes among the people of our country. We therefore support this programme whole heartedly and wish that it should be implemented with all earnestness.

This Programme is not being implemented in Bihar. The reason for this is that the people who should be taken at the block level or panchayat level to implement this programme are being neglected. There are congress men who have vested interest and they are creating obstacles in the way of implementation of this programme. Therefor, if we want to see that the programme is implemented properly then the cooperation of all the sedtions of people should be elicited. It is a matter of great regret that the people of Communist party of India are not being included in the implementation committees although they have supported this programme.

The Chief Minister of Bihar has announced that the bonded labour system has been abolished in Bihar. But this statement of the Chief Minister has been refuted by our leaders. Shri Bhogendra Jha has himself written that this is not true. He has challenged that thisst system is prevalent in Bihar. In case this programme is not implemented even after the annoncement of the Prime Minister the position will go from bad to worse.

Certain house sites have been distributed in Bihar. The housing problem will not be solved marely by this. In order to solve the problem of housing there we will have to take up the programme of distriution of house sites in a big way.

The Prime Minister has announced that more irrigation facilities shall be provided in the country. But what is the position of Bihar. There is need for providing more irrgation facilities in Bihar . That is not possible unless Gandak project, Kosi project and such other irrigation projects are implemented. But these projects are bieing implemented at a very slow pace. These projects should be implemented expeditionsly.

The 20-point programme includes the development of electricity. The Planning Commssion has submitted some recommendations to Bihar Electricity Board but I do no know what has happened to those recommendations. More electricity should be generated unles that is done it is not possible to provide irrigation facilities with tubewells.

We have all praise for this programme but its implementations is not proper. We will have to check burcanerary first of all. Unless that is checked its implementotion is not possible only the persins who have full faith in this programme should be entrusted the reponsibility of implementing it. Some arrangements should also be made to evaluate the implementation of this programme.

We should pay special attention to the problems of farmers. The prices ofthe things requred by the farmers are going up and the prices of things produced by the farmers are going down. there should be proper relationship between agricultural production and industrial production.

The Government should try to find out the States where this programme is not being implemented properly. they should try to find out the reasns therefor and should ensure that it is implemented in those States properly.

Shri B.R.Shukla (Bahraich) : The 20 point progamme has aroused new hopes in the life of the people. We are grateful to Shri Mishra. who irwell conversant aware of the problems of the people for having brought forward this resolutios and providing us an opportunity to express our views in this regard . All the sections of nciety have welcomed this programme . Now we have to see how it is implemented. I am neisor pessimist nor optimist I do not think that all the evils can be uprooted by this programme.

The greatest problem of the villages is in regard to the irrigation facilities. I am sorry to say that very little progress has been madein this respect. Whenever the attention of the Central Government is drawn towards this problem they leave it to the state Governments. But the State Government say that they do not get grant from the Central Government. Thus due to this dual administration the work is not being done. All the backward areas especially the district of Bahraich, which is our the border of Nepal, there are no irrigation facilities. In the absence of irrigation facilities the production of foodgrains cannot be increased.

In our State the forest land is distributed to the people to for agricultural purposes but the officers there take bribe and allot to some affluent people.

My next point is regarding the rural banks. Much is said about the efforts being made to open more and more rural banks. But the small people like scooterwalas are not able to get loans from rural banks. Much of their earning goes to the owners of the scooter who take it in the form of rent Government should pay attention in this regard.

It is good that bonded labour system has been abolished. It is also good that small people have been liberated from past loans. It is a welcome step. But the matter should not end there. Some alternative arrangements should be made for them so that they could get loans to meet their needs. In case these arrangements are not made then they will have to go again to the money lenders to borrow money to meet their demands and these money lenders suck their blood.

Though the time at my disposal is very short but at the end I would like to submit that in order to implement this 20-point programme, implementation committees should be set up at district level. A proper atmosphere should also be created in the country for this purpose.

श्री के० सूर्य नारायण (एलरू) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद देश में विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है। हालांकि सरकार ने कृषकों की इतनी सहायता नहीं की है, फिर भी कृषकों ने कृषि का विकास करने के लिये पूरी कोशिश की है।

इस संकल्प का उद्देश्य 20-सूत्री कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करना है। परन्तु केवल नारे लगाने या संकल्प पास कर देने मात्र से यह उद्देश्य पूरा नहीं हो जायेगा। इस के लिये तो हमें कुछ ठोस कार्य करना होगा। इस कार्यक्रम को उचित रूप से तभी क्रियान्वित किया जा सकेगा जब इसे क्रियान्वित करने के मार्ग में आने वाली प्रशासनिक और अन्य बाधाओं को दूर कर दिया जायेगा।

कृषकों को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनके मूल्य तो बहुत बढ़ गये हैं परन्तु वस्तुएं कृषक पैदा करते हैं उनके मूल्यों के बारे में कोई गारंटी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि सभी उत्पादक और निर्माता अपनी-अपनी उचित मूल्य की दुकानें खोलें। चीनी और अनाज के मूल्य सभी राज्यों में समान होने चाहिये और अधिक उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित की जानी चाहिए।

सदस्यों को चाहिए कि वे केवल सुझाव ही न दें परन्तु यह भी देखें कि वे लोगों की कितनी सेवा कर रहे हैं। हमें इस कार्य में तभी सफलता मिलेगी जब हम इस कार्यक्रम को सत्यनिष्ठा से क्रियान्वित करेंगे।

अन्त में, मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ हम यहां कहते हैं वह प्रकाशित होना चाहिये क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लोग तो हमें यहां सुनने आते नहीं हैं। इस नुक्ते को भी 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाना चाहिये जिससे लोग हम जो कुछ यहां कहते हैं उससे अवगत हो सकें।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : यह 20-सूत्री कार्यक्रम कोई नई चीज नहीं है जो अकस्मात पैदा हो गई है। वास्तव में यह कार्यक्रम प्रधान मंत्री द्वारा दस वर्ष पूर्व आरम्भ की गई नीतियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच

विद्यमान खाई को पाटना है। इस कार्यक्रम से देशवासियों में आशा की लहर दौड़ गई है। अब इस के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिये।

इस देश में 47% लोग ऐसे हैं जो दो समय का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं। क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। इसलिये उन्हें आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध की जानी चाहिये। उनके वितरण पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिये क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र वाले अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। यदि सरकार के लिये ऐसा करना सम्भव न हो, तो यह काम हमें उपभोक्ता सहकारी समितियों को सौंप देना चाहिये। वितरण कार्य प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिये ताकि आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण को सहज उपलब्ध हो सकें। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी को पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिये। फालतू अनाज खरीद लिया जाना चाहिये जिस से जमाखोरी की गुंजाइश ही न रहे। जब कभी पर्याप्त फसल हो और उसका आयात भी करना पड़ा हो, तब अनाज के मूल्य एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं गिरने देने चाहिये। ऐसा करना अधिक कठिन नहीं है। ऐसा उत्पादक को वर्ष भर ऋण दे कर तथा खड़ी फसल खरीद कर किया जा सकता है। ऐसा कई स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है।

काश्मीर में फल प्रचुर मात्रा में होता है। वहां पर छोटे-छोटे उत्पादक हैं जो उसे बेच नहीं सकते हैं। इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। फलों के परिष्करण का कार्य सरकार को स्वयं करना चाहिये क्योंकि यह कार्य-गैरसरकारी क्षेत्र नहीं कर सकेगा।

दस्तकारी को 20-सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। परन्तु काश्मीर में दस्तकारों की दशा बहुत ही दयनीय है। मौसम के कारण उन्हें 3–4 मास ही काम मिल पाता है और शेष समय वे बेरोजगार रहते हैं। गलीचा की बुनाई के कार्य में काश्मीर ईरान से भी आगे बढ़ गया है। यहां तक के हम गलीचों का निर्यात कर सकते हैं। किन्तु ऐसा केवल तभी हो सकेगा जब इस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिकाधिक गलीचे तैयार हो सकेंगे। इस उद्योग के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिक गलीचे तैयार हो सकें और उनसे हम न केवल विदेशी मुद्रा ही कमा सकेंगे परन्तु अपने लोगों को रोजगार के भी अधिक अवसर प्रदान कर सकेंगे इसी तरह हम पशमीने का भी निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं 20–सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): The 20-Point programme initiated by the Prime Minister is a revolutionary step in the direction of bringing about economic prosperity in the country. More and more money should be allocated for agriculture, production, industry, fuel and power so that there is more generation of economy. Non-essential priorities need not be given much attention.

It is good that bonded labour and rural indebetedness have been abolished in the country More and more rural banks should be opened in the country to make available funds to the small marginal and landless cultivators in order to ensure more production and to see that such farmers do not again get into the trap of money landers.

As regards the ceiling in urban and other property, there are several loopholes in this legislation. There are no uniform ceiling. At some places it is 18 acres and at other place it is 2.000 acres. This gap is much. Moreover, Government should ensure its implementation at the lower level to achieve success.

2635 LS—8.

It is commendable that Government has unearthed black money of Rs. 1600 crores. But there are thousands of crores of rupees still underground in the form of gold. Steps should be taken to dig out this wealth also to further boost the economy.

Something should also be done about the huge amount deposited by Indians in foreign banks in Switzerland and other countries. If banking facilities are provided to non-resident Indians and that money is remitted here, our foreign exchange position will be strengthened to some extent. But the difficulty is that no bank is ready to undertake this work because they are themselves involved in it.

It is said that the public sector is incurring losses. Something should be done to make it remunerative.

The operative part of the Resolution is that the administrative and legal requirements will have to be fulfilled. The time has come when we should bring forward some legislation by which the plight of have-nots could be improved. In order to achieve this end, radical changes will have to be made in the Constitution.

Shri R. P. Yadav (Madhpura): Before the 25th June, when the present emergency was proclaimed. there was chaos, insecurity and indiscipline. in the country. But after the 25th June, there has been marked improvement in the state of affairs in the country. The emergency has made the people realise the importance of discipline and sense of responsibility and to feel that they should bo something for the country. The 20-Point programme of the Prime Minister is a revolutionary step in this direction.

In order to have a fair distribution of land in the country, land ceiling laws were passed. But as has been suggested in the Resolution itself, these laws are not being implemented properly. Though it is very difficult to establish ownership because of *bename* transfers. yet the present Bihar Government has done good work in this direction. A congressman has recentley been expelled from the party because he held 4 thousand bighas of land. So it cannot be said that nothing is being done in this direction.

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुये]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

The State of Bihar has made a law under which it has been provided that if anybody cultivaties a particular land mortgaged to him for a period of seven years in lieu of interest for the Principal amount. then after this period the entire debt has to be written off. Such legilation should be enacted by other States also. The candidates belonging to backward classes like Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been given preference while making appointment to higher posts in the State of Bihar. All the schools, colleges and universities in Bihar have been allotted quotas in respect of foodstuffs and other essential goods and also book banks have been provided there.

The implementation of this 20-point programme depends upon the attitude of the bureaucrats. But I find that there has been no change in their attitude. A provision should. therefore, be made for imparting training to them.

It is gratifying to note that Government proposes to open rural banks with a view to liquidate rural indebtedness. The agriculturists in the rural areas are compelled to take loan from money-lenders who charge exorbitant rates of interests. Something should be done to curb it.

With these words. I support the Bill.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा आपात स्थिति की पूर्वबेला में की गई थी । उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी – और इसका कमजोर वर्गोंपर बड़ा बुरा प्रभावजपड़ रहा था । यों तो पहले कई कार्यक्रम बनाये गये थे किन्तु उन्हें कभी उचित रुप से क्रियान्वित नहीं किया गया जैसा कि प्रस्तावक ने भी कहा है ।

अब समय आ गया है जब हमें 20–सूत्री कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए । कृषि उत्पादों के मूल्य तो गिर गये हैं परन्तु कृषकों के काम आने वाले सामान जैसे उन्नत बीजों उर्वरकों कीटनाशी औषधियों और अन्य वस्तुएं के मूल्यों में उतनी कमी नहीं हुई है और कुछ मामलों में तो मूल्य बढ़ गये हैं । कृषकों को लाभप्रद मूल्य न मिलने से उन्हें हानि हो रही है । इसी लिए कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार होने की बजाय बिगाड़ पैदा हो गया है ।

यही स्थिति औद्योगिक अर्थव्यवस्था की है । सूती कपड़ा मिलें बन्द हो रही हैं । पटसन उद्योग की भी यही स्थिति है । मोटरगाड़ी उद्योग, रबड़ उद्योग और इंजीनियरी उद्योग में मंदी व्याप्त है । हजारों श्रमिकों को जबरन छुट्टी दे दी गई है । अतः इस कार्यक्रम का कृषि या उद्योग की सामान्य अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया है ।

भूमिहीन मजदूरों को केवल भूमि देने मात्र से काम नहीं चलेगा । उन्हें और भी कई सुविधाएं दी जानी चाहिए । छोटे छोटे ट्रैक्टरों के साथ साथ अन्य उपकरण और वित्तीय सहायता भी मिलनी चाहिए जिससे वे भूमि से पूरा पूरा लाभ उठा सकें ।

पिछड़े क्षेत्रों को बिजली देने के मामले में प्राथमिकता मिलनी चाहिए । आज स्थिति यह है कि जहां पहले ही पम्प लगे हुए हैं वहां अपेक्षित मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं की जा रही है । इस नये कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा तैयार कर के इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे सफलता मिल सके । 20–सूत्री कार्यक्रम के केवल मात्र गीत गाने से कोई लाभ नहीं होगा अतः हमें इसे क्रियान्वित करने में जुट जाना चाहिए ।

गुजरात में 20–सूत्री कार्यक्रम के अलावा और भी कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं । हमारा कार्यक्रम 62–सूत्री है और हम उसे क्रियान्वित कर रहे हैं इस मामले में हम किसी से पीछे नहीं हैं ।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : The 20-point Programme has but a meaning and a substance to the Emergency. There has been all-round awakening in the country Many facilities like credit, power, water etc. which were not earlier available to the farmers are now freely available. It is because that some persons who were creating hurdles in the implementation of development programmes in the country are away for some time and there is non now hurdle in implementing the development programmes. It would have been better for the welfare of the country, if they had joined the mainstream.

Our Chief Minister in Andhra Pradesh has set up a Committee consisting of MLAs and MPs. to look after the implementation of the 20-point programme. Much headway has been made in the direction of distribution of surplus land found over and above the ceiling limit to the landless in the state. It is, therefore, wrong to say that the progress of implementation of 20-point Programme is not satisfactory there.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj) : The operative part of the Resolution is that necessary steps should be taken by the Government to remove all legal and administrative hurdles in the implementation of the programme. In order to achieve this end, it is necessary that the Constitution should be amended because unless it is done, we will not be able to implement this programme effectively. For this involvement of the minorities, Harijans and othet weaker sections of the Society is also necessary and their co-operation should be sought. It is good that land has been distributed amongst poor people and law and order has been restored in Bihar.

Shri T.D. Kamble (Latur) : I fully support the Resolution moved by Shri Mishra. Weaker sections of our society will be benefited by the implementation of 20-point programme because they will get land which will enable them to earn their livelihood. But while distributing land, it should be seen that each family gets sufficient land which is enough for the family otherwise the purpose of this Scheme will be defeated.

Some houses are being constructed for allotment to the weaker sections of our society. But the material being used for this purpose is not of good quality. Government should see that good material is used in these houses so that they are durable.

Unemployment is going on increasing specially in rural sector with the result that people from rural areas are shifting to urban areas in research of work. In order to fight this type of unemployment, cottage and small scale industries should be established in the villages so that the people there are able to get employment there it self. Secondly, only one person from a family should be given Government employment.

Government should see that the prices of agricultural commodities do not come to uneconomic level. At the same time efforts should be made to bring down the prices of commodities like kerosene oil, fertilizers etc. needed by agriculturists. Unless the prices of agricultural commodities are stablilised at an economic level, there will not be any incentive for the farmer to produce more.

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए जितना समय आवंटित किया गया था वह पूरा हो गया है। यदि सभा चाहे तो इसे 40 मिनट और बढ़ाया जा सकता है।

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada) : I move :

"That the time allotted for this Resolution be extended by another forty minutes."

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि इस संकल्प के लिए निर्धारित समय 40 मिनट और बढ़ाया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : प्रधान मंत्री के 20–सूत्री कार्यक्रम ने देश को एक नई दिशा दी है जिसका उद्देश्य न केवल विकास को बढ़ावा ही देना है परन्तु श्रमिकों तथा समाज को इस कार्यक्रम के प्रति प्रभावी ढंग में जागरुक भी करना है। वास्तव में इस कार्यक्रम ने देश में एक नई विचारधारा को जन्म दिया है और इसके अन्तर्गत हमें विभिन्न समस्याओं के प्रति अपने रुख को नई दिशा देनी होगी।

यह ठीक है कि हमारा देश कृषिप्रधान है। हमारी समूची अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही कृषि है। इसीलिए इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। जब योजना आरम्भ की गई थी तब 5.2 लाख मीट्रिक टन अनाज होता था। अब हमारा विचार है कि यह बढ़ कर 11, 11.2 या 11.4 लाख मीट्रिक टन हो जायेगा और आशा है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 14 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने लगेगा। इस प्रकार उत्पादन में 2.67 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो अभूतपूर्व है। अभी तक इतनी वृद्धि किसी देश में नहीं हुई है।

कृषि के लिए उर्वरक, अच्छे बीज, ट्रैक्टर और पानी महत्वपूर्ण हैं परन्तु इनमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण जनबल है जिसके परिश्रम के आधार पर ही हम कोई सराहनीय सफलता प्राप्त कर सकते

हैं। इसीलिए 20 सूत्री आर्यक्रम में मानव भूमि सम्बन्ध पर अत्याधिक बल दिया गिया है। क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो तो हमें किसानों का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा अन्यथा वे अपने काम में इतनी रुची नहीं लेंगे जितनी उन्हें लेनी चाहिए।

ब्रिटिश शासन के दौरान जब देश में भूमि का तथाकथित स्थायी बन्दोबस्त किया गया था तब से भूमि सम्बन्धी आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे। हम अभी तक यह भी निश्चित नहीं कर पाये हैं कि किसके पास कितनी भूमि है। यहां तक कि भू-राजस्व सम्बन्धी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। अतः सर्वप्रथम हमें इन अभिलेखों को तैयार करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसीलिए इस नुक्ते को 20–सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इन अभिलेखों के तैयार हो जाने पर भूमि सम्बन्धी वितरण कार्य बहुत ही सुलभ हो जायेगा।

दूसरे फसल की बटाई की प्रथा एक तो सामाजिक न्याय के प्रतिकूल है दूसरा इस के कारण उत्पादन की वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस प्रथा को भी समाप्त करना होगा।

यह एक अच्छी बात है कि भूमि की अधिकतम सीमा के बारे में राष्ट्रीय मतैक्य विद्यमान है मेरे विचार में इस सम्बन्ध में पहला चरण अर्थात् सीमा आदि का निर्धारण पूरा हो गया है और अब हमें यह देखना है कि भूमि का वितरण हो। जब से 20–सूत्री कार्यक्रम लागू होना आरम्भ हुआ है उसके बाद हमें इस मामले में अच्छी सफलता मिली है। यह ठीक है कि इस कार्यक्रम को उतनी सत्यनिष्ठा से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है जितना इसे किया जाना चाहिए। शायद इस ओर और अधिक ध्यान देना अपेक्षित है। चूंकि लोगों यह जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी है इसलिए यह हमारा अर्थात् राजनीतिज्ञों का कर्त्तव्य है कि हम सामाजिक परिवर्तन लायें क्योंकि नौकरशाही ऐसा करने में असमर्थ है। गत 20, 25 वर्ष में ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाने में ढील का कारण यह था कि हम सोचते थे कि सामाजिक क्रांति स्वयं होगी। परन्तु यह हमारा विचार गलत निकला। वास्तव में सामाजिक क्रान्ति े लोग लाते हैं जो अपने हितों को भुला कर सामाजिक क्रान्ति लाने में स्वय जुझते हैं। अतः कोई भी सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए हमें स्वयं परीश्रम करना होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम इस सामाजिक क्रान्ति को लाने के लिए प्रयत्नशील रहें। इस के लिए नौकरशाही पर निर्भर करना सर्वथा भूल होगी।

मुझे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर के मध्य तक विभिन्न राज्यों में लगभग 3,04,300 एकड़ भूमि हस्तगत की गई। दिसम्बर के अन्त तक 8,81,713 विवरणियां स्वैच्छा से पेश की गई थीं। और 2,21,049 सरकारी पहल पर पेश की गई और इस प्रकार 6,09,659 एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है। मुझे आशा है इन आंकड़ों में अभी और वृद्धि होगी क्यों ये पूर्णतः अन्तिम आंकड़े नहीं हैं। वितरण की प्रगति अब आगे और तेज होगी।

केवल वितरण से ही समस्या हल नहीं होती। जिन लोगों को हम भूमि दे रहे हैं वे इतने गरीब हैं कि उनके पास उसका उपयोग करने के साधन नहीं हैं। अतः हमें इस समस्या पर भी विचार करना है। इसलिए हम एक नई ग्रामीण ऋण नीति आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं जिसका मतलब सहकारी ऋण नीति है संख्यागत ऋण उपलब्ध कराने से तब तक फायदा नहीं हो सकता जब तक कि इन लोगों में राजनैतिक सतर्कता नहीं पनपती क्योंकि तब तक गरीबों को ऋण नहीं मिल सकता। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों को समाप्त

करने की बात कही गई है। गांवों में ऋण वह राशि नहीं है जो कि उसमें ली है बल्कि उस पर लिया जाने वाला अत्यधिक ब्याज है जिसे वह अपनी अज्ञानता वश कभी चुकता नहीं कर सकता। इसलिए जब हम उसके ऋण समाप्त करने की बात कहते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि हम उसे सैकड़ों वर्षों के बाद उसे उसका अधिकार दिलाने के लिए जागृत कर रहे हैं।

बंधित मज़दूर प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यह दास प्रथा का दूसरा नाम है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे उड़ा दिया गया है और कानून पास कर दिया गया है। किन्तु केवल कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो जाती। हमारा ध्येय तो यही है कि हमारे देश में जो भी इस प्रथा के चुंगल में हो उसे मुक्त कराया जाए।

देश में पांचवी योजना के अन्त तक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य 14 करोड़ टन निर्धारित किया गया है जिसके लिए सिंचाई तथा उर्वरकों की यथाशक्त उचित व्यवस्था करने की कोशिश की जाती रही है। उर्वरकों के मूल्य बहुत बढ़ जाने के कारण वर्ष 1974 में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी किन्तु फिर भी अभी इस मद में 140 करोड़ रुपए की राज सहायता दी जाती है जिसे राष्ट्रीय बजट वहन करता है। जहां तक खाद्यान्नों की वसूली की प्रश्न है, हम दिसम्बर, 1975 के अन्त तक 70 लाख टन खरीफ अनाज की वसूली कर चुके हैं जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक केवल 14 लाख टन की वसूली हुई थी।

20 सूत्री कार्यक्रम में न्यूनतम कृषि मजदूरी दिए जाने पर भी जोर दिया गया है। अधिकतर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जा चुकी है और बहुत से राज्यों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। राज्यों में उसकी क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक तंत्र में तेजी लायी जा रही है।

20 सूची कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आवासीय स्थान (मकान बनाने के लि जगह) हैं। हम काफी लम्बे समय से इस सम्बन्ध में बातें करते आ रहे हैं। ग्रामीण लोगों को केवल इसलिए आवासीय स्थान नहीं मिलने चाहिए कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें वह मिलना चाहिए बल्कि इसलिए भी यह आवश्यक है कि भूमिहीन श्रमिकों को सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने में तेजी बरती जा रही है और इसके परिणाम बहुत सन्तोषजनक रहे हैं; दिसम्बर के अन्त तक 60 लाख आवासीय स्थान वितरित किये जा चुके हैं। किन्तु ग्रामीण आवास की समस्या बड़ी भारी है जिसे हल करने के लिए बहुत प्रयत्नशील होना पड़ेगा। यह समस्या इसलिए भी अधिक जटिल है क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत है फिर भी हम इस दिशा में काफी उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था मूलत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसीलिए हमने सिंचाई पर अधिक जोर दिया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के दौरान 50 लाख हैक्टेयर भूमि इसके अन्तर्गत आयेगी। 1976 के अन्त तक 1710 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होने लगेगी। इसमें से केवल 453 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई होती है। यदि हम इसमें और 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत ला सकें तो वह पर्याप्त होगा और इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, योजना के अन्त तक हम 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर और सिंचाई करने लगेंगे।

बिजली जितनी उद्योगों के लिए आवश्यक है उतनी ही आवश्यक सिंचाई के लिए भी है । हमने सिंचाई के हेतु बिजली पर भारी रकम निवेश की है । हमने छोटी सिंचाई परियोजनाओं में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसीलिए चालू वर्ष में सिंचाई और बिजली के लिए आवंटित राशि लगभग 100 करोड़ रुपए बढ़ गई है । सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के काम को तेजी से पूरा करने के लिए राज्यों को 85 करोड़ पए की केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

देश के समक्ष मुद्रास्फीति की जटिल समस्या रही है, तेल के कारण हमें और भी अधिक कठिनाई हुई । किन्तु हम इस पर काबू पाने में आज काफी हद तक सफल हो चुके हैं । समूचे देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है । जुलाई और दिसम्बर, 1975 के बीच थोक मूल्यों में 5.4 प्रतिशत की गिरावट आई है । मूल्यों में स्थिरिकरण करने, औद्योगिक अनुशासन कायम करने तथा देश विरोधी तत्वों को समाप्त करके देशवासियों को एक नई आशा की किरण नजर आने लगी है और इसी करण हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है ।

बीस-सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत हथकरघा पर विशेष जोर दिया गया है । अब हम हथकरघा निर्मित स्टाक को निपटाने में समर्थ हैं । हथकरघा उद्योग के विकास के लिए योजना तैयार कर ली गई है । स्टैन्डर्ड कपड़े की स्थिति बहुत अच्छी है, अब हम यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है ।

सरकार इस कार्यक्रम के अग्रेतर कार्यान्वियन के लिए प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता को भलीभांति समझती है और उसके लिए उत्सुक है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस संकल्प के प्रस्तविक श्री विभूति मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संकल्प वापस ले लें । राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर पर प्रत्येक कार्य की पूरी निगरानी रखी जा रही है और प्रधान मंत्री सचिवालय सारी चीज समन्वित कर रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : It is true that many of the items in the 20-point programme are being implemented. Bonded labour has been abolished. A Bill to impose ceiling on urban land has also been introduced which, I am sure will be passed. However, I feel that industries are not being set up in the backward areas. Steps should also be taken to resolve legal and administrative hurdles.

Government should also see that credit facilities are made available to the farmers. Besides power and fertilizers, which are indispensable for agriculturists, are in short supply. Government should see that they are made easily available.

सभापति महोदय द्वारा सभी संशोधन सभा के समक्ष रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगें ?

श्री विभूति मिश्र : जी, हां

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The resolution was, by leave, withdrawn,

संविधान में परिवर्तन करने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : CHANGES IN CONSTITUTION

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन् : (बडागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"गत 25 वर्षों के दौरान भारत के संविधान के कार्यकरण के अनुभव तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के कारण और चुनौतियों को ध्यान मे रखते हुए इस सभा की राय है कि देश के संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः यह सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह संविधान में विशेषतया सम्पति के अधिकारों के स्वरूप में, संशोधन करने के लिए और संसद् की प्रभुसत्ता, संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, हरिजनों तथा देश के अन्य शोषित वर्गों के उचित अधिकारों को अक्षुण रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट सिद्धांतों और राज्य की नीति के निदेशक-तत्वों को यथार्थ रूप देने के लिये कदम उठाये।"

वर्ष 1975 भारत के इतिहास में युगवर्ष क रूप मे आया हैं ।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अपना भाषण आगामी दिन जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 फरवरी, 1976/13 माघ, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 2nd February, 1976/Magh 13, 1897 (Saka).